राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १६६१ का २८वां दिवस [संख्या १८

बुधवार, दिनांक २२ मार्च, १६६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, सिंचाई, चिकित्सा, आबकारी, तथा करारोपण, स्वायत्त शासन पशुपालन, वित्त, कृषि, सामुदायिक विकास, सहकारिता विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामनारायण वर्मा।

पंचायत समिति, सुल्तानपुर द्वारा प्रदत्त ऋण

४६१. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा-सु.): क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, सुलतानपुर ने समिति की स्थापना से अब तक किस किस मद में किस किस व्यक्ति को कितना कितना ऋण कब कब दिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या उक्त ऋण का अपने कार्य हेतु उपयोग हुआ ? यदि नहीं, तो किस किस मद में किस किस व्यक्ति ने इस धन का अब तक उपयोग नहीं किया है ?

(३) जिन ऋण प्राप्तकर्त्ताओं ने इस धन का अपने कार्य के लिये उपयोग नहीं किया उनके विरुद्ध समिति ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी हुई सूची में इसका उल्लेख कर दिया है।

(३) जिन जिन व्यक्तियों ने कार्य नहीं किया उनसे वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री रामनारायण वर्मा : अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सुना नहीं, वसूली की कार्यवाही हो रही है।

श्री रामनारायण वर्मा : अब तक कितनी वसूली हुई है ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : यह वसूली कितनी बाकी है, जिसके लिए कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह लिस्ट में दिया गया है, जिनका पूरा पूरा रुपया नहीं मिला है वह सूची में दे दिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : जिन्होंने जमा नहीं कराया, कुल कितना रुपया है, कितने रुपये की वसूली बाकी रह गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सूची में दे दिया गया है। उसमें लिखा है कि कितना पूर्ण हुआ है, कितना अपूर्ण है, जो अपूर्ण है उस अपूर्ण की वसूली की जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : आपके पास सूची है, आप जानकारी दे दीजिये कि इतना रुपया बाकी है।

श्री अध्यक्ष : उसमें जोड़ बाकी करना पड़ेगा, काफी लम्बी सूची है।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू–सु.) : जिनका प्रश्न होता है उनको सूची मिलती है, इसलिए सब सदस्यों की जानकारी के लिए बता दें।

डॉ० चन्द्रकला : उसका टोटल बता दीजिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसका टोटल लगाने की बात है, टोटल लगा..........

श्री अध्यक्ष : काफी आइटम्स में काम शुरू नहीं किया गया है, बगीचा नहीं लगाया, कार्य पूर्ण नहीं किया गया। आप कृपया जांच करवायें कि इन मामलों में आवश्यक कार्यवाही हो रही है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर की शहरपनाह को गिरा कर उस जगह पर बस्ती या दूकानों का निर्माण

४६२. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार जयपुर : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जयपुर की शहरपनाह को कहीं कहीं से गिरा कर उस जगह पर बस्ती या दूकानें बनाने का विचार किया गया था ? यदि हां, तो अब तक उसका कितना कितना भाग कहां कहां से गिराया जा चुका है ?

(ख) क्या इसी योजना के अन्तर्गत अजमेरी दरवाजे पर कुछ दूकानें बनवाई गई थीं ? यदि हां, तो कितनी ? उन पर कुल कितना खर्च हुआ था ?

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ दूकानों को तोड़ कर शहरपनाह को दुबारा बनवाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(घ) इस तोड़ फोड़ में कुल कितना खर्च हुआ ?

(ङ) क्या अजमेरी दरवाजा जैसे ही चांदपोल दरवाजा के भी पुनर्निर्माण की बात है ? यदि हां, तो वह कब तक बनेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध राजस्व मंत्रीजी से है । उनको ट्रान्सफर कर दिया है, वे अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जो निर्माण हुआ है, राजस्व विभाग ने तोड़ा है और निर्माण किया है ?

श्री अध्यक्ष : रीहेबिलिटेशन विभाग ने, जो राजस्व मंत्री के पास है ।

प्रश्न संख्या ४६३ ।

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामचन्द्र ।

भीमसागर बांध

४६४. श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) झालावाड़ जिले में भीमसागर बांध बनने का कार्य कब प्रारम्भ हुआ ? अब तक बांध का कितना भाग बन चुका है और कितने मील लम्बी नहरें खोदी जा चुकी हैं ?

(२) इस बांध के बनने और नहरों की खुदाई में कितना कितना रुपया खर्च किया जा चुका है ? अलग २ धनराशि बतलाने की कृपा करें ।

(३) बांध बनने का काम कितने वर्षों से बन्द पड़ा हुआ है ?

(४) क्या यह सच है कि इस बांध के बन जाने से गांव असनावर डूब में आ जायगा ?

(५) इस गांव के डूब में आ जाने से गांव को दूसरी जगह बसाने में लोगों को कितना रुपया मुआवजे के रूप में देना पड़ेगा ?

(६) क्या बांध बनने से पहले यह मालूम कर लिया गया था कि इस बांध के बन जाने के कारण उक्त गांव डूब में आ जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(७) अब यह बांध कब तक बन कर तैयार हो जावेगा ?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) भीमसागर बांध का काम सन् १६५५ में शुरू हुआ था । इस पर लगभग चौथाई काम पूरा किया जा चुका है, बांध की नहरें २६ मील लम्बाई में खोदी जा चुकी हैं ।

(२) बांध बनाने में ६,२४,२६१) रु० और नहरों में ४,४६,८८१) रु० खर्च अभी तक हुआ है ।

(३) बांध का कार्य लगभग २॥ साल से बन्द है ।

Page No.4

(श्री दौलतराम सारण)

(४) असनावर गांव बांध की डूब में नहीं आता है, परन्तु बांध बनने से नदी में आने वाली बाढ़ का स्तर ऊंचा उठ जायगा, जिससे बाढ़ के समय इस गांव के चारों ओर पानी भरेगा, नीचे बसे हुए मकान इससे डूब में आ जायेंगे ।

(५) उक्त कारणों से यह तय किया गया है कि इस गांव को दूसरी जगह बसा दिया जाय । इसमें अनुमानतः १० लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने पड़ेंगे ।

(६) इसका ब्योरा प्रश्न ४ के उत्तर में दे दिया गया है । इस प्रश्न पर पहले विचार नहीं किया गया था क्योंकि बाढ़ के स्तर पर बांध से इतने दूर तक असर पड़ेगा यह साधारणतया नहीं समझा जाता था ।

(७) आशा है कि बांध का कार्य लगभग दो वर्षों में समाप्त कर दिया जायगा ।

श्री रामचन्द्र : फिर कैसे मालूम हुआ कि बांध बन जाने पर असनावर गांव डूब में आ जायेगा ?

श्री दौलतराम सारण : जैसे कि प्रश्न ४ के उत्तर में कहा गया है कि इस गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी फिर जायेगा और जो घर नीचे बसे हुए हैं वे डूब में आ जायेंगे । बाद में इसकी डिटेल्ड जांच करवाई गई उससे यह पता चला ।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी इस गांव की बाबत बतलाया तो कैसे समझ लिया जाय कि चारों तरफ पानी फिर जायेगा और नीचे की तरफ बसे हुए घर डूब में आ जायेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री रामचन्द्र : गांव की ऐसी परिस्थिति बन जायेगी कि चारों तरफ पानी फिर जायेगा और नीचाई में बसे हुए मकान डूब जायेंगे तो लोग गांव में से निकलेंगे कैसे ?

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि इसीलिये गांव को दूसरी जगह बसाने का निर्णय लिया गया है और १० लाख रुपया मुआवजे का दिया जाना निश्चित किया गया है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : योजना बनाते वक्त इस गांव की बात नहीं सोची गई थी क्या ?

श्री दौलतराम सारण : कोटा स्टेट के समय में बांध बनाना निश्चित किया गया था, उस वक्त इतनी डिटेल्ड सर्वे नहीं की जा सकी थी ।

श्री रामचन्द्र: कितने घरों की बस्ती है वहां ?

श्री अध्यक्ष : कानून के माफिक मुआवजा मिलेगा चाहे १० घर हों या हजार घर हों ।

(विराम)

नेक्स्ट ।

बीकानेर में प्रशिक्षण-जिला रतनगढ़ के कम्पाउंडर्स

४६५. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री किशनाराम)

(क) जिला चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ़ ने अगस्त ५८ में कुल कितने नये कम्पाउंडर्स को ट्रेनिंग हेतु बीकानेर भेजा ? यह ट्रेनिंग कितने अर्से की दी गई ? ट्रेनिंग कार्यकाल का इन्हें वेतन दिया गया या नहीं ? कब यह ट्रेनिंग लेकर वापिस आये ? कब इन्हें कहां कहां कम्पाउन्डर नियुक्त किया गया।

(ख) इन्हें ट्रेनिंग में भेजने के पूर्व इनसे जो बोण्ड भराये गये थे उनमें क्या २ शर्तें थीं ? बोण्ड की व नियुक्ति पत्रों की प्रति मेज पर रखी जावे।

(ग) क्या यह भी सही है कि जो कम्पाउन्डर इस ट्रेनिंग में अल्प वेतन में जाने से इन्कार करता है उसे सर्विस से अलग किया जा रहा हैं ?

(घ) क्या यह सही नहीं है कि सिर्फ ४० रु० मासिक लेकर कोई कम्पाउन्डर चार वर्ष तक अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण इस मंहगाई के युग में नहीं कर सकता ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य विभाग इनके मामले पर न्यायोचित निर्णय करने पर विचार कर रहा है ?

(ङ) राजस्थान में किन किन स्थानों पर पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है ?

(च) क्या यह भी सही है कि कई कम्पाउण्डर्स को पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग में सरकार पूरा वेतन देकर भेजती है ? यदि हां तो क्यों ?

(छ) क्या यह सही है कि इन कम्पाउण्डर्स ने जिला चिकित्सा अधिकारी रतनगढ़ को प्रार्थना-पत्र पेश कर मांग की थी कि हमें पूरा वेतन देकर पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग में भेजा जावे ? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया ?

(ज) इन कम्पाउण्डर्स को आज तक स्थाई किया गया है या नही ?

(झ) क्या यह भी सही है कि इनके बाद माह मार्च १६५६ में जो कम्पाउण्डर्स पुनः ट्रेनिंग हेतु नये भर्ती किये गये हैं उनका मामला भी ठीक इसी प्रकार का है ?

स्वास्थ्य मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ ने ८ व्यक्तियों को प्रिन्स विजयसिंह मेमोरियल मैन्स हॉस्पिटल बीकानेर में ६ माह की ट्रेनिंग के लिये भेजा जिनमें से श्री तारासिंह ने ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं की इस अवधि में श्री गंगानगर को छोड़कर जो कि रतनगढ़ जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने अवकाश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है अन्य किसी को भी वेतन या छात्रवृत्ति नहीं दी गई। ये प्रशिक्षणार्थी ६ माह का प्रशिक्षण प्राप्त करके दिनांक २७. २. ५६. को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष नियुक्ति के लिये उपस्थित हुए तथा इनको निम्न स्थानों पर लगाया गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिहारा

बी. डी. अस्पताल, चुरू

तारानगर चिकित्सालय

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

रिज़र्व लिस्ट, रतनगढ़

राजलदेसर चिकित्सालय

डूंगरगढ़ चिकित्सालय

सुजानगढ़

(ख) बोन्ड की प्रतिलिपि व नियुक्ति पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां। यह सही है कि ६ माह के प्रशिक्षण प्राप्त कम्पाउन्डर यदि पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग में अल्प वेतन पर जाने से इन्कार करेंगे तो उन्हें नौकरी से अलग किया जायगा।

(घ) जी हां। प्रशिक्षण केवल ३ वर्ष का है परन्तु क्योंकि ऐसे कम्पाउन्डरों की सर्विस रेगुलर सर्विस नहीं मानी गई है। अतः उन्हें केवल ४० रु० माहवार छात्रवृत्ति पर, जो स्वीकृत हैं, पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग प्राप्त करनी है।

(ङ) उदयपुर, जोधपुर, कोटा व अलवर में।

(च) केवल स्थायी कम्पाउन्डर्स जो विभाग की सेवा में हैं उन्हें पूरा वेतन दिया जाता है।

(छ) जी हां, परन्तु यह सम्भव नहीं है।

(ज) जी नहीं। इन्हें पी. एन. आर. सी. ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा चुने जाने पर ही स्थायी किया जा सकेगा।

(झ) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

नशीले पदार्थों की बिक्री

४६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में सन् १९५९–६० में क्रमशः शराब, अफीम, चरस व भंग कितनी कितनी धन-राशि की बिक्री ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि पिछले सालों की अपेक्षा इन सालों में मादक द्रव्य सेवन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (१) सूची संलग्न है।

(२) मादक द्रव्य सेवन करने वालों की गिनती का कोई रेकॉर्ड इस विभाग में नहीं है। इसलिये इस प्रश्न का जवाब देना सम्भव नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : तो यह अधिक बिक्री हुई इसका मतलब यह है

(डॉ० बहादुरसिंह)

कि जो लोग अवैध शराब पीते थे वे वैध शराब पीने लग गये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें बढ़ोतरी कहां हुई ?

डॉ० बहादुरसिंह : बिक्री ३१ लाख की हुई है।

श्री रामचन्द्र चौधरी: हां, ७ लाख की बढ़ोतरी हुई है। कुछ अवैध शराब को बन्द करने के कारण और कुछ ड्यूटी में वृद्धि के कारण अधिक आय हुई है।

डॉ० बहादुरसिंह : ज्यों ज्यों शराब बन्दी का प्रचार करने के लिये खर्चा किया त्यों त्यों पीने वालों की संख्या बढ़ी है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या यह सही है कि जो पीने वाले थे उन्होंने कम कर दी और जो नहीं पाने वाले थे उन्होंने शुरू कर दी इसलिये आमदनी ज्यादा बढ़ी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हो सकता है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : आय में ७ लाख की बढ़ोतरी हुई है, तो क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पीने वालों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पीने वालों का कोई लाइसेंस नहीं होता इसलिये संख्या बताना संभव नहीं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सरकार महसूस करती है क्या कि मद्य और अन्य नशीली चीजों का सेवन बढ़ा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) ; क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है कि पहले से अधिक ठेके बढ़े हैं और शराब का प्रोडक्शन बढ़ा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नहीं, दुकानें तो हर साल कम की जाती हैं।

श्री तनसिंह : कम की जा रही हैं दुकानें और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये दोनों बातें बैठतीं नहीं !

श्री रामचन्द्र चौधरी : प्रोडक्शन कहां बढ़ रहा है।

श्री तनसिंह : जो लिक्विड तैयार करते हैं वे पहले से ज्यादा बना रहे हैं या कम ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : करीब एक सा ही चल रहा है।

श्री तनसिंह : एक सा चल रहा है तो ७ लाख रुपये की आमदनी में वृद्धि कैसे हुई है, इतनी खरीद कैसे हो रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बतला दिया कि आबादी बढ़ रही है तो पीने वालों की संख्या भी बढ़ रही है।

Page No.8

श्री तनसिंह : आबादी बढ़ने से क्या हुआ, शराब तो उतनी ही बन रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक तो बन्द करने के लिये कम से कम लोग पियें इस दृष्टि से ड्यूटी बढ़ा दी जाती है और दूसरे जो इल्लिसिट डिस्टिलेशन होता था उसको रोक दिया गया है, इसलिये आमदनी बढ़ी हुई नजर आती है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या सरकार कोई डेट ऐसी मुकर्रर कर सकती है कि इसके बाद में सरकार इस स्थिति में हो जायगी कि इसे बिल्कुल बन्द कर देगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग सवाल है। पर हम इस बात के लिये दृढ़ हैं कि प्रोहिबिशन लागू किया जाय। इसके लिये अभी से डेट निश्चित करना मुश्किल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लड़खड़ा रहे हैं नशे में।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

ग्राम पंचायत जोगीवाला (गंगानगर) के हिसाब–किताब की जांच

४६७. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम पंचायत जोगीवाला, तहसील भादरा, जिला गंगानगर के हिसाब–किताब का ऑडिट कानूनन कब कब होना चाहिये था और वह कब कब किया गया ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच (श्री रामजीलाल) के कार्य-काल के कोई भी हिसाब–किताब सम्बन्धी रजिस्टर एवं बही खाते सम्बन्धी कागजात इस समय पंचायत में मौजूद नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच, श्री रामजीलाल ने ये सब कागजात पंचायत के नये चुनाव जुलाई, १९५९ में होने के पश्चात् सरकारी आज्ञा जारी होने के पश्चात् भी नये सरपंच को नहीं संभलाये और इस कारण हिसाब–किताब का ऑडिट संभव अभी तक नहीं हुआ है ? सरकार ने इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): माननीय अध्यक्ष, अभी इसका जवाब तैयार नहीं हो पाया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बगड़िया भवन, जयपुर के पीछे बसी बस्ती से पानी की निकासी की कठिनाइयां

४६८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर शहर की बगड़िया भवन के पीछे की बस्ती को बसे कितने दिन हो गये?

(डॉ० चन्द्रकला)

क्या यह सच है कि इस बस्ती में अब तक भी पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(२) इस क्षेत्र में सीवेज लाइन कब तक डाल दी जावेगी ? क्या इस योजना को बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखा गया था ? यदि हां तो यह पूरी न होने का क्या कारण है ?

(३) अब पानी के निकास की व्यवस्था व सीवेज लाइन कब तक डाल दी जावेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(१) इस विषय में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है। यहां भूखन्ड जयपुर राज्य के समय से ही दिये जा रहे थे तथा बस्ती का क्रमिक विकास हुआ है। इस योजना में वर्षा का पानी निकालने के लिये सड़कों पर पर्याप्त ढाल दे रखे हैं। इस प्रकार के पानी के रुकने की कोई शिकायत नहीं आई है।

(२) सीवेज लाइन डालने की कोई योजना नहीं है। भूखन्ड बेचते समय भूमि का मूल्य इतना कम रखा गया था कि यह कार्य सम्भव नहीं था। इस योजना के उप-नियमों के अनुसार प्रत्येक भूखन्ड के स्वामी को अपने भूखन्ड के भीतर ही सोकपिट वगैरा बना कर पानी को सोखने का प्रबन्ध करना चाहिये, पर अधिकतर लोगों ने ऐसा नहीं किया है। बहुत से लोग भैंस तथा गाय रखते हैं जिनको पटरियों पर बांधते हैं तथा नहलाते हैं, जिसके कारण बस्ती में गंदगी रहती है। ऐसे लोगों के विरुद्ध समय २ पर कानूनी कार्यवाही की जाती रहती है।

(३) साधन देखते हुए जितना जल्दी हो सकेगा कार्य को पूर्ण किये जाने की कोशिश की जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सत्य है कि इस मोहल्ले के लोगों ने और अन्य पत्रकारों ने भी आपसे शिकायत की थी ?

श्री सम्पतराम : जी हां, मुझे पर्सनली कहा था ?

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू सु०) : यह बस्ती किन लोगों की है ?

श्री सम्पतराम : इसका कोई इससे सम्बन्ध नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जब यह बस्ती बनाई गई और पानी के निकासी का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया तो हर एक व्यक्ति को क्या यह कहा गया था कि वह सोक पिट बनाए। आपने उनके नक्शे की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जब पानी निकलने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो सोक पिट बनावे जिससे पानी सड़क पर बह कर नहीं आवे।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्या का मतलब कौन से पानी से है ?

डॉ० चन्द्रकला : जो सड़कों पर बहता है और जिससे मच्छर पैदा होते है और उससे स्वास्थ्य को खतरा है। बस्ती के पीने के पानी का सवाल नहीं है।

श्री सम्पतराम : जहां तक वर्षा के पानी का प्रश्न है इस बात को मैंने स्वीकार किया है कि वहां पर सीवेज लाइन नहीं है और

Page No.10

(श्री सम्पतराम)

कुछ लोग वहां पर भैंसें वगैरह बांध कर गंदगी पैदा करते हैं, उनके खिलाफ आदेश दे दिये गये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या वहां के लोगों से हाउस टैक्स नहीं लिया जाता हैं ?

श्री सम्पतराम : सफाई भी तो कराई जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : यहां सफाई होती ही नहीं है।

श्री सम्पतराम : यह गलत है। आप सफाई का मतलब नहीं समझती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह ।

कस्बा उनियारा में पशु-चिकित्सा हेतु स्थापित डिस्पेन्सरी

४६६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कस्बा उनियारा में पशु-चिकित्सा हेतु एक डिस्पेंसरी स्थापित की हुई है। अगर हां, तो कब से ?

(ख) उपरोक्त डिस्पेंसरी में क्वालीफाइड डॉक्टर व क्या क्या स्टाफ है और सालाना क्या क्या खर्चा होता है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त डिस्पेंसरी में ओजारों और दवाइयों का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, दिनांक १२-१०-५६ से डिस्पेंसरी स्थापित की हुई है।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) जी नहीं, आवश्यकतानुसार पूरा प्रबन्ध है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करता हूँ कि वहां पर हर दिन यही शिकायत रहती है कि पशुओं की हालत खराब होने आ जाती है और उल्टा बच्चा आ जाता है तब डॉक्टर यह कहते हैं कि हमारे यहां औजार नहीं हैं। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि अगर वहां पर औजार नहीं हों और डाक्टर फिजूल बैठा रहे तो उससे क्या फायदा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है। डाक्टर भी है, कम्पाउन्डर भी है। मेरी जानकारी में सब औजार जो साधारणतः होस्पिटल में होने चाहिये, हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपकी पेपर की जानकारी है और हमारी जानकारी है वह वहां पर जो वास्तविक मुसीबत है उसकी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इस पर भी अगर कोई सामान वहां पर नहीं हो तो बतावें; वहां पर कौनसा सामान नहीं है, तो मैं पता लगा लूंगा। मेरी तो यह सूचना है कि सब औजार वगैरह हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि वहां पर सामान की दिक्कत है और अगर आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री कहते हैं कि आम तौर से जो डिस्पेन्सरी में सामान होना चाहिये, है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जरूरत का सामान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा।

पाली शहर में कालूजी की बगीची के पास बसे बुनकरों को कम कीमत पर जमीन के पट्टे देना

४७०. **श्री मूलचन्द डागा,** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि पाली शहर में कालूजी की बगीची के पास कुछ बुनकर मय अपने कुटुम्ब के नगरपालिका पाली से भूमि किराये लेकर रहते हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सत्य है कि ये सभी बुनकर चारणिया भांभी जाति के हैं और उनका धंधा कपड़ा बुनना है ?

(३) क्या इन सभी लोगों ने नगरपालिका पाली से कम कीमत पर जमीन के पट्टे देने की मांग की थी ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका पाली ने उन्हें जमीन कम कीमत पर देने का प्रस्ताव पारित किया था ? यदि हां, तो कब ? उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या यह सत्य है कि ये सभी बुनकर पाली कलेक्टर के पास पट्टे की मांग करने के लिये गये ? यदि हां, तो उस पर कलेक्टर ने क्या कदम उठाया ?

(६) क्या सरकार अब इन लोगों को कम कीमत पर पट्टे देने की मांग को स्वीकृत करने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां, दिनांक १८-४-५७ से।

(२) जी हां, इसमें से कुछ व्यक्ति महाराजा श्री उम्मेद मिल्स या अन्य स्थान पर भी मजदूरी करते हैं।

(३) जी हां, दिनांक २२-६-५६ को।

(४) जी हां, दिनांक २२-२-५६ को। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(५) जी हां, जिलाधीश पाली ने दिनांक ४-२-६१ को इस कॉलोनी का निरीक्षण किया तथा इस सम्बन्ध में पूर्व आयोजित ढंग से प्लॉट काटकर अलॉटमेंट के सम्बन्ध में नगरपालिका के प्रस्ताव मांगे हैं। इस पर नगरपालिका ने आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है।

(श्री सम्पतराम)

(६) अभी यह प्रश्न सरकार के समक्ष नहीं आया है; आने पर विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : म्युनिसिपैलिटी की, पूरे दो वर्ष हो गये, अभी तक जमीन एलॉट नहीं हुई, क्या बात है ?

श्री सम्पतराम : मेरा ख्याल है कि ४-२-६१ को इस कॉलोनी का निरीक्षण किया गया है। उनको मालूम हुआ कि क्या क्या बात....

श्री मूलचन्द डागा : मेरा प्रश्न यह है कि कब तक दे दी जावेगी ?

श्री सम्पतराम : मैंने आदेश दे दिया है कि जल्दी से उनको दे दी जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकरणसिंह।

सीकर, अलवर व जयपुर जिलों में निर्मित नये बांध एवं पुरानों की मरम्मत

४७१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) सीकर, अलवर व जयपुर जिलों की किन तहसीलों में सन् १९५७ से १९६० तक कौन कौन से नये बांध बांधे गये हैं और कौन कौन से पुरानों की जो टूट गये थे मरम्मत कराई ? लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त वर्षों में कौन कौन से बांधों के बनाने का प्रावधान था और उनमें से कितने आज तक नहीं बने हैं ?

(३) उपरोक्त बांधों में कितने ऐसे हैं जिनके लिये टेण्डर भी मांग लिये गये, मगर फिर भी आज तक काम चालू नहीं हुआ ?

(४) ऐसे बांध कितने हैं जो बजट में प्रावधान न होते हुए भी अत्यावश्यक मान कर बनाये गये हैं ?

(५) उनके लिये धन किस तरह किस मद में से लगाया गया ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : कितना समय लगेगा।

श्री दौलतराम सारण : करीब १५ दिन लगेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल पारीक।

बीकानेर शहर के बीच में स्थित श्मशान घाट तथा धोबी घाट का स्थानान्तरण

४७२. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सत्य है कि बीकानेर शहर में श्मशान घाट तथा धोबी घाट आबादी के

(श्री रावतमल पारीक)

बीचों बीच स्थित है ? क्या नगरपालिका या सरकार ने इसको आबादी के बाहर ले जाने के लिये कोई कदम अब तक उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब प्राप्त नहीं हो सका है । अगले टर्न पर उत्तर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री मूलचन्द डागा।

केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के अन्तर को मिटाना

४७३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे—

(१) क्या सरकार को विदित है केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी जो एक ही जगह नियुक्त हैं उन पर स्थानीय मंहगाई का असर बराबर पड़ता है ? यदि हां तो फिर उनकी मंहगाई भत्ते में इतना अन्तर क्यों है ?

(२) क्या यह सत्य है कि गांव रानी, तहसील देसुरी में एक्साइज़ इन्सपेक्टर केन्द्रीय एवं राजस्थान सरकार के तैनात हैं, तथा राजस्थान के इन्सपेक्टर्स को मंहगाई भता केवल ३५) रु० मिलता है जबकि केन्द्रीय सरकार के एक्साइज इन्सपेक्टर को ६० या ६५) रु० मिलते हैं ? यदि हां, तो क्या इस मंहगाई भत्ते के अन्तर को मिटाया जा सकता है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) यह स्थिति १–७–५६ से पहले थी, अब नहीं है । केन्द्रीय सरकार में अब मंहगाई भत्ता केवल ३००) रु० या कम वेतन पाने वालों को ही मिलता है । १५० रु० तक वेतन पाने वालों को १० रु० तथा १५० रु० से ऊपर ३०० रु० तक पाने वालों को २० रु० दिया जाता है । इस समय राजस्थान के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अधिक मिलता है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता है ।

पाली जिले में सघन खेती की योजना

४७४. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) पाली जिले में सघन खेती की योजना किस तारीख से प्रारम्भ की गई और अब तक उसको कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये ?

(२) सघन खेती योजना को कार्यान्वित करने हेतु उक्त जिले में कितना स्टाफ किन किस श्रेणी का कहां कहां किस ओहदे पर कार्य कर रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) इस योजना में कितनी धन-राशि किस किस मद में स्वीकृत की गई है और इसका वितरण कब कब किस प्रकार होगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) पाली जिले में सघन कृषि योजना ४ नवम्बर, सन् १९६० से प्रारम्भ की गई है। अब तक उसको कार्यान्वित करने के लिये निम्न कार्य किये गये:

(२) सघन कृषि योजना बनाने के विषय में कृषि प्रसार अधिकारियों को तीन दिन का प्रशिक्षण नवम्बर के महीने में दिया गया।

(२) योजना जिस आधार पर बनाई जावेगी, उसके फॉर्म्स तैयार कराए गये।

(३) राजस्थान कृषि विभाग के विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें प्रत्येक फसल जो इस जिले में होती है उस पर तकनीकी सिफारिश की गई और उस पर एक पुस्तक तैयार हो रही है।

(४) जिला स्तर पर जो कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत काम करेंगे उनका प्रशिक्षण निलोखेड़ी में हुआ।

(५) इन कर्मचारियों ने वापस जाकर जिले के समस्त विकास अधिकारी, कृषि प्रसार एवं सहकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है।

(२) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये भिन्न भिन्न स्तर के कर्मचारी इस प्रकार हैं :

जिला स्तर :—(१) डिप्टी डाइरेक्टर एग्रीकलचर (प्रोजेक्ट)

(२) असिस्टेन्ट एग्रोनामिस्ट—१

(३) असिस्टेन्ट पौध संरक्षण अधिकारी—१

(४) सहायक भू-संरक्षण अधिकारी—१

(५) असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी—१

हर विकास खण्ड स्तर पर अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त इस प्रकार किये गये हैं :

(१) कृषि प्रसार अधिकारी —४

(२) सहकारी प्रसार अधिकारी —१

(३) असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर सहकारी —४

(४) ग्राम सेवक —४

(३) इस योजना के अन्तर्गत एक करोड़ दस लाख रुपये की धन-राशि खर्च होने की सम्भावना है, जिसका विवरण इस प्रकार है :

(१) अतिरिक्त कर्मचारियों पर	१६.७७ लाख रुपये
(२) अतिरिक्त स्टाफ सर्वे	१.५७ ,,
(३) अनुसंधान प्रशिक्षण	१.०० ,,
(४) वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शन	३.५२ ,,
(५) यातायात	६.१६ ,,

(श्री दौलतराम सारण)

(६) कृषि यंत्रशाला	३.००	लाख रुपये
(७) प्रदर्शन यंत्र	४.००	,,
(८) बीज यंत्र जांच शाला	३.००	,,
(९) लोकल वर्क्स प्रोग्राम	१३.४०	,,
(१०) प्रशिक्षण	२.८८	,,
	५५.३० लाख	
(११) मध्यम् व दीर्घ कालीन ऋण	.६० लाख अनुमानित	
	.५० लाख	
	१.१० लाख	

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि यह कार्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा होगा ?

श्री दौलतराम सारण : योजना में बीज वितरण वगैरह का काम पंचायतों द्वारा कराया जाएगा और सरकारी अधिकारी उनको प्रशिक्षण देंगे ।

श्री शंकरलाल : सहकारी समिति के लिये इस योजना में कोई धन-राशि प्रदान की गई है ? जिला सहकारी संघ की मीटिंग अलग से हुई । उसके लिये सरकार ने अलग से कोई धन-राशि प्रदान की है क्या, सहकारी संघ लोगों को प्रशिक्षण करे और प्रबन्ध करे ?

श्री दौलतराम सारण : इस योजना के अन्तर्गत चाहे वह सहकारी समिति हो या पंचायत हो, सब पंचायत समिति को अपने सुझाव देंगे और उसके आधार पर कार्यक्रम पूरे किये जावेंगे ।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : क्या यह योजना पाली जिला और विकास खंडों में भी लागू कर दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य को मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू—सु.): क्या यह सही है कि वे खेती के योग्य ही लोग हैं ? काश्तकारों को सहयोग देंगे कि काश्त कैसे की जाय, तो क्या वे ऐसे लोग हैं जिनको उनसे अधिक जानकारी है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्री लादूराम सुलाणिया : कहां ट्रेनिंग पास होकर आये ?

प्रश्न संख्या ४७५.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७६.

श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४७७

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामधन ।

तहसील दौसा क्षेत्र के बंधों से होने वाली सिंचाई

४७८. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील दौसा में कौन कौन से बंधों से किन किन गांवों की सिंचाई होती है ? क्या उन गांवों को सिंचाई के लिये भरपूर पानी दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या जमुवा रामगढ़ के बांध को 'अधिक अन्न उपजाओ' में ले लिया गया है ? यदि हां, तो काश्तकारों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी क्यों नहीं दिया जाता ?

उप-मन्त्री, सिचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) तहसील दौसा के बांधों से सिंचित का गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । सिंचाई के लिए जितना पानी उपलब्ध होता है उतना खेतों को दिया जाता है ।

(२) प्रत्येक बांध अधिक अन्न उपजाने के कार्य में आता है । जमुवा रामगढ़ से सिंचाई के लिए जितना पानी आरक्षित होता है वह काश्तकारों को दे दिया जाता है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामनारायण वर्मा(पीपलदा-सु.) : क्या यह सही है कि जमवा रामगढ़ का पूरा पानी शहर में आता है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्री रामनारायण वर्मा : उससे काश्तकारों को कम मिलता है ?

श्री दौलतराम सारण : जितना आरक्षित है वह काश्तकारों को दे दिया जाता है ।

श्री रामनारायण वर्मा : लगान तो नहरी बांध के कारण बंधा हुआ है और उससे काश्तकारों से वह वसूल होता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): कितना पानी जमवा रामगढ़ बंध का शहर में आने के लिए रोका जाता है और कितना पानी काश्तकारों के लिए रखा जाता है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : ३६ फुट पानी शहर की वाटर सप्लाई के लिए सुरक्षित है और बाकी का पानी काश्तकारों को दे दिया जाता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसकी भराई कितनी है ?

श्री भीखाभाई : जितना भरता है । ४२ फीट की हाइट है उसकी ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु.) : नहरी पानी काश्तकारों को पूरा मिलता नहीं है और दूसरी ओर उनसे नहरी लगान लेते हैं जिससे काश्तकारों को नुक्सान होता है।

श्री भीखाभाई : जिन काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है उनकी जमीन की रीक्लासिफिकेशन की कार्यवाही कर रहे हैं। इस साल सप्लाई कट ऑफ हुई है।

श्री लादूराम सुलाणिया : आस पास की जमीनों का जितना नहरी का लगान है दस वर्षों में एक दफा भी उनको पानी नहीं मिलता। इसलिए उनका लगान कम करने का उस तरह से विचार रखें।

श्री भीखाभाई : पानी नहीं मिलता है तो मालगुजारी वगैरह है उसको रीक्लासिफाइ करने के बाद लगान कम किया जावेगा। माननीय सदस्य बता रहे हैं कि वह नहरी है और पानी नहीं मिलता है तो इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणिया : जानकारी करके काश्तकारों का लगान कम करने की कोशिश की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी।

राजस्थान राज्य पर सम्पूर्ण सार्वजनिक ऋण

४७६. **श्री विशम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) [डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: Will the Finance Minister be pleased to state:-

1. What is the total public debt of the State of Rajasthan upto date ?

2. What is the total annual interest payable thereon ?

3. How much of it is in the form of Central Government loans, bank loans and public loans respectively ?

उपमंत्री वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

1. The total public loan of the Rajasthan Government stood at Rs. 13606 lakhs on 31. 12. 60 including Rs. 11. 12 crores relating to ways and means advances received from Government of India as assistance towards Plan expenditure, a part of which will be treated as grant and part as loan.

2. The provision in the current year's Revised budget is Rs. 474. 72 lakhs The rate varies from 2.7/8% to 5% p. a.

3. 1. Loans from Central Government	Rs. 10,471.55	lakhs.
	(0471·55	,,
2. Loans from Banks	Rs. 1,524.41	,,
3. Public loan.	Rs. 1,485.84	,,
4. Loans from Autonomous Bodies such as Life Insurance Corporation of India etc.	Rs. 124.20	,,
Tatal	Rs. 13,606.00	lakhs.

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास।

Page No.18

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : एक प्रश्न उसमें है ।

क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बता सकते हैं कि इस लोन में से कितना ड्यू हो चुका है और पे नहीं किया गया है ?

उपमन्त्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : पूछा नहीं गया, नहीं तो निवेदन कर देता ।

श्री तनसिंह : अन्दाजन यह बता सकते हैं कि व्याज कितना देना पड़ता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नम्बर २ में निवेदन कर दिया । ४ करोड़ ७४ लाख ७२ हजार एक साल में ।

प्रश्न संख्या ४८०

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये ।)

प्रश्न संख्या ४८१

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

तहसील कोटपूतली के पूतली, खुर्दी व अमाई गांवों की एक पंचायत बनाने की मांग

४८२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली) : क्या पंचायत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जयपुर, तहसील कोटपूतली के पूतली, खुर्दी, अमाई गांवों की एक ही पंचायत बनाने की मांग सरकार के पास आई है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तीनों गांव एक दूसरों से एक डेढ़ फर्लांग की ही दूरी पर हैं और इनकी आबादी भी एक पंचायत के लिए काफी है ?

(३) क्या यह भी सही है कि खुर्दी और अमाई को सुन्दरपुरा में लगाया है जिसको पूतली को पार करके जाना पड़ता है ?

(४) अब सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) नहीं ।

(२) तीनों ग्राम एक दूसरे के नज़दीक हैं । इन तीनों की जनसंख्या १४०० से भी कम होती है ।

(३) ग्राम खुर्दी व अमाई को पंचायत सुन्दरपुरा में लगाया गया है एवं इनको पूतली पार करके जाना पड़ता है ।

यह सही नहीं है कि तीनों ग्राम किसी भी पंचायत में नहीं गये, बल्कि तीनों ग्रामों के निवासियों ने चुनाव में भाग लिया था ।

(४) फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री रामकरणसिंह : मैं जानकारी के लिए बता दूं कि न तो तीनों गांव वाले

(श्री रामकरणसिंह)

चुनाव में गये, न चुनाव ही हुए उनके और न ही सरकार ने कोई कार्यवाही की।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही के लिये निवेदन कर चुका हूं। हाई पॉवर कमेटी बिठाई गई थी और रिऑर्गेनाइजेशन के लिए उस कमेटी के पास उजरात आये होंगे और फैसला किया गया होगा। कमेटी कई जगह गई भी थी और जितने रिप्रेजेन्टेशन्स आये उन सब पर विचार किया।

श्री रामकरणसिंह : आपने बताया कि ऐतराज नहीं आया था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने यह नहीं निवेदन किया था कि ऐतराज नहीं आये। जितने ऐतराज आये थे उन पर विचार किया गया था। आपके यहां का आया या नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं।

श्री रामकरणसिंह : क्लेक्टर कहते हैं कि उन तीनों ग्रामों को एक पंचायत में लिया जाय। कमेटी बैठी तो न जाने किन कारणों से उनको अलग अलग किया गया। जब कि उनके आपस में कोई अधिक दूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री रामकरणसिंह : उन्होंने चुनावों में हिस्सा नहीं लिया। जानकारी उन्होंने सरकार को दी है। आगे उनको किस प्रकार से रखा जावेगा ? चुनाव कराये जावेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : चुनाव तो हुए होंगे, किसी न किसी पंचायत में गये होंगे।

श्री रामकरणसिंह : पिटीशन किया। गये नहीं चुनाव में।

श्री अध्यक्ष : गये नहीं, तो यह उनकी मर्जी की बात है।

श्री रामकरणसिंह : पिटीशन किया तो तहसीलदार ने, जिला परिषद् ने और कलेक्टर साहब ने अवगत कराया, फिर भी सरकार ध्यान नहीं देती है तो कुछ तो होना चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य को ध्यान में लाना हो, रिऑर्गेनाइजेशन के लिए कहना हो तो कह दें।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

रतनगढ़ नगरपालिका के गुमशुदा रेकॉर्ड की जांच.

४८३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि रतनगढ़ नगरपालिका के रेकॉर्ड में से सन् १९५६ से अब तक की करीब १५० मिसलें व अन्य बहुत सा महत्वपूर्ण रेकॉर्ड गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो गुमशुदा रेकॉर्ड की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(ख) रेकॉर्ड गायब करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है व यह रेकॉर्ड कब गायब हुआ ? पालिका ने उपरोक्त रेकॉर्ड गायब होने की रिपोर्ट सरकार को कब भेजी

Page No.20

(श्री किशनाराम)

व गुमशुदा रेकॉर्ड के बारे में पुलिस में रिपोर्ट की गई या नहीं ?

(ग) गायब किये गये रेकॉर्ड में इजाजत, तामीर, माल मण्डी, नाजायज़ कब्जा मुतफरकात की कितनी मिसलें हैं व कितने सरकारी परिपत्र गायब हुए हैं ?

(घ) क्या सरकार किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त कर सन् १९५६ से अब तक के समस्त रेकॉर्ड की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) सन् १९५६ से अब तक ७८ मिसलें गायब हुई हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त ४०—४५ निर्माण कार्यों सम्बन्धी फाइलें तथा २०. २५ परिपत्र भी गायब हैं जिनकी सूची उपलब्ध नहीं हो सकी है।

(ख) यह 'रेकॉर्ड' भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री मोहनलाल सारस्वत कार्यवाहक अध्यक्ष, श्री मनसुख राम व एक्जीक्युटिव ऑफिसर श्री रामसिंह के कार्यकाल में गायब हुआ बताया जाता है। रेकॉर्ड गुम होने सम्बन्धी इससे पहले कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई थी। केवल माल मन्डी की ६ मिसलें गुम होने सम्बन्धी रिपोर्ट दिनांक ३०. १. ५९ को नगरपालिका ने पुलिस को की थी जिसकी प्रतिलिपि जिलाधीश को भी भेजी गई थी।

(ग) सूचना इस प्रकार है :

इजाजत तामीर २३ मिसलें (२) माल मन्डी, नाजायज तामीर सीगे की १५ मिसलें, मुत्फरकात सीगा ३१ मिसलें, निर्माण कार्यों सम्बन्धी ४०—४५ फाइलें व सरकारी पत्र २०-२५ के करीब।

(घ) जिलाधीश चूरू को शीघ्र ही जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर एक माह के अन्दर २ पूरी रिपोर्ट मंगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिनके कार्यकाल में ये मिसलें गायब हुई उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री सम्पतराम : मैंने जैसा कि आपसे निवेदन किया गवर्नमेन्ट के सामने पहली दफा इतनी बड़ी लम्बी लिस्ट आयी है इसीलिये जिलाधीश को इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया है कि वह जांच करे कि इन फाइलों के गायब करने में किसकी जिम्मेदारी है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या इन फाइल्स के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट को सन् १९५९ में ही मालूम हो गया था ? सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री सम्पतराम : पुलिस में यह केस चला गया था किसी का चालान हुआ या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। पुलिस में इस केस की रिपोर्ट जरूर हुई थी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : भूतपूर्व नगरपालिकाध्यक्ष के समय में जो मिसलें गायब हुई वे फाइलें क्या नगरपालिका-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अध्यक्ष के टेबल पर थीं या किसी क्लर्क के पास थीं ?

श्री सम्पतराम : इतने डिटेल्स के बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। इसकी डिटेल्स में न जाकर कलेक्टर को इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया जा चुका है, वे इसकी इन्क्वायरी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इन फाइल्स के गायब होने पर जब पुलिस में मामला दे दिया गया तो वहां एक्जीक्युटिव ऑफिसर के खिलाफ जो एक्शन लिया जाना चाहिये था वह लिया गया या नहीं ?

श्री सम्पतराम : पुलिस में मामला गया लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि किसकी गलती से ये फाइलें गायब हुई। पुलिस को यह मामला रेफर कर दिया गया था कि वह इस सम्बन्ध में जांच करे।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस तो जांच करेगी, उसके बाद जो क्रिमिनल ऑफेन्स होगा वह तो आप अलग रहने दीजिये, लेकिन डिपार्टमेन्टल एक्शन उस अधिकारी के खिलाफ जिसके सुपर्विजन में रहते हुए फाइलें गायब हो गई थीं लिया गया या नहीं ?

श्री सम्पतराम : डिपार्टमेन्टल एक्शन लेने का सवाल नहीं है म्युनिसिपैलिटी ने खुद ने यह मामला पुलिस को हेन्ड ओवर किया। म्युनिसिपैलिटी किसी पर बरडन शिफ्ट नहीं करती, उन्होंने तो जांच करने के लिये पुलिस को यह मामला दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सबसे पहले इत्तला कब मिली ?

श्री सम्पतराम : मैं निश्चित तारीख नहीं दे सकता, लेकिन क्वेश्चन में जो जानकारी है वह सही हो सकती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपको सूचना १९५९ में मिल गई थी उसके बाद राजस्थान सरकार ने कार्यवाहक अध्यक्ष को ऑफिशियेटिंग प्रेसीडेन्टशिप का चान्स क्यों दिया, उनको ससपेन्ड क्यों नहीं किया गया ?

श्री सम्पतराम : क्वेश्चन को आपने पढ़ा नहीं। जब मिसलें गायब होने का नगरपालिका के नोटिस में आया तथा नगरपालिका ने उन केसेज़ को पुलिस को रेफर कर दिया उन्होंने इस विषय की कोई जानकारी नहीं दी कि इसकी जिम्मेदारी फलां फलां अधिकारी पर है। इस पर भी हमने एक जिम्मेदार अधिकारी को जांच के लिये नियुक्त कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

डाबरा सहकारी समिति द्वारा बाजरे के बीज की खरीद

४८४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, कृषि विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर ने पिछले वर्ष जिले भर

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के लिये ४५००) मन बाजरे का बीज खरीदने के लिये डाबरा सहकारी समिति को ठेका दिया था ?

(२) यदि हां, तो जिस समय समिति ने बाजरा खरीदा उस समय बाजार भाव क्या थे व समिति ने किस भाव से खरीदे ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आ सका है, इसका जवाब नेक्स्ट टर्न पर दिया जायगा ।

पंचायत समिति, रोहट द्वारा सांडों की खरीद

४८५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) पंचायत समिति रोहट ने २ अक्टूबर, १९५९ के बाद कितने सांडों को कितनी कितनी कीमत में कब और किसके द्वारा खरीदा ?

(ख) उन सांडों का वितरण किस तरह किया गया और वे सांड रोहट पंचायत समिति के किन किन पंचायतों की देखरेख में हैं और किन किन गांवों में उन्हें रख छोड़ा है ?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) चार सांड क्रमशः ११००, ११००, ८५० व ८०० रुपयों में पंचायत समिति द्वारा नियुक्त कमेटी द्वारा २७ जुलाई, सन् १९६० में खरीदे गये ।

(ख) तीन सांड ग्राम पंचायत कुल्थाना की देखरेख में हैं जिन्हें ग्राम बस्सी, कुल्थाना एवं देवादा में रखा गया है, व एक सांड ग्राम पंचायत रोहट की देख-रेख में पंचायत के मुख्य स्थान यानी रोहट पर रखा गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : तीन गांवों में तो तीन सांड और सारी पंचायत जिसमें करीब ७५ गांव हैं एक सांड रखने का क्या आधार है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ग्राम पंचायत कुल्थाना सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया है तीन सांड अलग अलग रखे गये हैं ।

अजमेर जिले में बढ़ी हुई सिंचाई-दरें

४८६. **श्री नारायणसिंह** (मसूदा) [श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) द्वारा पूछा गया] : Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

1. Whether Irrigation Rates have been enhanced in Ajmer District ? If so, of what category and what were the circumstances which compelled the Government to revise the former rates ?

2. Is the Government aware that every alternate year a famine or a scarcity is the normal feature in the Ajmer District and the former rates

(श्री नारायणसिंह)

were fixed in the context of the peculiar features of this District ?

3. Will these enhanced rates not aggrevate the condition of scarcity already prevailing and the poor economy of the local peasant, who does not even hold an economic holding ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां । प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के तालाबों की दरें बढ़ाई गई हैं । इन दरों को बढ़ाना इसलिये आवश्यक समझा गया, क्योंकि पुरानी दरें बहुत नीची थीं ।

(२) जो स्थिति अजमेर जिले में है वही लगभग सारे राजस्थान में पाई जाती है और पुराने तालाबों की दरें हर जगह बढ़ाई गई हैं ।

(३) जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ४८७

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

बुद्धसागर बांध (जिला कोटा) की डूब में आई काश्तकारों की भूमि का मुआवजा

४८८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या बुद्ध सागर बांध (अटरू, जिला कोटा) में कुछ काश्तकारों की भूमि डूब में आई है ? यदि हां, तो किन किन की तथा कितनी कितनी ?

(२) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को भूमि डूब में आई है, उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) बुद्धसागर तालाब के डूब में ३३ आदमियों की जमीनें आयी हैं, इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां । मुआवजे के कागजात कलेक्टर कोटा के पास एवार्ड देने के लिए भेजे हुए हैं जिसके आने पर मुआवजा चुका दिया जायेगा ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : डूब में कौन से वर्ष में आई ?

मन्त्री सिंचाई (श्री भीखाभाई) : डूब में आने का प्रश्न नहीं है, एवार्ड कलेक्टर ने नहीं दिया है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : गत चार वर्षों से उनकी जमीन डूब में आई हुई है । न उन लोगों को मुआवजा ही मिल रहा है और न जमीन ही बोने के लिये मिल रही है ।

श्री भीखाभाई : सेंक्शन में कोई देरी नहीं हो रही है वहां जल्दी करवाइये ताकि जल्दी काम हो जाय ।

रतनगढ़ पालिकाध्यक्ष द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जांच

४८६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि रतनगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा सन् १९५७–५८ व ५९ में सरकारी आदेशों के विपरीत रिटायर्ड कर्मचारियों को, ५५ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों व डिसमिस शुदा व्यक्तियों को बोर्ड की सर्विस में रखा गया था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त पालिकाध्यक्ष ने पूर्व ई० ओ०, श्री महावीरसिंह का पुराना वेतन व पी० एफ० की रकम अकारण लम्बे समय से बिना अधिकार रोक रखी थी व सरकार द्वारा इस विषय में दिये गये आदेशों की अवज्ञा की ? यदि हां, तो सरकार ने इनके विरुद्ध क्या एक्शन लिया ?

(ग) क्या यह सही है कि निर्देशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान ने बजट के विषय में पत्र संख्या २५२६ दिनांक ५–६–५९ व पत्र संख्या ४०५९ दि० ७–७–५९ व पत्र संख्या ६०४७ दि० १४–८–५९ लिख कर कुछ आवश्यक आदेश अध्यक्ष को दिये थे जिनका उन्होंने पालन नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या रतनगढ़ पालिकाध्यक्ष के विरुद्ध सन् १९५९ में बहुमत से एक अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था ? यदि हां, तो कब और क्या इस प्रस्ताव में इन पर लगाये गये आरोपों की सरकार ने आज तक जांच कराई ?

(ङ) क्या यह सही है कि पालिकाध्यक्ष ने ताल को आराजी राज की जमीन को बेच कर पट्टे जारी किये हैं ? क्या इस आराजी राज को बेचने के बारे में एस० डी० एम० कोर्ट रतनगढ़ व जिलाधीश चुरू के सम्मुख कोई प्रार्थनापत्र पेश हुए हैं ?

(च) क्या यह सही है कि चेयरमैन व ई० ओ० ने सन् १९५८–५९ में बोर्ड के बहुत से रेकार्ड को प्रमाणित प्रतिलिपि निःशुल्क सर्व श्री मोहनलाल सारस्वत, बजरंगलाल सारस्वत व श्री नातुराम को दी है जो उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार के विरुद्ध पेश रिटों में पेश की है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम):

(क) जी हां।

(ख) जी हां। राज्य सरकार ने उस समय के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से हटा दिया था।

(ग) यह सही है कि कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दिया गया था इसलिये कोई कार्यवाही जल्दी नहीं की जा सकी।

(घ) जी नहीं। जांच कराने का प्रश्न ही नहीं होता है।

(ङ) जी हां।

Page No.25

(श्री सम्पतराम)

(च) इसकी सूचना मंगवाई जा रही है ।

बीकानेर जिले की डिस्पेन्सरीज़ में स्टाफ का अभाव

४६०. **श्री रावतमल पारीक** (नोखा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर जिले में ऐसी कितनी डिस्पेन्सरीज़ हैं जिनमें डॉक्टर, लेडी डाक्टर व कम्पाउन्डर बिलकुल नहीं हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : केवल पलाना चिकित्सालय व मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र गंगाशहर में क्रमशः डाक्टर व लेडी डाक्टर नहीं हैं । अन्य स्टाफ मौजूद है ।

श्री रावतमल पारीक : क्या नोखा में ले लिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेडी डाक्टर की पोस्ट ही नहीं होगी ।

श्री रावतमल पारीक : मैंने आपसे रूबरू रिक्वेस्ट की थी कि डाक्टरनी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने जो सवाल पूछा था कि ऐसी कितनी डिस्पेन्सरीज़ हैं जिनमें डॉक्टर, लेडी डॉक्टर व कम्पाउन्डर बिल्कुल नहीं हैं ? मुमकिन हो, नोखा में कुछ न कुछ हो ।

श्री रावतमल पारीक : नहीं है, नहीं है, मैंने इसके लिये आपसे कहा भी था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन कर दिया, केवल पलाना को छोड़कर सभी जगह स्टाफ है चाहे उसमें डॉक्टर हो, डॉक्टरनी हो या कम्पाउन्डर हो, कोई न कोई तो है ही ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : वे वेकेन्ट पोस्ट के लिये चाहते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वेकेन्ट पोस्ट की जानकारी नहीं है । बीकानेर डिवीज़न में लेडी डाक्टरों की संख्या सबसे ज्यादा है ।

श्री भीमसेन : लूणकरणसर में पिछले साल से कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फिर भी दूसरी जगहों से स्थिति अच्छी है । बीकानेर के इलाके में बहुत ज्यादा डाक्टर्स हैं उनमें तो कमी करने का है, वहां का इन्तजाम बहुत अच्छा है ?

एक माननीय सदस्य : इसका क्या कारण है ?

श्री किशनाराम : क्या चूरू अस्पताल में भी लेडी डाक्टर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, बिलाड़ा

४६३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि बिलाड़ा, जिला जोधपुर में कोई कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है ? यदि हां, तो किस प्रकार की ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ और इस सोसाइटी के सदस्य कौन कौन तथा कब कब से हैं ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) इस सोसाइटी के पास कितनी कितनी किस किस प्रकार की भूमि है और यह भूमि कब कब और किस किस प्रकार से इस सोसाइटी को उपलब्ध हुई है ?

(घ) क्या यह सही है कि कुछ भूमि तनाजा में है और उस पर इस समिति ने जबरन कब्जा कर लिया है ?

(ङ) इस सोसाइटी की शेयर केपीटल कितनी है तथा इस सोसाइटी को कोऑपरेटिव बैंक आदि से कितनी कितनी रकम कब कब और किस किस कार्य के लिये ऋण पर मिली हुई है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

सहकारिता मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, यह सामुहिक कृषि सहकारी समिति है।

(ख) इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक २०-४-५६ को हुआ। सदस्यों के सम्बन्ध में सूची परिशिष्ट (५ अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) इसका उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (५ ब) में उपलब्ध है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) शेयर केपिटल ५०-६० है। ऋण के सम्बन्ध में सूची परिशिष्ट (५ ग) सदन की मेज पर रख दीगई है।

(कृपया परिशिष्ट ८ का उत्तर देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सूची के आइटम नंबर (२) पर जिस ११६ बीघा एरिया का जिक्र किया गया है इस सम्बन्ध में अदालत के अन्दर एक मामला चल रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे इसका ठीक पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति के जेल जाने का उल्लेख है उसी जमीन के सम्बन्ध में काबिज को मरडर कर दिया और उसके लिये जेल गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मामला अदालत के विचाराधीन है इसलिये इस जमीन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : आया यह मामला इसी जमीन के सम्बन्ध में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह नहीं कह सकता कि यह मामला ११६ बीघा के लिये या २५८ बीघा जमीन के लिये था। जमींन का टंटा जरूरी था, उसी पर झगड़ा हुआ और क्रिमिनल केस दायर हुआ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सहकारी समिति ने एक ऐसी भूमि पर अधिकार कर लिया जिसके ऊपर अधिकार प्राप्त

(श्री भैरोंसिंह)

करने का समिति को अथवा उसके किसी सदस्य को कोई हक नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि इसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है केवल पजेशन के बारे में ही झगड़ा हुआ और वह कोर्ट में है तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने कैसे कहा कि कोई तनाजा नहीं था। क्योंकि कोई झगड़ा ही नहीं था जब आप नहीं कह सकते कि किसका लीगल पजेशन था ?

नाथूराम मिर्धा : मैंने कब कहा ?

श्री भैरोंसिंह : आपने (घ) के उत्तर में कहा है, "क्या यह सही है कि कुछ भूमि तनाजा में है और उस पर इस समिति ने जबरन कब्जा कर लिया है ?"

श्री नाथूराम मिर्धा : तो तनाजा कोई सहकारी डिपार्टमेंट के पास नहीं था। हम तो यही कहेंगे कि तनाजा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसका कोई बोर्ड में फायदा उठाये कि कोई तनाजा नहीं था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे डिपार्टमेंट के नोटिस में नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : आपके डिपार्टमेंट में तनाजा नहीं है, क्या इस सम्बन्ध की आपके पास कोई सूचना आती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर हमारे पास में तनाजा हो और जमीन हमारे पजेशन में नहीं है, तो हमारे नोटिस में आता तो मालूम होता। सहकारी समिति को रजिस्टर कर लिया गया और उसके मेम्बर्स मौजूद हैं, अब कोई पर्टिकुलर पजेशन किसी का कहना था कि हमारा नहीं था और उनका कहना था कि हमारा है, इसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस जमीन का तनाजा था उस जमीन की सिक्योरिटी पर सरकार के कई डिपार्टमेंट्स ने उनको लोन दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे डिपार्टमेंट ने लोन दिया इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपने प्रश्न (ङ) के उत्तर में लिखा है कि लोन किस किस ने दिया उसकी तालिका (ग) है और लोन के अगेन्स्ट में जमीन को गिरवीं रखा है तो आपने पहले जांच की होगी कि उनका लीगल पजेशन है या नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंट के सामने जिस तरह के डाक्युमेन्ट्स चाहियें वह सारे डाकुमेंन्ट्स उन्होंने गवर्नमेंट के सामने पेश कर दिये।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

कृषि सहकारी समितियों का गठन

४७७. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर** (सीकर): क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) प्रदेश में कुल कितनी कृषि सहकारी समितियों का गठन हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) अब तक बनी हुई समितियों में से कितनी घाटे के कारण बन्द हुई हैं ?

मंत्री सहकारी विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) ७२६ समितियों का जिनकी सूची परिशिष्ट (६) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कोई नहीं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कितनी ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनकी फाइनेन्शियल स्थिति ठीक नहीं है, जो अभी चल रही हैं उनमें से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से तो सभी की ठीक है जो रजिस्टर हो गई और जिन्होंने काम शुरू कर दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इस प्रकार की जांच करवाई है कि जितनी भी सहकारी समितियां चल रही हैं उनकी अवस्था ठीक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, ऑडिट रिपोर्ट आती है उसी के हिसाब से कहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास।

चूंगी नियमों में संशोधन

४८०. **श्री अर्जनदास** (अजमेर-पश्चिम) श्रीमती प्रभा मिश्रा (पुष्कर) द्वारा पूछा गया]: Will, the Local Self Government Minister be pleased to state :—

1. When did the Ajmer municipal Council send to the Government resolution seeking amendment to the Octroi Rules ?

2. Has the Government taken any decision on it? If not, why ?

3. When is Government going to take a decision thereon ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): 1. The Ajmer Municipal Council senta resolution on 22-2-1960.

2. Rajasthan Octroi Rules have since been drafted and submitted to the Cabinet for approval. This would be applicable to all the Municipalities in Rajasthan.

3. The reply for No 2 covers this also. After the approval of the Cabinet rules will be applicable.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह केबिनेट में कब तक हो जायेगा ?

Page No.29

श्री सम्पतराम : I cannot give any definite date, but as early as possible.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

(११. ५६ म. प.)

मांग संख्या ११

श्री जगदीप्रसाद माथुर ।

ध्यान दिलाने सम्बन्धी सूचना-प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक कॉल अटेन्शन नोटिस दिया था....

श्री अध्यक्ष : उसके लिए आपको सूचना दे दी गई है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेटमेंट के लिए तो कल ही दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष : सूचना मंगाई है, नोटिस के ऊपर निर्णय दिया जायेगा ।

मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७- न्याय-प्रशासन

(पूर्व क्रम से)

[इस मांग पर आज निम्नांकित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत हुए :—

डॉ० बहादुरसिंह :

(२) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (सस्ता व जल्दी न्याय प्राप्त हो, इस पर वाद-विवाद करने हेतु) ।

श्री चन्दनमल वैद :

(५) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर बहस करने हेतु)।

(६) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (शीघ्र न्याय मिलने की व्यवस्था पर बहस करने हेतु) ।

श्री तनसिंह :

7. Demand No. XI, major Head 27-Administration of Justice be reduced by Re. 1/-(to discuss the separation of the Judiciary from the Executive).

रावराजा श्री सरदारसिंह :

8. Demand No. XI, Major Head 27-Administration of Justice be reduced by Re. 1/-(to discuss for the convenience and administration of Justice, people of Tehsil Deoli, District Tonk be placed under the jurisdiction of Civil and Additional Sessions Judge,Tonk and not under the Munsiff Magistrate, Malpura).

डॉ० चन्द्रकला :

(६) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने पर बहस करने हेतु)।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

(१०) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने पर बहस करने हेतु)

श्री सोहनलाल भटनागर :

11. Demand No. XI, Major Head 27-Administration of Justice be reduced by Re. 1/-(to discuss the pay scale of Addilional District and Sessions Judges).

12. Demand No. XI, Major Head 27-Administration of Justice be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the Government in not filling the vacant posts of Munsiffs and Civil Judges).

श्री महेन्द्रसिंह पंवार :

14. Demand No. XI, Major Head 27-Administration of Justice be reduced by Re. 1/-(to discuss the necessity of more speedy, cheap and impartial Administration of Justice at all levels).

श्री मुरलीधर व्यास :

(१५) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने पर बहस करने हेतु)।

श्री सम्पतराज जैन :

(१६) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में मुन्सिफी व मजिस्ट्रेटियों की कमी पर बहस करने हेतु)।

(१७) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार द्वारा जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय प्रदान करने में असफल रहने पर बहस करने हेतु)।

(१८) मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन में १) रु० की कटौती की जाय (अधीनस्थ न्यायालयों में अंग्रेजी के बढ़ते हुए प्रयोग पर बहस करने हेतु)।]

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : (पूर्वक्रम से) अध्यक्ष महोदय, मैंने कल अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मांग की थी कि आज १३ वर्ष होने के बाद भी जिस प्रकार का संविधान में निर्देशन है कि कार्य विभाग और न्याय विभाग को अलग किया जाये इसमें असफल रहने या इस कार्य को नहीं करने के सम्बन्ध में आज तक कोई इस प्रकार का सरकार की ओर से तर्क नहीं दिया गया कि इस प्रकार के कौन से कारण उपस्थित हुए हैं राज्य के अन्दर कि जिनके कारण हमने यह कार्य नहीं किया है।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यदि हम दूसरे राज्यों की अवस्था को देखें तो हमारे प्रान्त का दुर्भाग्य है कि जिसका नम्बर इस कार्य करने में सबसे अन्त में आता है। अन्य प्रान्तों में यह काम हुआ है लेकिन हमारे प्रान्त के अन्दर इस दृष्टि से अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है। केवल एक काम जो कि मैंने कल बताया था कि पंचायतों के स्तर तक हुआ है और वह यह कि हमने केवल विकास पंचायतों और न्याय पंचायतों को अलग–अलग करने का काम किया है और इस कार्य विभाग और न्याय विभाग को अलग नहीं करने की वजह से हमारी सरकार को ऐसा कौन सा लाभ होता दिखाई देता है सो भी हमें नहीं मालूम होता है। कोई बड़ी आतंक की अवस्था हमारे यहां हो गई हो या बहुत विस्फोटक अवस्था यहां पैदा हो गई हो जिससे यह सरकार अपने अधिकारों को नहीं छोड़ना चाहती है, प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को अपने हाथों में रखें, इस प्रकार की कोई अवस्था हमारे प्रान्त में नहीं दिखाई देती है। प्रान्त में शान्ति की अवस्था है और कहीं भी झगड़े या झंझट नहीं दिखाई देते हैं जिससे कि सरकार अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए केवल एक ही कारण दिखाई देता है और वह यह कि सरकार राजनीतिक कारणों से अपने हाथों में यह अधिकार रखना चाहती है, सरकार की यह मन्शा है कि जिन लोगों के ऊपर जब भी समय आये, अपने हथियार का उपयोग करना चाहे तो सरकार की मर्जी आये जिस प्रकार से कर ले। यह मन्शा मुझे अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे दिखती है।

पिछली बार हाईकोर्ट का आन्दोलन चला था उस समय इस हथियार का जिस प्रकार से उपयोग किया गया उसका नतीजा, अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ? सब जानते हैं कि साल–साल भर तक मुकदमे नहीं सलटे लोगों ने आन्दोलन किया और लोग पकड़े गये। अगर न्याय विभाग और कार्य विभाग उस समय अलग–अलग होते तो मामलों का तुरन्त निपटारा हो जाता। कोई कारण नहीं था कि मामले साल–साल और डेढ़–डेढ़ साल तक नहीं सलट पाते। उस समय सरकार ने लोगों से कहा कि तुम भविष्य में इस प्रकार का काम नहीं करोगे और यदि काम करोगे तो जिस प्रकार से सरकार चाहेगी तुम्हें मुकदमों में तंग करेगी और आखिर में बहुत दिनों के बाद में सरकार ने मुकदमों को वापिस ले लिया। तो सरकार के पास में इस प्रकार का अधिकार रहा और उसका दुरुपयोग हुआ है; वर्ना जिन्होंने दोष किया उनको दण्ड मिलना चाहिए अगर दोष नहीं किया तो मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था। लेकिन साल भर तक उन मुकदमों को इस प्रकार से घसीटने का और उनको तंग करने का मतलब यह स्पष्ट है कि लोगों को राजनैतिक आधार पर दबाने की शक्ति को अपने हाथ में ले रखा है। बापना कमेटी बैठाई और उसने रिपोर्ट दे दी और साल भर से ज्यादा का समय हो गया सरकार ने कोई कार्यवाही उस पर नहीं की। या तो यह कहा जा सकता है कि विभाग इस काम को नहीं करना चाहता या फिर सरकार के पास समय नहीं है कि इस पर पूरा ध्यान दे। इसका कारण यह है कि हमारे जो मन्त्री महोदय हैं उनके पास पहले जितने विभाग थे उनके अतिरिक्त कुछ और विभाग भी दे दिये गये तो इतने विभागों को लेने के

(श्री जगदीशप्रसाद)

बाद इस विभाग के ऊपर कोई न्याय नहीं हो सकेगा।

(१२. ०० मध्यान्ह)

तो माननीय मन्त्री महोदय आज इतने विभाग आने के कारण जो काम उनको करना चाहिए वह नहीं कर सकते हैं, उनके साथ में पूरा जस्टिस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाय, अगर वे अलग-अलग नहीं हैं तो कम से कम उनके मन्त्री तो अलग-अलग रखे जायं। एक मन्त्री होने के कारण गड़बड़ी होगी। पुलिस विभाग भी आपके पास में है और न्याय विभाग भी आपके पास में है। पुलिस और न्याय का आपस में झगड़ा है। पुलिस मुकदमा दायर करती है और न्याय विभाग से लोग न्याय की आशा करते हैं। अपील भी आप ही करते हैं, फरयाद भी वही करते हैं और सुनवाई भी वे ही करते हैं। इसलिए जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिए उनके लिए कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है।

आज कल जितने भी यातायात विभाग के चालान होते हैं और जिस ढंग से चालान उस विभाग में होते हैं वह मैं कहता हूँ। उस विभाग के मन्त्री भी स्वयं गृह मन्त्रीजी हो गये हैं। तो यातायात विभाग में जिस प्रकार देश के अन्दर लोगों को परेशान किया जाता है, अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुभव है कि प्राइवेट मोटर वालों में जिनकी मोटरें एक्चुअली खराब होती हैं उनका चालान नहीं किया जाता है और पुलिस विभाग के लोग कुछ लोगों को जिनको कि वे परेशान करना चाहते हैं, उस दृष्टि से उनका चालान करते हैं, सज़ा भी उनको दी जाती है और जुर्माना भी उन पर किया जाता है उन अधिकारियों के कारण।

एक दफा मैं आ रहा था। अजमेर से मोटर चल रही थी। प्राइवेट मोटर थी। बहुत अच्छी मोटर थी। उस मोटर की सीकर और दूसरे जिलों में जो मोटर बसेज़ चलती हैं उनसे तुलना की जाय तो वह मोटर एक नम्बर थी। उस मोटर के टायर का नम्बर नहीं मिलता है तो नम्बर नहीं मिलने के कारण तत्काल हो किसी प्रकार की सुनवाई किये बगैर ही वहीं चालान किया पुलिस ने और चूंकि मजिस्ट्रेट महोदय भी वहीं खड़े थे, तुरन्त साथ ही साथ जुर्माना कर दिया। उनको कोई फरयाद करने का, कोई गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया। उसी मजिस्ट्रेट ने चालान किया और उसी मजिस्ट्रेट ने फैसला कर दिया। इस प्रकार से फैसला हो गया। लोगों से कहते हैं कि सस्ता न्याय देंगे, ठीक ढंग से न्याय देंगे, इस प्रकार की बात नहीं दिखाई देती है। वहीं मुकदमा दायर किया और वहीं फैसला दे दिया। यह हो सकता है कि जिस प्रकार से राजाओं के समय में हुआ करता था कि तुरन्त ही तुरन्त फैसला दे दिया जाय। वह एक बात तो अच्छी है कि तुरन्त मुकदमा दायर किया और फैसला कर दिया। लेकिन हमने दूसरा प्रावधान किया है कि लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, इस प्रकार के मामलों में, यातायात विभाग में जो आज किया जाता है, मोटरों का जो

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

चालान किया जाता है, उसके अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जाती है और उसके कारण से, अध्यक्ष महोदय, लोगों में बड़ा असंतोष हैं। इस सम्बन्ध में यह अच्छा होता कि अदालत में वे मामले रखे जाते।

दूसरा, मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट बनाने का जो प्रयत्न किया गया है उसको कुछ स्थानों में लागू किया गया है। इस प्रयत्न को सब स्थानों पर लागू कर दिया जाना चाहिए। इसमें सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। आज, अध्यक्ष महोदय, जितने भी इस प्रकार के मुन्सिफ और सिविल जज हैं उनके सम्बन्ध में कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है कि इन अधिकारियों ने गड़बड़ की है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे एस० डी० एम० और एस० डी० ओ० किसी को जमानत पर छोड़ देते हैं, किसी को बन्द कर देते हैं। इस बारे में उनके खिलाफ आये दिन शिकायतें आती हैं, क्योंकि इनका सीधा सम्बन्ध मन्त्री महोदय से होता है और न्यायालयों का सीधा सम्बन्ध हाई कोर्ट से होता है। हाई कोर्ट से सम्बन्ध रखने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों की पहुँच, उनका दबाव इन तक नहीं हो सकता है इसलिए वे स्वतन्त्र हैं। उनके वेतन के सम्बन्ध में, उनके प्रमोशन के सम्बन्ध में वे कुछ कर सकें, वहां उन अधिकारियों के सम्बन्ध में शिकायतें मिलती हैं कि वहां पर अन्याय होता है। अन्याय की कहीं शिकायतें आती हैं तो उन अधिकारियों के कारण से आती हैं और वह इस कारण से आती है कि उन पर प्रशासनिक अधिकारियों का प्रभाव होता है। पिछली पंचायतों के चुनाव में हमने देखा है कि जितनी भी गड़बड़ियां की हैं वे मजिस्ट्रेट, एस० डी० एम० या एस० डी० ओ० ने की हैं। इतनी गड़बड़ियां की हैं वह इसलिए की हैं कि कभी रेवेन्यू मिनिस्टर का टेलीफोन जाता है तो कभी माननीय गृह मन्त्रीजी का टेलीफोन जाता है या उनके निर्देशन से कलेक्टर पर दबाव होता है और कलेक्टर चाहे उस ढंग से उनसे काम करवाता है। इसलिए आज उन अधिकारियों के प्रति जनता में विश्वास नहीं है। वे विश्वास नहीं करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वे ठीक ढंग से न्याय दे सकेंगे। आज जो राजनैतिक वातावरण देश के अन्दर है उस राजनैतिक वातावरण के कारण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में विश्वास उठता जा रहा है। इस उठते हुए विश्वास के अन्दर न्याय विभाग उनके पास में रखते हैं तो इससे यह आशा नहीं है कि ठीक ढंग से न्याय मिल सकेगा। ये नेता लोगों के प्रभाव के अन्दर रहते हैं।

पिछले दिनों, अध्यक्ष महोदय, यहां तक हुआ कि जो एस० डी० एम० मजिस्ट्रेट थे उनको हमारी सरकार ने क्या किया कि बी० डी० ओ० बना दिया। जो मजिस्ट्रेट न्याय करता है, जिस व्यक्ति के पास में न्याय का काम दिया जाता है उसको बी० डी० ओ० बनाते हैं तो वह प्रधान के अन्डर में चला जाता है। जिस प्रकार से प्रधान कहता है उसके कहे हुए को मानना पड़ता है। पिछले दिनों अभी २५ इस प्रकार के एस. डी. एस. को बी० डी० ओज० बना दिया गया। यह कोई बात नहीं थी कि शुद्ध रूप से बी. डी.-ओ. रखे जाय तो रखे जा सकते हैं। हम मान सकते हैं कि नेता लोगों का या जो

(श्री जगदीसप्रसाद माथुर)

सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं उनका किसी प्रकार का उन पर दबाव नहीं रहेगा ? आज वे उनके अन्डर में हैं, उनके दबाव में रहते हैं। विकास अधिकारी को वापिस एस. डी. एम. या एस. डी. ओ. बनाया जाता है और न्याय करने के लिए बैठा देते हैं तो कल वह बी. डी. ओ. था और प्रधान या जिला प्रमुख के नीचे काम करता था आज न्याय करने के लिए बैठता है तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह उस प्रधान के प्रभाव को, जिसके अन्डर में उसने काम किया है, जिस प्रधान ने उसको अनुचित लाभ दिया है, जिस प्रधान से मिल कर उसने कई ऐसे कार्य किये हैं जो कि अनुचित थे, टाल सके ? जिस प्रधान का असर उस पर है, दबाव उस पर है उसकी बात को जब वह मजिस्ट्रेट बनता है तब कैसे टाल सकता है ? वह प्रधान उससे अनुचित काम कैसे नहीं करायेगा ? वह निश्चित रूप से उससे अनुचित काम करायेगा। उस प्रधान का उस पर कोई न कोई असर है तो वह असर आज भी काम करेगा।

आज तक तो हम यह कहते आये हैं कि न्याय विभाग को और प्रशासन विभाग को अलग–अलग कर दिया जाय। लेकिन हमने तो प्रशासन और न्याय को मिलाने के साथ विकास विभाग को भी इसमें मिला दिया है। हमने पंचायतों में न्याय पंचायतें और विकास पंचायतें अलग–अलग की हैं, लेकिन हमने यहां विकास अधिकारी को भी मिला दिया है। प्रशासनिक और न्याय विभाग के अधिकारियों को मिलाने के कारण अधिकारियों के मन के अन्दर डर बैठ गया है कि आज वे मजिस्ट्रेट या एस० डी० एम० हैं, कल उनको विकास अधिकारी बनाया जा सकता है और आज वे रेवेन्यू मिनिस्टर के आदेश को मानने से इन्कार करते हैं या माननीय मुख्य मन्त्रीजी के आदेश को नहीं मानते हैं तो उनको विकास अधिकारी बनाया जा सकता है। विकास अधिकारी तो पुलिस अधिकारियों को भी बनाया गया है। इन अधिकारियों को विकास विभाग में भेजते हैं तो सारे के सारे अधिकार जितने मन्त्री मंडल के सदस्य हैं, या मंत्रिमंडल के कार्यकर्ता हैं या सरकारी पक्ष के कार्यकर्ता हैं; उनका डर है। कल उनको स्थानान्तरित करके विकास अधिकारी बना दिया जायगा, यदि उन्होंने मन्त्रीजी या उनके पक्ष के लोगों के कहने के अनुसार किसी को सजा नहीं दी, किसी की जमानत लेकर नहीं छोड़ा तो। इसलिए उनको डर रहता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष रूप से अपने विवेक को काम में लेकर फैसला नहीं करेंगे। यदि इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी तो, अध्यक्ष महोदय, इसका उपयोग राजनैतिक कारणों में लिया जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्रीजी जिस प्रकार से बापना कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को अमल में लायें या केन्सिल कर दें। बापना कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वह किसी काम की चीज नहीं थी, जो संविधान के अन्दर डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अन्दर कहा गया है उसकी राजस्थान के अन्दर किसी प्रकार से मान्यता नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो कोई निश्चित तिथि बतायें या १०–१५ साल का और समय लेने वाले हैं ? उस समय हम यह कर सकेंगे।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तो, अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस ओर काम करें अन्यथा जनता के मन में आपके बारे में और आपके कार्य के बारे में एक शंका का वातावरण उत्पन्न होता जा रहा है जिसका निराकरण करना आपके लिए आवश्यक है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७–न्याय प्रशासन में एक प्रस्ताव है कि सस्ता और जल्दी न्याय प्राप्त हो।

अध्यक्ष महोदय, आज न्याय को प्राप्त कराने के लिए जो स्थिति बनती जा रही है उस सम्बन्ध में कुछ आंकडे हैं उससे हम देख सकते हैं कि हमारी जो रेवेन्यू की इनकम है उसके अन्दर स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन के अन्दर ५१ और ६१ में अन्तर काफी पाते हैं। इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि न्याय कितना मंहगा हो गया है। वह ५६.३४ लाख से अब १३६.५० लाख है। मैं केवल इसके बारे में इतना कहना चाहूँगा कि हम जो न्याय आज देखते हैं वह इस प्रकार से है कि चाहे कोई कत्ल का केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो, सारे के सारे केस के बारे में हम इतने धीरे बढ़ते हैं कि वास्तविक रूप से जो दोषी होता है वह सामान्यतः बहुत ही कम सज़ा प्राप्त कर सकता है। मैं एक दो केसेज़ की नजीर नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूँ कि कई केसेज़ काफी प्रसिद्ध होते हैं, स्टेट इम्पोर्टेन्स के केसेज़ होते हुए भी इन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है और केसेज़ को काफी लम्बा कर दिया जाता है। लम्बा होने से उसके अन्दर जो वास्तविक दोषी लोग हैं उनको काफी राहत मिलती है और वे लोग अपने बचाव के लिए गवाहों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आज जो कोर्टस के बारे में कहा जाता है, मैं समझता हूँ, यदि छोटी सी एक शायर की बात मैं बता दूं तो ज्यादा अच्छा होगा :–

"न्याय नीलाम पर है आज यारो,
खरीदे जिसका जी चाहे।"

आज इस तरह की स्थिति है कि न्याय को खरीदने के लिये हमको काफी पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार से हमारे जितने कोर्टस हैं, हाईकोर्ट का ही केस ले लीजिये, आज मैं उस चेप्टर में तो नहीं जाना चाहता जिसको लेकर आन्दोलन किया गया था लेकिन उस मांग को कि जयपुर में हाईकोर्ट को बेन्च हो, मैं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि यदि किसी स्टेज पर धौलपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि स्थान हैं वहां के लोगों को न्याय पाने के लिये हाईकोर्ट में जाना पड़ता है तो उन्हें जोधपुर जाना पडेगा। जोधपुर के बारे में यह कहा जा सकता है कि दूसरे स्थानों के लोग भी वहां आते हैं। लेकिन यदि नजीर देखें तो केरल जैसी छोटी स्टेट में भी दो बेन्चेज हैं, और भी स्टेट्स में कई बेन्चेज़ हैं। तो हमें भी गंभीरता से सोचना चाहिये कि किस प्रकार हमें उच्च न्याय सस्ता मिले। एक व्यक्ति जो नीचे की अदालतों में जाता है और उसके बाद किसी प्रकार से खुशामद करके, राजी करके कचहरी में न्याय पाने की आशा करता है और फिर भी उसे संतोष नहीं हो तो उसे उच्च न्यायलय में जाना पड़ता है और जोधपुर जाने से

(डॉ० बहादुरसिंह)

यातायात पर भी बड़ा खर्चा आ जाता है तथा समय भी बहुत लगता है।

इसी प्रकार के दूसरे मामले हैं, उन पर भी इसी तरह से सोचना चाहिये। मैं दो, एक और बातें रखना चाहता हूँ, हालांकि कटौती प्रस्ताव में नहीं हैं। बाड़ी में मुंसिफ की जगह थी। छोटा स्टेट होने पर भी हमारे यहां बाड़ी और धौलपुर में मुंसिफ कोर्ट्स थीं, लेकिन अब बाड़ी से मुंसिफ की कोर्ट तोड़ देने से दूर के लोग जैसे सरमथुरा और बाड़ी के लोग हैं उनको धौलपुर आने में परेशानी हो जाती है। इसी तरह से दूसरे स्थानों की भी यही स्थिति बनती है। कहा जाता है कि केसेज़ नहीं होने के कारण मुंसिफ की जगह तोड़ी गई हैं। लेकिन न्याय कोई दूकान नहीं है। इस अदालत से कितनी आय होने वाली है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सरकार का कर्त्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति को सस्ता न्याय मिले, अच्छा न्याय मिले, शुद्ध न्याय मिले और निश्पक्ष न्याय मिले। इसलिये अदालतों के बारे में यह नहीं सोचना चाहिये कि उसमें कितने केसेज़ हैं। किसी न्यायालय में कम केसेज़ हैं, बहुत सुन्दर, लेकिन जितने भी केसेज़ हैं उनके लिये कोर्ट का होना आवश्यक है। मैं और जगह की बात न करके अपने यहां की बात करूंगा। ए० डी० एम० का कोर्ट भरतपुर में होने से कुछ परेशानी होती है। हालांकि यह व्यवस्था है कि धौलपुर वे आते हैं लेकिन हमको इस संबंध में वहां के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये यह करना चाहिये कि सेपरेट व्यक्ति की नियुक्ति कर दें जो केवल जुडिशियरी के बारे में रहे और सारे केसेज़ सुनता रहे। केवल इतना करने से भी लोगों को काफी लाभ होगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि हम इस बात के लिये वचनबद्ध हैं कि न्याय लोगों को सस्ता मिले, अच्छा मिले, इसलिये मैं चाहता हूँ कि हमारे हाई कोर्ट की कम से कम एक बैंच जयपुर आनी चाहिये और इसी प्रकार से मुंसिफ कोर्ट्स जो पहले छोटे छोटे स्थानों पर भी थीं जैसे बाड़ी और दूसरे कई स्थानों पर थीं, किन्तु जो समाप्त करदी गई हैं उन्हें पुनः चालू करना चाहिये और जो खर्चा अधिक पड़ता है जैसे स्टेम्प्स ड्यूटी वगैरा बढ़ादी हैं उनको कम किया जाय। न्याय पाने में कम से कम खर्चा पड़े, इस बात का ध्यान रखना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री चन्दनमल वैद।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा एक कटौती प्रस्ताव बहुत ही मशहूर मसले पर है जिसे हम कहते हैं, "Separatoin of Judiciary from the Executive."

इस विषय पर मैं समझता हूं, काफी बहस सारे देश में हो चुकी है और हमारे संविधान में यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि इस देश में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है। संविधान में आर्टिकल ५० में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स

(श्री चन्दनमल वैद)

के रूप में इसको स्थान दिया गया है और सिद्धान्त मान लिया गया है ।

जब संविधान बन रहा था तब ऐसा कहा जा रहा था कि ३ साल की अवधि इसलिये रखी जानी चाहिये कि सारे स्टेट्स को यह कह दिया जाय कि तीन साल की अवधि में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाय । लेकिन उस समय यह आर्ग्यूमेंट रखा गया कि यदि तीन साल की अवधि रखेंगे तो बहुत सी स्टेट्स इस बात का सहारा लेंगी और न्यायपालिका को कार्य–पालिक से अलग नहीं करेंगी । इसलिये यह सोचा गया कि अवधि नहीं रखने से शायद तीन साल से पहले ही यह काम हो जायगा । लेकिन स्टेट्स की सरकारों ने इसका दूसरी तरह से फायदा उठाया । अवधि निश्चित नहीं करने के कारण ३ साल तो क्या कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने १० साल से भी ज्यादा अर्सा हो जाने पर भी जुडिशियरी को एग्ज़ी-क्यूटिव से अलग नहीं किया ।

इस विषय में मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् १६५२ में आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ही इस तरफ कदम उठाये जा रहे हैं और कदम यह उठाया गया कि सन् ५२ में आश्वासन दिया गया था और सन् ५८ में एक कमेटी नियुक्त की गई जो बापना कमेटी के नाम से मशहूर है और उसको यह कहा गया कि तुम स्कीम दो कि किस प्रकार से हम जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से अलग कर सकते हैं । ७ साल बाद तो कमेटी नियुक्त हुई, जिसने एक साल बाद रिपोर्ट दी और उसको रिपोर्ट दिये हुए भी आज दो साल हो जायेंगे, किन्तु इस बारे में अभी तब कोई निर्णय नहीं लिया गया । संविधान में जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, फिर भी राजस्थान ने इस मामले में किस प्रकार ढिलाई की, यह सोचने की बात है । मैं यह नहीं मानता कि यह राजस्थान सरकार के बूते के बाहर की बात हो या सरकार इस तरह का कार्य करने के योग्य न हो । लेकिन मैं यह समझता हूं कि शायद सरकार यह समझती है कि यह काम करने से लॉ एन्ड ऑर्डर पर भारी असर पड़ेगा या खर्चा बढ़ जायेगा । लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिन स्टेट्स में इसे अमल में लाया गया है उनका जो अनुभव है वह इस पक्ष में है कि इन चीजों को लाने से शान्ति-व्यवस्था पर बुरा असर नहीं पड़ा है । अब तक जिन स्टेट्स ने इसे लागू किया है उनमें से मद्रास, बॉम्बे, गुजरात, केरल, मैसूर, और भी कई स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने पूर्णतया कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया है । मद्रास ने तो यहां तक किया कि सन् ५२ में जब कई डिस्ट्रिक्ट्स में यह व्यवस्था लागू हो चुकी थी उस समय सन् ५२ में उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसमें एक हाई कोर्ट के जज थे और एक मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड के थे और दो वरिष्ठ अधिकारी थे । काफी जांच पड़ताल के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी थी और वह रिपोर्ट यह थी कि जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से अलग करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर बुरा असर नहीं पड़ा है । दूसरी बात उन्होंने रिपोर्ट में यह कही कि सारा काम बखूबी हो रहा है और उसको चेन्ज करने की जरूरत नहीं है या वापिस पुरानी स्थिति लाने की जरूरत नहीं

(श्री चन्दनमल वैद)

है। चौथी बात उन्होंने यह कही कि इस कार्य से न्याय जल्दी मिलने में काफी आसानी हो रही है। इस कार्य को करने से न्याय काफी जल्दी मिलने लगा है।

माननीय अध्यक्ष, मैं सदन की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि मद्रास में जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें उन सारे केसेज़ की रिपोर्ट हाई कोर्ट के पास भेजनी पड़ती है जो दो महीने से ज्यादा से चल रहे हैं यानि जिनका फैसला दो महीने से पहले खत्म नहीं हो गया है उन केसेज़ की रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए यह आश्चर्यजनक बात होगी की दो महीने में फौज़दारी का फैसला हो जाय, जब कि राजस्थान में दो-दो साल तक बहुत सारे फौज़दारी केसेज के अन्दर फैसले नहीं होते। यहां पर एक साल, दो साल तो मामूली चीज है। मद्रास में नियम है कि जिनका फैसला दो महीनों में नहीं किया है हाईकोर्ट के पास उनको रिपोर्ट भेजी जाय। इस तरह से जिन स्टेट्स के अन्दर इस सिस्टम को लागू किया है वहां इस चीज का काफी फायदा उठाया गया है और बहुत सी खराबियां आज न्याय में घुस रही हैं उनको दूर किया है। दूसरी तरफ जब इस सिस्टम को लागू कर देते हैं तो यह सोचें कि कहीं लॉ एण्ड ऑर्डर पर इसका असर न पड़ जाय, खर्च के ऊपर कोई असर न पड़ जाय: मैं समझता हूं कि ऐसा सोचना कुछ गलत होगा। खर्च के विषय में मैं निवेदन कर दूं कि बापना कमेटी ने विस्तार से इसका वर्णन किया है। उसके अलावा, मैं समझता हूं, मुश्किल से पांच लाख, छः लाख के खर्च का फर्क पड़ता है। जहां कि बापना कमेटी ने कहा है कि सौ से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर ज्यादा रखने पड़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स हैं, उनमें ७० ऑफिसर कम हो जायेंगे। इस तरह से तीस, पैंतीस, चालीस ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी और एक साल में करीब पांच लाख रुपये का ज्यादा खर्चा पड़ेगा। मैं समझता हूं जनता को जल्दी न्याय दिलाने के लिए पांच लाख, छः लाख का खर्चा कर सकें तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे राज्य का बजट इतना बड़ा है कि उसमें पांच लाख, छः लाख बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है, जो देश में माना जा रहा है, उसको अमल में लाने के लिए पांच लाख, छः लाख रुपया खर्च करें तो मैं समझता हूं ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, एक बात जो इस सिलसिले में ध्यान में नहीं रखते हैं, वह यह है कि आज हमारे जूडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास प्रशासन का इतना काम है कि उनको फुरसत नहीं रहती, इस कारण जनता को न्याय देर से देते हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है, कि दो साल तक फैसले नहीं होते हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है कि न्याय देर से देते हैं, क्योंकि उन्हें वे सारे काम करने पड़ते हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी को करने पड़ते हैं। आज फ्लड आ गया, आज टिड्डी आ गई, फिर म्यूनिसिपेलिटी के चुनाव आ गये, फिर पंचायत के चुनाव आ गये। इतने कामों में लगे रहते हैं कि रोजमर्रा टूर पर जाना पड़ता है, दूसरे–दूसरे कामों में फंसना पड़ता है। इस कारण से वे न्याय की तरफ ध्यान नहीं दे सकते और रोजमर्रा, एडजोर्नमेन्ट होता

(श्री चन्दनमल वैद)

रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो गांव के लोग वहां गवाही देने के लिए जाते हैं, दावे के लिए जाते हैं उनको निराश लौटना पड़ता है। एक तरफ तो इन गवाहों के कारण खर्चा पड़ता है, जो गवाह आते हैं उनकी गवाही नहीं होती तो उनको खर्चा देना पड़ता है, दूसरी तरफ जिन मुकदमों के फैसले एक महीने में, दो महीनों में हो जाने चाहिए वे साल तक खिंचते चले जाते हैं। इस तरह से लोगों को परेशान किया करते हैं। आज किसी न्यायालय में चले जाइये, यही सुनने को मिलेगा कि चार पेशी हो गई लेकिन गवाही नहीं हुई। मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बॉदरेशन है, विधान सभा के सदस्यों के लिए सबसे बड़ी बॉदरेशन यह हो रही है कि लोग हमारे पास सिफारिश के लिए आते हैं....मजिस्ट्रेट से कह दीजिये, गवाही जल्दी हो जाय, सुनवाई जल्दी हो जाय। वे यह नहीं कहते कि यह कह दीजिये कि फैसला हमारे फेवर में कर दें। मैं समझता हूं इससे लोगों को परेशानी होती है पांच-पांच, छः-छः बार पेशी में आते हैं, लेकिन मुकदमे में सुनवाई नहीं होती।

दूसरी, तरफ मैं समझता हूँ कि मजिस्ट्रेट का कुसूर नहीं है, क्योंकि कभी वह पंचायतों के वार्ड्स बना रहा है, कभी म्यूनिसिपेलिटी के वार्ड्स बना रहा है, कभी रिलीफ का काम चल रहा है, उसमें लगा हुआ है, कभी अकाल पड़ गया, उसमें लगा हुआ है। ये सारी चीजें हैं, जिनमें वह उलझा रहता है और न्याय की ओर ध्यान नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय, इसके पहलू और भी हैं। जब न्याय करवाना चाहते हैं तो ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो न्याय में रमें हुए हों, जिन्होंने अपने सारे केरियर में शुरू से अन्त तक न्याय का काम किया हो। आज किसी ऑफिसर को माइन्स में भेज रहे हैं, कल सोशल वैलफेअर डिपार्टमेंट में भेज रहे है, तीसरे दिन न्याय विभाग में भेजते हैं। वहां वह छः महीने भी काम नहीं कर पाता कि उसको बन्दोबस्त में या सैटलमेंट के काम में भेज देते हैं। तो जो ऑफिसर तीन-चार दफा एक साल में बदलता रहता है, उसको जुडिशियरी का क्या ज्ञान हो सकता है, न्याय के सिलसिले में क्या एटीट्यूड हो सकता है, यह आसानी से अन्दाज लगा सकते हैं। इस तरह से ऑफिसर को बदलते चले जाते हैं, गवर्नमेंट बराबर उनको एक-एक स्थान पर रखती चली जाती है, पहले सैटलमेंट में, फिर सोशल बोर्ड में, फिर माइन्स डिपार्टमेंट में, फिर वह न्याय की कुर्सी पर बैठता है। उससे क्या आशा नहीं कर सकते कि न्याय देने में देरी करे? इन चीजों को देखते हुए यह जरूरी है कि हम लोगों को जल्दी न्याय दे सकें, अच्छा न्याय दे सकें, उसके लिए यह जरूरी है कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करें। हमारे मन में यह गलत भावना बनी हुई है कि जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव को अलग करने के बाद हमारे हाथ से मजिस्ट्रेट निकल जायेंगे, शांति और व्यवस्था बिगड़ जायगी और खर्चा बढ़ जायगा। मैं कहना चाहूँगा कि मद्रास ने इस स्कीम को सक्सेसफुली लागू किया है। उनका अनुभव है कि इससे शांति और व्यवस्था में बाधा नहीं पहुँची है। जहां तक खर्च का सवाल है, मैं समझता हूँ कि पांच लाख,

(श्री चन्दनमल वैद)

छः लाख का खर्चा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है । मैं समझता हूँ, यह रकम उसमें से निकल आयेगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कम हो जायेंगे । इसके साथ हो जो फालतू रूप में खर्च कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता का लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है, मैं समझता हूँ, वह बच जायेगा और इस तरह पांच, छः लाख का खर्चा करेंगे उसमें जनता को न्याय जल्दी और अच्छा मिल जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि काफी समय हो गया, जब आश्वासन दे दिया गया था इस विधान सभा में । इनके अलावा डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं विधान के, हमने एक कमेटी मुकर्रर कर दी, उस कमेटी की रिपोर्ट आई उसे दो साल हो गये । अब काफी वक्त हो गया, इसलिए इस बात को निश्चित रूप से जाहिर करें और जल्दी से जल्दी न्याय-पालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम बढ़ायें ।

एक माननीय सदस्य : आप भी डिप्टी लॉ मिनिस्टर थे ।

श्री चन्दनमल वैद : उस समय किया काम खिंचता रहा है ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव न्याय-पालिका से कार्यपालिका को अलग करने का है। मैं इस सम्बन्ध में, पूर्व वक्ताओं ने जो दलीलें दी हैं उनको दोहराना उचित नहीं समझता । मैं यह समझता हूँ कि जितने व्यवहारिक दृष्टिकोण से न्याय–पालिका को कार्यपालिका से अलग करने को आवश्यकता है उतनी की उतनी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की आवश्यकता है । प्रजातंत्र का मूलभूत सिद्धान्त है, उसमें केवल जनता को समान अवसर मिले, यही नहीं है। जनता को विकास का समान अवसर मिले, यह पर्याप्त नहीं है, जनता को न्याय मिले, यह पर्याप्त नहीं है । बल्कि यह अनुभव होना चाहिए कि जनता को समान अवसर मिल रहा है, यह अनुभव होना चाहिए कि जनता को न्याय मिल रहा है । इससे जनता को न्याय में विश्वास होगा और प्रजातंत्रवाद में आस्था बढ़ेगी । मेरा निवेदन करने का अभिप्राय यह है कि आपके शासन और आपके पहले वाले शासन में अन्तर क्या है ? यदि लोग यह कहें कि हमारा राज्य है, तो जाकर किसी गली में चलते हुए आदमी को पकड़िये और पूछिये तुम्हारा राज्य कहां से आ गया ? मैं समझ नहीं पाता कि एक आदमी भी इस पक्ष में हो सके । क्योंकि अगर वे आन्दोलन चलायें, हल्ला मचायें तो बदले में उनको लाठी चार्ज और गोलियां मिलती हैं । वह इस सब को इसलिए ही बर्दाश्त करता है कि केवल उसको मनोवैज्ञानिक संतोष मिला है कि राज्य हमारा है । महज इस संतोष के कारण वह आपका साथ निभा रहा है । आप इस मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर ध्यान नहीं देंगे तो उस व्यक्ति के प्रति ही अन्याय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिन्दुस्तान में जो प्रजातंत्र-वाद है, उसके प्रति आप अन्याय कर रहे हैं । यही कारण है कि जिस पर प्रजातंत्रवाद सफल हो सकता है । अगर लोगों की आस्था उठ गई तो उसका परिणाम आपको और हमको, अन्य लोगों को भुगतान पड़ेगा ।

(श्री तनसिंह)

आज अगर देखा जाय तो इस समय डेमोक्रेसी, प्रजातंत्रवाद जमाने में फैल रहा है और उसमें एक सबसे बड़ा सिद्धान्त है, रूल ऑफ लॉ, न्याय का शासन, कानून का शासन। कानून की नजर में एक बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी बराबर है। यह नारा है, लेकिन इस नारे के आधार पर आप कह दीजिये कि हमारी न्याय में आस्था है और इसलिए हमने यह व्यवस्था कर दी है कि अदालत में बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा आदमी, सबको आना पड़ेगा। इससे सारी समस्या हल नहीं होती, हल तब हो सकती है जब आपकी जो न्याय व्यवस्था है वह न्याय व्यवस्था किसी और यंत्र से संचालित न होकर न्याय से संचालित हो। इस दृष्टिकोण से आपकी न्याय व्यवस्था ठीक प्रकार से न्याय संचालन कर रही है तो मैं समझता हूं कि हमको संतोष मिल सकता है। आज यदि देखा जाय कि राजस्थान में रूल ऑफ लॉ है या और कुछ है, तो मैं समझता हूं कि यहां रूल ऑफ एक्ज़ीक्यूटिव है, रूल ऑफ पुलिस है या और कुछ भी कह सकता हूं लेकिन रूल ऑफ लॉ होना और बात है। रूल ऑफ लॉ तब हो सकता है जब छोटे से छोटा, सम्पन्न से सम्पन्न, मामूली से मामूली आदमी जो कोई भी न्याय प्राप्त करना चाहता है और किसी भी बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ न्याय प्राप्त करना चाहता है तो उसको समान अवसर मिले न्यायालय में जाने का और उसको सुविधा मिलनी चाहिए। आज पुलिस को इतना अधिकार है कि रास्ते चलते किसी आदमी की मिट्टी किरकिरी कर सकते हैं। इस हाउस के सम्बन्ध में हम ऐसे कामों के बीच में फंसे हुए हैं, जिनका उत्तरदायित्व है जनता में और इस विधान सभा में जनतंत्र-वाद को फलने–फूलने के लिए ठीक प्रकार से सच्चा और बैस्ट विरोध करें। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं होती तो इधर बैठनेवाले हैं, हमें अपने बेंतों के द्वारा चाट डालते कोई न कोई; लेकिन हम बच किसलिए रहे हैं क्योंकि यहां की परम्परायें हैं उन परम्पराओं के कारण अपने को सुरक्षित मानते हैं। यह सुरक्षा नहीं होती तो हमारे दिमाग में नहीं रहती सुरक्षा और हिचक होती कि बाहर पहुँचते पहुँचते कोई कबाड़ लें जायेगा, उड़ा ले जायेगा। मेरा निवेदन करने का अभिप्राय है कि यह सुरक्षा जनता को भी मिलनी चाहिए, हमको ही नहीं सामान्य नागरिक को भी मिलनी चाहिए।

आज आप देख लीजिये, पुलिस के विरुद्ध, पुलिस के बड़े अफसरों के विरुद्ध बोलना, उनका विरोध करना कोई मामूली बात नहीं है। कल-परसों माननीय राजस्व मंत्री बोल रहे थे कि भांभियों से बेगार ली जाती है तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री की निगाह में पटवारी एक छोटा सा नाचीज़ पुर्जा है उनको शासन की मशीनरी का, पर भांभी के लिये वह साक्षात् यमदूत है, वह उसकी खिलाफत करके अदालत में चला जाय, यह असंभव है। हां, वह तभी अदालत में जा सकता है जब कि उसे पूरा विश्वास हो जाय कि अदालत में उसे न्याय मिलेगा। मैं अपनी ही बात निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे एक बार दफा १२४ ए. में गिरफ्तार किया गया, एस.-पी. ने मजिस्ट्रेट से १२४ ए. में वारंट हासिल

(श्री तनसिंह)

करके गिरफ्तार किया । विरोध करने में मैं अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करता हूँ और यदि मुझे कोई कहे कि तुम सरकार के विरोधी हो तो मुझे इसमें कोई लज्जा अनुभव नहीं होगी, पर मुझे यदि कोई कहे कि तुम देशद्रोही हो तो मुझे इसमें लज्जा अनुभव होगी और हर नागरिक इसमें लज्जा अनुभव करेगा । १२४ ए. देशद्रोह का अपराध है । दूसरे दिन मुझे अदालत में पेश किया तो मैंने अदालत में सवाल उठाया कि १२४ ए. में गिरफ्तार करने से पहले राज्य सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक है । दरअसल स्वीकृत ली हुई नहीं थी, इसलिये अदालत द्वारा मुझे छोड़ दिया गया । मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया कि पुलिस वाले चाहें तो मजिस्ट्रेट साहब दस्तखत कर दें, पर जो काम करता है उसका उत्तरदायित्व उस पर है । अतः मुझे इजाजत दी जाय कि मैं उन एस. पी. के खिलाफ मुकदमा पेश करूं । राज्य सरकार मुझे इतल्ला देती है कि उसने यह सब गुड-फैथ में किया था । आपके इस गुड–फैथ में मेरा तो कचूमर निकल गया....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : पूरा नहीं निकला ।

श्री तनसिंह : और आप आराम से गुड–फेथ की भावना को लेकर चल सकते हैं। अदालत अपने आप निर्णय कर लेती है कि गुड फैथ था या बैड–फैथ था या नैग्लिजेंस थी । तो जनता के प्रतिनिधि एम. एल. ए. के साथ इस प्रकार की कार्यवाही की जाय और सरकार कह सकती है कि हम मुकदमा करने की इजाजत नहीं देंगे तो सामान्य आदमी की तो सुनता ही कौन है ।

गृह मंत्री जवाब देंगे तो कहेंगे कि हमारी पुलिस का मजिस्ट्रेसी के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है कि पुलिस उस पर हावी होती हो ।

मुझे आपके सामने कुछ तथ्य रखने हैं । एक एस. पी. साहब थे और उन एस. पी. साहब ने किसी व्यक्ति पर मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा किया था । वह व्यक्ति बरी हो गया और मजिस्ट्रेट साहब की गुस्ताखी इतनी हुई कि जिस पुलिस ऑफिसर ने मुकदमा किया था उस एस. पी. पर ५० रुपया जुर्माना कर दिया । यह आश्चर्य की बात है कि एस. पी. साहब पर एक साधारण मजिस्ट्रेट ५० रुपया जुर्माना कर दे....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : इसका मतलब है कि न्याय ठीक है ।

श्री तनसिंह : अजी, आगे देखिये कैसा ठीक है । मैं उस आदमी की तारीफ करूंगा कि उसने हिम्मत की । लोगों ने सुना तो इस बात की सराहना की कि मजिस्ट्रेट साहब ने बड़ी हिम्मत की । पर इसके बदले में एस. पी. साहब कलेक्टर साहब को लैटर लिखते हैं, नम्बर २०३। २०-६-५७ को : "I am constrained to bring to your notice a case in which the First Class Magistrate, Barmer, has shown unreasonable attitude towards Police. The attitude of the First Class Magistrate cannot by any stretch of imagination be called reasonable and judicious. It is sheer malice. I further request you kindly to look into the matter personally and prevail upon the Magistrate

(श्री तनसिंह)

to take reasonable attitude in such matters so that the relation between the police and the magistracy may remain cordial."

अब यदि एस. पी. के स्थान पर कोई सामान्य आदमी होता और उस पर जुर्माना होता तो उसका रास्ता दूसरा था, वह अपील करता; पर पुलिस के अफसर के पास कलम है, चलाई और कह दिया कि जरा महरबानी करके इन मजिस्ट्रेट साहब पर प्रिवेल करें, दबाव डालें कि अपने दिमाग को ठीक रखें ताकि पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच में सामन्जस्य बना रहे। उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब ने एक दफा जब एस. पी. साहब की जीप जा रही थी, बिना लाइसेंस के ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उस जीप में कोई सरकारी आदमी नहीं, एस. पी. साहब के रिश्तेदार थे वह मजिस्ट्रेट साहब कलेक्टर के चार्ज में थे तो उन्होंने उस ड्राइवर को पूछा कि लाइसेंस भी है कि नहीं, सरकार की जीप गाड़ी कैसे प्रयोग में लाते हो? उस ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था। मजिस्ट्रेट साहब ने ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर को लिखा कि अमुक अमुक व्यक्ति को अमुक दिन गाड़ी चलाते देखा, उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसकी जांच की जाय और आवश्यक हो तो चालान करें। जाब्ते की बात थी। ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर ने जाकर पूछ–ताछ करनी शुरू की तो उस ट्रान्सपोर्ट इन्सपेक्टर को लिखते हैं :

"In the end, I may again warn you that if you happen to do any further act in compliance of the illegal order even by the so-called Collector, both of you shall be proceeded against legally for malicious and vexatious act."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था है तो माननीय गृह मन्त्री कह सकते हैं कि यह न्याय की व्यवस्था है, यह कहने को उन्हें स्वतन्त्रता है, वे चाहे जो कह सकते हैं, पर यह पुलिस की व्यवस्था है, रूल ऑफ पुलिस, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता।

इसके अलावा हमारे सामने दलील पेश की जा सकती है कि हमारे सामने आर्थिक कठिनाइयां हैं, इससे बढ़ कर हमारा मुंह बंद करने का और कोई रास्ता नहीं। यदि यह कहें कि शराब से हमें पैसे की आमदनी होती है, इस लिये नशाबन्दी नहीं कर सकते, अनिवार्य शिक्षा आर्थिक कठिनाई के कारण लागू नहीं कर सकते, कार्यपालिका और न्यायापालिका को अलग करने के लिये पैसे की आवश्यकता है, पैसे के बिना नहीं कर सकते, तो मैं यह कहूँगा कि आप इतने मामलों में टैक्स लगाते रहे हैं तो इस मामले में भी टैक्स लगा सकते हैं। यदि आप वास्तव में इस प्रकार के निर्णायक हैं कि हम विरोध के लिये करते हैं, वैसे इसमें कोई तथ्य नहीं है; पर ये तो मूल भूत चीजें हैं, लोगों को संतुष्ट करने के लिये ही नहीं; बल्कि इसलिये भी कि प्रजातन्त्रवाद फले फूले। इसके लिये आप टैक्सेज़ लगा सकते हैं और यह काम कर सकते हैं और जैसे और टैक्सेज़ के लिये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिये टैक्सेज़ लगाते हैं इन इन कार्यों को करने के लिये तो आप इस कार्य के लिये भी टैक्स लगा कर

(श्री तनसिंह)

यही कह सकते हैं। यह तो मूलभूत चीज है, इसके लिये टैक्स लगा सकते हैं।

दूसरी, लॉ एण्ड ऑर्डर की बात की जा सकती है। अब तो हमारे गृह मन्त्री विनोबा भावे बन रहे हैं, जहां जायं लोगों की आत्माएं बदल जाती हैं, विचार पलट जाते हैं। बाड़मेर गये और बीसों डाकू सरेंडर हो गये। माननीय गृह मन्त्रीजी का इतना प्रभाव हो गया कि दिग्दिगंत तक आपका यश फैल रहा है, सारे डाकू आपकी शरण में आ रहे हैं सरेंडर हो रहे हैं। तो अब तो लॉ एण्ड ऑर्डर को बात ही क्या करनी है। गृह मन्त्रीजी को ज्यादा से ज्यादा दौरे करने चाहिये ताकि इस प्रभाव के घेरे में जो भी डाकू आयें आत्म–समर्पण कर दे।

आपके पास तो अच्छी से अच्छी तरकीब निकाली हुई है। ऐसी तरकीब में अब तो कोई लॉ एण्ड ऑर्डर की शिकायत नहीं हो सकती। इसके अलावा जो भी आपके मर्डर और डेकोइटीज़ के केसेज़ हैं वे भी घटते जा रहे हैं। अगर आप इसको अलग अलग नहीं करना चाहते तो आप यह भी नहीं कहते कि हम अलग नहीं करेंगे। क्योंकि आप ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे विधान में हमको अधिकार दिया है, उसमें डाइरेक्शन दिये हैं। विधान में बहुत से डाइरेक्शनस हैं। विधान में देखा जावे तो हमको बहुत सुरक्षाएं दी गई हैं और जब तक वे हमको वास्तविक रूप से नहीं दी जाती हैं तो उनका मूल्य कोई नहीं रहता। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया है कि इस सम्बन्ध में विषयों का हल करने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिये। यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिस पर हम बहस करते जावें और मामले को टालते रहें। अब तक आपको समय की आवश्यकता थी और इतने समय में जो काम आपको करने थे वे आप कर चुके हैं। आपको १०, १२ या १५ साल के करीब हो गये हैं और अब तो आपने ठीक तरह से गाड़ी को चलाने की व्यवस्था कर ली है। इन सब बातों को देखते हुए मैं माननीय मन्त्री महोदय से आशा करता हूँ कि कम से कम वे इसके लिये एक निश्चित समय या तारीख निश्चित करलें कि इस तारीख तक हम अन्तिम निर्णय ले सकेंगे। जिससे हमको यह मालूम हो जाए कि हमें इतने दिनों बाद यह चीज़ मिल जाएगी। जैसा अभी बताया गया कि सन् १९५२ में सरकार ने हमको आश्वासन दिया था और उन्होंने सन् ५६ में इसके लिये कमेटी बनाई। हमको इस बात की भी खुशी है कि एक आश्वासन ६ वर्षों पहले दिया गया, ६ वर्षों में पूरा होता है तो भी ठीक है; आखिर आश्वासन को सरकार पूरा तो करती है। ऐसा तो न हो कि आश्वासन कहीं आश्वासन ही न रह जावे। आखिर ६ साल बाद भी कमेटी बैठी और उसने अपनी रिपोर्ट दी तो सही। इससे हम यह तो विश्वास करें कि हम अभी तक ५ या १० वर्षों तक दुबके हुए बैठे रहें, उसके बाद होगा।

यह तो सभी जानते हैं कि आज के समय में पुलिस के साथ बैर करना और कलेक्टरों के साथ बैर करना बड़ी टेढ़ी खीर है। आज तो उन लोगों के लिये जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनके लिये बहुत अच्छी बात है। आज मैं यह कहूँगा कि उनके तो पत्थर तैरते हैं और

(श्री तनसिंह)

विपक्षियों की नावें भी डूब जाती हैं । उधर के लोगों की तो मैं यह कहूँगा कि पांचों उंगलियें घी में हैं और सिर कड़ाई में । लेकिन परेशानियें तो हमारे लोगों की हैं । अगर उनके खिलाफ एक शब्द भी कहा जाता है तो उनकी हालत खराब कर दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, हमारे उधर ४ लाख या ५ लाख रुपयों का तस्कर सोने का मामला और घोटाला हुआ । उसके लिये मैंने आवाज उठाई थी । उसके बाद में जब इन्क्वायरी वगैरह चलने लगी तो मैंने यह सजेशन दिया कि अदालत में आपको जाना है तो आप जाइये वर्ना आप मेरे कमरे में बैठ जाइये मैं उन लोगों को बुलाता हूं और उनसे यह कहता हूं कि आपका समझौता करा लें । सीधा थानेदार कह देता कि इतने रुपये दे दें । आप संतोष करके चुपचाप बैठ जावें, बाकी का सब काम मैं कर लूंगा । मगर इन्क्वायरी करने वालों के दाढ़ में कहीं कंकर होता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उल्टा हमें मूर्ख बाजना पड़ा । हम मूर्ख कहलाये । मगर मैं यह कहूँगा कि जिस मजिस्ट्रेट ने ऐसा किया वह समझदार लोगों में नहीं माना गया । वह वहां से थोड़े ही दिनों बाद रिवर्ट हुआ और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से तहसीलदार हो गया । यह हो सकता है कि किसी दूसरी गल्तियों के कारण उसको तहसीलदार बनाया गया हो । मगर दूसरी गल्तियों से भी उसको तहसीलदार बनाया गया तो इतना जल्दी क्यों बनाया गया ? एक महीने के बाद में उसका रिवर्शन हुआ है । पब्लिक की नजरों में वह गिर गया और पब्लिक के हर आदमी ने यही कहा कि चलते हुए सांप पर इसने पैर क्यों दिया ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि विरोधी दल वालों का काम ही सांपों के बिलों में हाथ डालना और उनको पकड़ना है । अगर हमारे पास सुरक्षा की संजीवनी नहीं हो तो मैं यह कहूँगा कि हम विरोधियों की तो मौत ही है । हम तो हर वक्त मौत से खेलते ही हैं और सुरक्षा कानून हमको शिवजी की तरह भगवान् बन कर बचाता रहता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि आज किसी भी थाने में कोई भी मन्त्री महोदय अन्य भैष बदल कर जावें और मैं आपको वहां की एग्जेम्पल क्या दूं आप और हम दोनों आपस में लत्थमपुत्था होकर पिट पिटकर कर चले जावें और वे यदि नहीं पहिचाने तो आपको मालूम होगा कि वहां की क्या हालत है ? वहां तो तीन लोकों से मथुरा न्यारी है । वे तीन लोक के एकाधिपति भगवान ही हैं । उनका वहां पर दिमाग का क्या पारा होता है और वे यह समझते हैं कि हमारे यहां पर कोई प्रजातन्त्र और रूल ऑफ लॉ है ही नहीं । वे तो वहां अन्धाधुन्ध जो चाहते हैं वैसी बातें करते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमको इस तरफ ध्यान देना चाहिये और जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक यह जनतन्त्रवाद पनपेगा नहीं और जब तक कोई भी आप योजना करें अगर उसमें विरोध विरोधी दल द्वारा ठीक तरह से नहीं किया जावेगा तो आपको सही स्थिति का पता नहीं लगेगा । डेमोक्रेसी में विरोधी दल का बहुत बड़ा महत्व है । एग्जिक्युटिव और जुडिशियरी को सेपरेट करने से उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मांग संख्या ११, मेजर हैड २७ पर कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

"to discuss for the convenience and administration of Justice, people of Tehsil Deoli, District Tonk, be placed under the jurisdiction of Civil & Additional Sessions Judge, Tonk and not under the Munsif Magistrate, Malpura" पहले देवली तहसील डि० टोंक में थी जिसका ताल्लुक पहले टोंक अदालत से था वहां से हटा कर अब उसका सम्बन्ध मालपुरा से कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हर व्यक्ति सस्ता और सुलभ न्याय चाहता है । जब भारत स्वतन्त्र हुआ और राजस्थान का विलिनीकरण हुआ उसके बाद में ठिकानों को लिया गया । उस समय यह नारा लगाया गया था कि इस वक्त में कोई सस्ता न्याय लोगों को नहीं मिलता है ; हम आपको अधिक सस्ता न्याय देंगे । जब प्रजा ने सोचा कि हम कुंए के मेंढ़क की तरह से हैं, हमको एक महानद में मिल जाना चाहिये और जब हम महानद में मिल जावेंगे तो हमको न्याय सस्ता मिलेगा, सस्ती रोटी और सस्ता कपड़ा मिलेगा । लेकिन अध्यक्ष महोदय, देखना है कि हमें कहां तक सस्ता न्याय मिला है । हम देखते हैं कि आज-कल न्याय-व्यवस्था में भी पार्टी पोलिटिक्स चलने लग गई है । जब तक कोई मिनिस्टर किसी केस में इन्ट्रेस्ट नहीं लेता है तब तक तो न्याय अच्छा मिलता रहता है और जब कभी मिनिस्टर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने लग जाता है और अपने पुराने रसूकों का बदला निकालने के लिये प्रजा को इतनी तकलीफ देता है कि मैं आपको क्या अर्ज करूं, पुलिस का स्टेशन जो ४ मील पर ताल्लुक रखता था वहां से उसको हटा कर १५ या १८ मील का ताल्लुक कर दिया है । जिनसे अदालतों का ताल्लुक पहले था वे मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं, मगर मैं कहूंगा कि उनकी कृपा से अब उनियारा में न तो कोई मजिस्ट्रेट ही रहा है और न कोई तहसील ही रखी है । यह तो आपकी कृपा है कि सच्चे राम–राज्य लाने के लिये कुछ समय बाद आप यहां पर कोई पटवारी भी नहीं रखेंगे । वहां की प्रजा ही वहां की मालिक होगी और वही पैदा करेगी और खायेगी और पीयेगी । अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी । मगर हर एक आदमी के लिये इस बात की जरूरत होती है कि जब कभी कोई लड़ाई-झगड़ा हो जाता है तो आदमी दावा करते हैं । पहले तो आप देखिये कि टोंक में कन्वीनियेन्स थी । इसके अलावा जिस समय ठिकाना था उस समय वहां पर चार तहसीलें थीं और उनियारा में मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट भी रहते थे । डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज भी रहते थे । यहां तक कि उनियारा में जो कुछ उनको सुविधा थी उसके मुकाबले में आप आज नहीं कह सकते कि उनको अधिक सुविधा दी गई है । अब तो यहां तक हो गया है कि छोटे २ मामलों में भी जहां टोंक २४ मील पड़ता है, मालपुरा ६४ मील पड़ता है और उनको वहां पर जाना पड़ता है । उनको वहां पर भाग कर जाना पड़ता है । घर का काम छूटता है । ८-८ रोज उनको लग जाते हैं । मजिस्ट्रेटों का यह हाल हो रहा है कि बेचारे किसान तारीख पेशी पर जाते हैं, या तो अदालतों में मजिस्ट्रेट साहब को नहीं पाते और वे हुए भी तो वकील साहब आ गये तो तारीख पेशी दूसरी पड़ जाती है। काश्तकार के कारत का समय आ जाता है, बोअनी का समय आ जाता है । पहले सब

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

रियासतों में और ज्युरिस्डिक्शन ऑफ ठिकानाज़ में भी एक महीना खेती बोने के समय और एक महीना खेती को काटने के समय कोई तारीख पेशी मुकर्रर न करें, मजिस्ट्रेटों को ऐसी हिदायत थी और वे नहीं करते थे। अब तो यह हो गया है काश्तकारों को रोटी पैदा करने तक का मौका नहीं रहता है। इधर हल बो रहा है और समय उनके काश्त का है और उधर से तारीख पेशी का टाइम आ जाता है। वह भाग कर मालपुरा जाता है। उसको इस तरह से उधर आठ रोज लग जाते हैं। मंत्री महोदय से अर्ज करूं, हाउस से भी अर्ज करूं कि उस किसान का आठ दिनों में खेती का कितना काम छूटेगा। वह खेती से ८ दिनों में महरूम रह जायगा तो साल भर की रोटी से महरूम रह गया। मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि सस्ता न्याय देने के लिए प्रजा के सामने नारा लगाया था, लेकिन सस्ते न्याय को जगह न्याय इतना दुर्लभ क्यों बना दिया गया है। कॉम्युनिकेशन का भी तो ध्यान रखते। बहरहाल मालपुरा जाने के लिए टोंक जाना पड़ता है। दूसरा कोई जाने का जरिया नहीं। नक्शे को उठाकर देखिये तो सही। टोंक ही उनके लिए नजदीक पड़ता है और मालपुरा जाने के लिए भी उनको टोंक होकर जाना पड़ता है। यह उठा कर एलान कर दीजिये, हाउस में कर दीजिये, स्टेज पर कर दीजिये कि रावराजा साहब को बार बार वोट देते हो, इसलिए आपको तकलीफ देते हैं अदालतें भी हटा दीं। आप कह दीजिये। हमने तो प्रजा के लिए ऐसे २ त्याग किये हैं, हिस्ट्री को देख लीजिये, एम. एल. ए. हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : हमारे लिए तो फर्क पड़ जावेगा, एम. एल. ए. नहीं होंगे तो।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस वास्ते जनता को क्यों मारते हैं? मैदान में आकर हमसे लड़े। जनता तो अच्छे आदमियों को चुनना पसन्द करती है। आपने विकेन्द्रीकरण किया। यदि इनमें पोलिटिकल पार्टीज़ भाग न लें तो वे लोग अच्छे आदमियों को चुन कर काम करें। लेकिन रातों-रात जाकर, जनता के सच्चे आदमियों को न चुन कर, सरकार चाहती है उनको उन पर थोप देना।

श्री चन्दनमल वैद : इस वास्ते ही समिति में हार गये आप इस बार?

रावराजा श्री सरदारसिंह : यदि आप आश्वासन दे दें कि अदालतें कायम कर देंगे उनियारा आदि में तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। जबाब दें, हर वक्त तैयार हूँ। एलान तो करिये। मैंने इस विषय में प्रश्न भी किया था तो मिनिस्टर महोदय ने फरमाया था कि मालपुरा को सब–डिविजन बनाने के लिए यह किया है। खुशी की बात है कि मालपुरा को डिविजन बनाइये। वे वहां के मिनिस्टर हैं। उनकी कॉन्स्टिट्युएन्सी पीढ़ियों तक सुरक्षित हो जाय। तो डिविज़न तो क्या आप जयपुर से केपिटल हटा कर वहां कर दीजिये। जहां जनता को सुलभ न्याय मिलता था, उसको हटा कर मेरे वास्ते प्रजा को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? यह तो आप जरूर जानते हैं, आप कहते हैं कि उनियारा को जानता हूँ। वहां पर क्या क्या बातें थीं? अदालतें थीं उनको आपने हटा दिया। आखिर पार्टी पोलिटिक्स वहां के लिए खत्म करिये। फर्ज कर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

लें, तीसरी दफा भी मैं आ गया तो उनियारा को तो आप फिर नेश्तनाबूद ही कर देंगे। सोशयलिज्म का आप नारा लगाते हैं ! समान न्याय देंगे, समानता रखेंगे। यह तो असमानता हो गई। ज्यादा न कह कर यही कहूँगा कि आपने असमानता की; उनियारा, देवली की जनता के साथ। देवली की जनता का पुलिस और मजिस्ट्रेटी का ताल्लुक मालपुरा से किया। उनियारा में तो लावेंगे या नहीं लेकिन टौंक में तो रखें जहां से लोग वहां पर चौमासे में जा सकते हैं। सुबह अदालतों में गये और शाम को काश्तकार घर वापिस आ गया। यह चीज़ अब बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। प्रजा सब समझ गई है। आश्वासन क्या क्या देते थे और क्या कार्यवाही की ? अब आपका घड़ा भर गया है और फूटने वाला है। आप जल्दी से जल्दी चेत जाइये। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनियारा की जनता के साथ ऐसा हुआ, इसलिए कहा। बुरा लगा हो तो वापिस लेने में एतराज नहीं है।

(१.०० म. प.)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है और वह भी उसी भावना के समर्थन में है जो यहां प्रकट की जा चुकी है यानी न्याय पालिकाओं को कार्यपालिकाओं से अलग रखने के सम्बन्ध में।

यह हम सब जानते हैं कि न्याय–पालिका और कार्य-पालिका का एक रहना हमारे गुलामी के दिनों की एक याद है और इसकी बुराई को अव्वल से ही हमने पहिचाना था। इसीलिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इसे समाविष्ट किया था और आशा करते थे कि हमारी सरकार जल्दी से जल्दी न्याय–पालिका को कार्य-पालिका से अलग कर देगी। इसमें तो कई शक नहीं कि इसकी आवश्यकता तो हमारी सरकार भी महसूस करती है और जैसा यह बताया भी जा चुका है कि वह बहुत जल्दी धीरे २ उस दिशा में आगे बढ़ रही है। न्याय-पंचायतों का अलग निर्माण करके इस दिशा में कुछ कदम तो हमारी सरकार ने उठाये हैं। जहां तक न्याय पंचायतों में गांवों की जनता को न्याय देने का सवाल है वहां तो न्याय पालिका और कार्यपालिका को अलग करने से गांवों की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय हम दे सकेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने एक समाजवादी समाज–व्यवस्था का नारा दिया जिसका मूलभूत आधार है जनता को सुलभ और सस्ता न्याय दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन नहीं, यह हमारा विधान मंडल ही नहीं, बल्कि राज्य की एक एक जनता यह महसूस करती है कि उसको सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पाता है। यह कमी है। समाजवादी समाज व्यवस्था में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दी

(डॉ० चन्द्रकला)

से जल्दी न्याय पालिका को कार्यपालिका से अलग करना पड़ेगा और इसका कारण यह है कि इसके बिना हमारी आगे गति नहीं हो सकती। आज हम चारों ओर भ्रष्टाचार की बातें सुनते हैं। शासन में भ्रष्टाचार, पुलिस में भ्रष्टाचार और सब जगह भ्रष्टाचार की ही बातें सुनते हैं। उसका एक मूल कारण मुझे कम से कम जो लगता है वह यह है कि न्याय-पालिका और कार्य-पालिका एक है। अपराध करने वाला वही, उसको दंड देने वाला भी वही हो तो न्याय कभी संभव नहीं हो सकता है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ऐसा हम देखते हैं दिन प्रति दिन कि हमारे यहां न्याय के आसन से, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर से जनता को जो न्याय मिलता है उसको देखते हैं तो साधारण नागरिक भी यह महसूस करता है कि यह न्याय अच्छी तरह से मिल सकता है, अगर यह प्रभावित नहीं किया गया होता। आज हमारे न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले ऊपर नहीं उठ पाते हैं क्योंकि जिसके लिए वे न्याय करें उसके वे नौकर हैं। उसकी चोटी उसके हाथ में है और कहीं कहीं वह चोटी इशारे से हिलाई भी जाती है।

भ्रष्टाचार के कई मामले जब अदालतों में जाते हैं, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हों, उसके लिये प्रमाण सामने लाने होते हैं और वे प्रमाण मजिस्ट्रेट्स के सामने आते हैं, पर न्याय देने वाले प्रशासन के अधीन हैं, इस-लिये वे स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय नहीं दे सकते। उनको आगे—पीछे सोचना पड़ता है भूत और भविष्य को भी देखना पड़ता है। आखिर वह भी किसी न किसी का कृतज्ञ जरूर होता है उसी कृतज्ञता को सिद्ध करने के लिये वह न्याय का गला घोंट देता है। हर कदम पर हम यह महसूस करते हैं। आज हमें जो चारों ओर भ्रष्टाचार की पुकार सुनाई पड़ती है, भ्रष्टाचार द्वारा जो जनता का पीड़न हो रहा है उसका एक मात्र कारण है और वह भी मुख्य रूप से है न्यायपालिका का कार्यपालिका के अधीन होना। अगर इसको कार्यपालिका से अलग कर दिया जाय तो निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत अंश में कार्य हो सकता है।

आज पुलिस विभाग को ही ले लीजिये। आज पुलिस जिसको हम रक्षक समझते हैं लेकिन वे आज रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक बने हुए हैं। वे देखते हैं कि उनका सब कुछ सुरक्षित है, हम चाहे बुरा करें, भला करें, हमारी सुरक्षा है। कोई भी अपराध कोतवाली में रजिस्टर नहीं होता, क्योंकि वहां के जो अधिकारी हैं उनके वे कृपा—पात्र होते हैं। ऐसी हालत में हम आशा नहीं कर सकते कि वे हमें न्याय प्रदान कर सकेंगे या न्याय की रक्षा कर सकेंगे। आज हम जो कार्यरूप में देखते हैं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका में फर्क जो है वह हमारे सामने आता है। न्याय देर से मिलता है, इसकी शिकायत हो सकती है, लेकिन देर से मिलने वाला न्याय भी तो न्याय नहीं होता, जिस प्रकार के न्याय की कल्पना करते हैं वह न्याय न होकर अन्याय ही हुआ करता है जिसको जनता समय समय पर महसूस करती है। आज हम जब कि कल्याणकारी राज्य की बातें करते हैं, समाज-वादी समाज की बातें करते हैं और उसके साथ साथ जनता की सुरक्षा, संरक्षा और शान्ति व्यवस्था की बातें करते हैं तो हमारे लिये आवश्यक है कि हम जल्दी से जल्दी

(डॉ० चन्द्रकला)

कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करके जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने को दिशा में प्रयत्न करें। इसको हमारी सरकार शब्दों में स्वीकार करती है, सिद्धान्त को स्वीकार करती है, लेकिन कदम बढ़ाते समय जो हिचकती है उस प्रकार से उसको हिचकना नहीं चाहिये, जितना जल्दी हो सके इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में कदम उठाये। न केवल न्याय पंचायतों के मामले में, बल्कि हर क्षेत्र में न्यायपालिका को कार्यपालिका से एकदम अलग कर दें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्य ११, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन में एक रुपये की कटौती का मेरा प्रस्ताव न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने पर बहस करने के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस प्रस्ताव से सूचित होता है मेरी यह मांग है कि आज हमारे प्रशासन में जो न्याय और कार्यपालिका को एक में मिलाया हुआ है वह सिद्धान्त और सुविधा दोनों ही दृष्टि से उचित नहीं है। सिद्धान्त से मेरा अभिप्राय यह है कि एक तो सारे सभ्य संसार ने इसको स्वीकार किया है कि एक ही शक्ति के हाथ में अपराध लगाना और फिर अपराध का न्याय देना यह नहीं होना चाहिये। जिसको सभ्य संसार इन दोनों को पृथक मान चुका है। हम एक ओर शासन चला रहे हैं, मेरा मतलब कांग्रेस दल से है। यह सिद्धान्त आज से नहीं; जब कभी भी हमने विदेशी शासन के विरोध में आवाज उठाई थी, समय समय पर कई प्रकार की मांगे रखी थीं, कई प्रस्ताव स्वीकार किये थे, उनमें से यह भी एक प्रस्ताव था। समय आता गया, लेकिन अभी तक कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग नहीं कर पाये हैं। उस समय भी देश के स्वतन्त्रता–संग्राम के सैनिकों को यह भलीभांति अनुभव हो रहा था कि प्रशासन के पास जो शक्ति है, उसके अधिकार में जो न्याय है उससे हमें न्याय की आशा नहीं रहती है बल्कि वह न्याय न होकर अन्याय होता है। ऐसे कितने ही मामले आते थे, बड़े बड़े रिवोल्यूशनरियों के, क्रान्तिकारी लोगों के मामले आते थे जिनको उस समय की सरकार कुचलना चाहती थी लेकिन उच्च न्यायालयों में जाकर, स्वतन्त्र जुडिशियरी में जाकर वे लोग छूट जाते थे तो इस बात का प्रमाण उस समय मिलता था अगर न्याय विभाग सर्वथा पृथक हो तो उससे लोगों को सही न्याय मिल सकता है और इसी सिद्धान्त से प्रेरित होकर जिस समय हमारे देश का संविधान बना इस बात को सबसे पहले निर्देशक तत्वों में स्वीकार किया गया कि राज्य सरकार न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर दे। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि यद्यपि हमारी राज्य सरकार कई मामलों में प्रगतिशील होने का दावा करती है, भूमि सुधारों के सम्बन्ध में और भी कई समय समय पर ऐसी घोषणायें होती रहती हैं उससे बड़ी खुशी होती है। जहां तक इस सिद्धान्त का सम्बन्ध है जुडिशियरी एक्ज़ीक्युटिव से अलग हो, मुझे कुछ संकोच होता है इसको अनुभव करने में कि हमारी राज्य सरकार शायद कितनी ही सरकारों से पिछड़ी हुई है। इस मामले में प्रगतिशील होने का

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दाता वह क्यों नहीं कर रही है ? क्या ही अच्छा हो जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हो रहा है? और भी बड़े बड़े भूमि सुधार के कानून बनाये जा रहे हैं, शिक्षा में बड़ी प्रगति हो रही है और दूसरे तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, क्या राज्य सरकार इस दृष्टि से भी हमारा सिर ऊंचा उठाने के लिये प्रयत्नशील नहीं हो सकती कि हमारे राज्य के अन्दर न्याय और प्रशासन व्यवस्था सर्वथा एक दूसरे से पृथक हो जाय?

इसी तरह से में समझता हूँ सुविधा की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। जैसा कि कितने ही हमारे माननीय सदस्यों ने बताया, वास्तव में तथ्य है, हमें हमारे जिले के एस०-डी० एम०, कलेक्टर और दूसरी अदालतों से जो न्याय या अन्याय मिलता है और जो बहुत देरी से मिलता है उससे बहुत बड़ी असुविधा और कष्ट होता है। छोटे छोटे मामलों में उनको समय समय पर यह कहना पड़ता है कि उनकी तारीखें अदालतों की तरफ से बढ़ा दी जाती हैं तो जैसी कि एक अंग्रेजी में कहावत है :

"Justice delayed is justice denied."

अगर न्याय में देरी होती है तो वह न्याय न मिलने के ही समान है। जिसे किसी भी प्रकार के न्याय को हम दें वह न्याय जल्दी से दिया जाय। यह भी आम तौर पर होता है, खास तौर से पुलिस आदि के मामलों में जितनी देर होती है वे लोग पुलिस अधिकारी या दूसरे जिनके हाथ में जनता की चोटी दबी हुई है अगर मामलों में देरी करते हैं तो वे मामले कुछ कमजोर पड़ जाते हैं, सर्वथा बिगड़ नहीं जाते तो कमजोर जरूर पड़ जाते हैं। समय पर न्याय नहीं मिलने पर मामले बिगड़ते हुए अनुभव किये गये हैं। यह एक निश्चित बात है कि लोगों को अगर छोटी अदालतों से न्याय नहीं मिलता तो लोग बड़ी अदालतों में चले जाते हैं। कहा जा सकता है कि, खैर, अगर छोटी अदालतों में मामले बिगड़ते भी हैं, वहां न्याय नहीं मिलता तो सबके ऊपर हमारा उच्च न्यायालय मौजूद है और वहां से भी अगर कोई असन्तुष्ट है तो सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वह मौजूद है। मैं समझता हूँ, यह कहने में बहुत आसान है लेकिन व्यवहार में यह बहुत कठिन है। कम से कम आधे राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि उसको हाईकोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, जयपुर से हाईकोर्ट को हटाकर दूर एक कौने पर ले जाना जनता को न्याय देने से वंचित करना है; उसके समान है।

आज जब हम यह मांग करते हैं कि हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हों और उसमें भी सबसे बड़ी दलील देते हैं कि न्याय सस्ता और सुलभ हो तो मैं कहता हूँ कि छोटी अदालतें हारी हुई पार्टी की दृष्टि से अन्याय करती हैं तो उसका न्याय लेने के लिए उच्च न्यायालय अगर केन्द्रीय स्थान पर होता है, जल्दी जाने की सुविधा और साधन होते हैं तो वह समझ सकता है कि चलो छोटी अदालत से न्याय नहीं हुआ तो बड़ी अदालत से ले सकेंगे। लेकिन यहां यह और दिक्कत है। यहां पर एक समय

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

बेंच भी रखने की व्यवस्था की गई थी लेकिन वह भी व्यवस्था नहीं की गई। न्यायपालिका और कार्यपालिका इसलिए भी पृथक पृथक करना जरूरी है कि राज्य सरकार उन लोगों की दृष्टि से जिनके लिए कि हाईकोर्ट बहुत दूर पड़ता है वहां पर यदि न्यायपालिका होती हैं। पहले हर रियासत में, मुझे दूसरी रियासतों का तो ठीक तरह से पता नहीं, लेकिन भरतपुर के बारे में कह सकता हूँ कि वहां पर मुन्सिफ अलग होते थे और नाजिम अलग होते थे। इस तरह से कितने.ही मामलों में जुडिशियरी अलग होती थी, लेकिन आज वे लोग इस बात को अनुभव करते हैं। आज उनके सारे मुकदमे, सारे मामले या तो तहसीलदार, उसके ऊपर एस. डी. एम. या कलेक्टर के पास जाते हैं। यह तो मैं नहीं मानता कि वह अधिकारी रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, डरनेवाले, पक्षपात करनेवाले या रूरियायत करने वाले हों, ऐसा तो मैं नहीं मानता। मेरा विश्वास है कि हमारे बहुत से अधिकारी इस दृष्टि से ऊंचे हैं। लेकिन एक कमजोरी जो कि मनुष्य में कुछ स्वभाविक होती है वह कमजोरी भी कभी उनको न्याय करने में थोड़ा हिला देती है। उदाहरण के तौर पर यदि इस प्रकार के अधिकारी जो कि सत्तारूढ़ लोगों के शासन में बैठे हुए लोगों के किन्हीं ऐसे मामलों में उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते या उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते तो हो सकता है कि वह उनकी पदोन्नति नहीं दें, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकें, उनको दण्ड नहीं दें, लेकिन एक तबादला का ही मामला ऐसा होता है कि भरतपुर के आदमी को बाड़मेर भेज दिया जाता है तो उसको यह भी एक प्रकार की सजा ही लगती है, चाहे वह उसी पद पर वहां जाता है। तो इस दृष्टि से वह अपने उच्च अधिकारियों से कुछ न कुछ भयभीत होता है क्योंकि वह चाहता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं तो अपने डिविज़न में तो रहे। इसलिए उच्च अधिकारियों को प्रसन्न करने की चेष्टा वह करता है। हर दृष्टि से देखते हैं तो यह बहुत आवश्यक प्रतीत होता है, जनता में यह भावना भरने के लिए क्योंकि सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जनता यह समझे कि हमको न्याय मिलता है वह न्याय जो शेक्सपियर के शब्दों में देने वाला और जिसको दिया जाये, दोनों को ही 'ब्लेस' करता है, जिसको डिवाइन या ईश्वरीय देन कहते हैं जो कि मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। न्याय में किसी भी शासन में मनुष्य की आस्था नहीं होती है तो उस शासन को सुशासन नहीं कहा जा सकता।

आज जनता में इस भावना को भरने के लिए कि वह एक स्वतंत्र देश का नागरिक है और उसको किसी भी अधिकारी से डर नहीं है, वह समझता है कि अगर अन्याय होगा तो यह प्रजातंत्र न्याय का मन्दिर है और उस मन्दिर के अन्दर सच्चे रूप में परमेश्वर विराजमान हैं जहां कि न्याय मिलेगा, यह भावना स्वतंत्र देश के नागरिकों में होनी चाहिए। यह मैं मानता हूँ कि आज लोगों की कुछ आस्था कार्यपालिका में नहीं है तो यह विदेशी शासन की देन हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कुछ वे लोग जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, जो कि कार्यपालिका में होते थे और उनके ऊपर विश्वास नहीं होता था; कितने ही ऐसे मामले हैं।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

मुझे एक घटना स्मरण हो आती है। जिस समय महात्मा गांधी ने राजकोट के ठाकुर के यहां सत्याग्रह किया था उस समय के जो फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस सर मीरिस ग्वायर थे उनको उन्होंने पंच निश्चित किया था कि जो कुछ वह फैसला देंगे वह उन्हें मान्य होगा। क्योंकि महात्मा गांधी विश्वास करते थे कि न्यायपालिका का इतना उच्च अधिकारी होगा उसकी तरफ से न्याय ही मिलेगा और मुझे यह स्मरण है कि उसने जो कुछ भी निर्णय दिया था वह वही निर्णय था जिसको महात्माजी स्वयं माने हुए थे कि उनके पक्ष में वह उचित चीज है। तो इस दृष्टि से लोगों की पहले से ही भावना रही है और मैं कहता हूँ कि उस विदेशी शासन में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे। नहीं तो उस समय क्या भारतीय और क्या विदेशी चीफ जस्टिस होते थे, वे भी न्याय करते थे। इसलिए एक भावना बनी हुई है कि न्यायपालिका में जो लोग बैठते हैं वह सच्चा न्याय करते हैं और उसके अतिरिक्त जो कार्यपालिका में हैं शायद उस समय के अनुभव से ही ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उनके द्वारा वह शुद्ध न्याय नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। तो इन तमाम युक्तियों को कहने का अभिप्राय यह है कि राजस्थान सरकार से और विशेषकर जो इसके सम्बन्धित मंत्री महोदय हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से अन्य दृष्टियों से हमने राजस्थान को बहुत प्रगतिशील सिद्ध किया है, कितना अच्छा हो, जैसा कि किसी एक माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न उठाया भी था कि कम से कम आज इस कटौती मांग के प्रस्तावों के उत्तर में हमारे माननीय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि इतने समय के अन्दर अन्दर अवश्य ही यहां पर, सभी जगह पर, यह कहना तो ठीक है कि हमने पचास मुन्सिफ कर दिये, पच्चीस कर दिये, मैं चाहूँगा कि सभी जगह पर न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक पृथक होने की घोषणा कर दें जिससे कि लोग आश्वासित हों कि हमारे यहां पर शीघ्र ही न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक पृथक होने जा रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दो कटौती के प्रस्तावों में न्याय प्रशासन के मामले में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको बताने की कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के बाद नीचे की जुडिशिरी का स्तर इन दिनों में काफी गिर रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहां पर सीनियर सेशन्स जज रिटायर हो गए या दूसरे लॉ डिपार्टमेन्ट में या असेम्बली में चले गये और जो दूसरे लोग इसमें रह गये वे काफी इनएक्सपीरियेन्स्ड हैं। इसलिए यह महसूस किया जा रहा हैं कि उनका स्तर काफी गिर रहा है। दूसरा मुख्य कारण यह है कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वे सिविल एण्ड एडीशनल जज करते हैं और जो उनका अपोइन्टमेन्ट होता है जिनकी ७ साल की प्रेक्टिस हो, लेकिन जिस तरह के नियम हैं उनकी दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सिविल एण्ड एडीशनल जज की ग्रेड ५००-३०-७४०-३०-८००-५०-६०० है। हाईकोर्ट के जजेज़ की तनख्वाह काफी ठीक

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कर दी गई। लेकिन सिविल एण्ड एडीशनल जज की तनख्वाह डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज की तनख्वाह से बिलकुल आधी है क्योंकि उसका मेग्ज़ीमम १८०० का है और अगर हाई कोर्ट के जज का और सिविल एण्ड एडीशनल जज की ग्रेड का रेश्यो देखें तो वह १:७ का आता है।....

इस दृष्टिकोण से, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिविल एन्ड एडीशनल जजेज् का जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें कम से कम एक्सपीरियेन्स और अच्छे केलिबर के जो वकील हैं वे कोई नहीं आते हैं। गत वर्ष जो एक्ज़ामिनेशन हुआ, पोस्टें जितनी थीं वे २० थी, लेकिन ८-१० आदमियों ने खाली एप्लीकेशन दीं और एप्लीकेशन भी वे ही देते हैं जो इस प्रोफेशन में फैल्योर रहते हैं या कॉम्पीटेन्ट नहीं हैं। इस दृष्टि से वे ही फुलफिल नहीं होती हैं। तो, माननीय अध्यक्ष, मेरे खयाल से हाई कोर्ट ने भी इस बारे में कई दफा लॉ डिपार्टमेंट को लिखा है कि जो ग्रेड हैं उनको बढ़ाया जाय, यानी बुनियाद जो है हायर जुडिशियरी की वह सिविल एन्ड सेशन्स जज से है।

(१.२१ म.प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य,
उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस दृष्टिकोण से मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। इनकी ग्रेड को बढ़ाया जाय तभी कम से कम डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के केलिबर और उसके बाद हाईकोर्ट के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज जायेंगे उनका केलिबर अच्छा देखना होगा।

दूसरे कटमोशन के द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष, मैंने इस बात की कोशिश की है कि जुडिशियरी के अन्दर जो खाली जगह हैं मुन्सिफ और सिविल जजेज़ की इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि रिक्रूटमेंट समय पर नहीं होता है, जितनी जगह खाली होती हैं उनकी लिस्ट पहले से तैयार नहीं होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन को समय पर नहीं लिखा जाता है, बराबर उसका प्रचार नहीं किया जाता है। उसके बाद में लॉ डिपार्टमेंट में, असेम्बली डिपार्टमेंट में कई न्यू पोस्ट्स क्रियेट करते हैं वे भी इसी केडर में से लेते हैं। कई जगहें जो हैं राजस्थान के अन्दर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेटस की वे ६–८ महीने और एक साल से खाली पड़ी हैं। कुल जो मुन्सिफ की जगह हैं वे ७६ हैं और सिविल जजेज् हैं वे २७ हैं। लेकिन मेरे खयाल से कम से कम १० और १५ प्रतिशत तक हमारी ये पोस्ट्स अनफुलफिल्ड हैं। इस दृष्टिकोण से अलॉटमेंट में काफी दिक्कत हो रही है। पास का जो मुन्सिफ है वह कभी महीने, दो महिने में एक दफा जाता है और उनकी सुनवाई करता है। तो माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे जो जगह हैं खाली, उनको शीघ्र ही पूरा किया जाय और भविष्य में ऐसा तरीका रखा जायगा कि साल के पहले यह देख लिया जाय कि कि कितनी जगह खाली हुई हैं और कौन सा स्थान है जहां इस केडर के आदमी को भेजना हैं। अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि सेपेरेशन ऑफ जुडिशियरी की जाय जिससे सस्ता न्याय सुलभ हो सकेगा। लेकिन मेरे

(श्री सोहनलाल भटनागर)

ख्याल से आज जो पद्धति, जो सिस्टम वर्क कर रहा है उसको भी ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। आज एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के अन्दर हम देखते हैं कि कई जगह भरी जाती हैं और उसके लिए एमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट कर देते हैं। यहां पर पोस्टें बढ़ती नहीं हैं, बल्कि वहीं की वहीं हैं। इतना समय पर नहीं सोचा जाता है कि कितनी जगह खाली होने वाली हैं और इस तरह से भरती की जानी चाहिए जिससे कि भविष्य के अन्दर ऐसी दिक्कत नहीं होगी।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : मैं मेरा एक कटौती प्रस्ताव, श्रीमन्, न्याय के सस्ते, जल्दी और निष्पक्षतापूर्ण मिलने के महत्व और उसकी उपलब्धियों के सिद्धान्त पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए रखता हूँ।

वैसे तो, श्रीमन्, हम मानते हैं कि राज्य का एक प्रमुख कर्त्तव्य है कि वह न्याय व्यवस्था में जिस तरह भी हो सस्ती और निष्पक्षता उत्पन्न करे। किन्तु मैं इसको केवल एक कर्त्तव्य मानने से उसके महत्व को बहुत ऊंचा मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर न्याय की ऐसी व्यवस्था राज्य पैदा नहीं कर सकता जिसमें सर्वरूपेण जनता का विश्वास हो, उनकी श्रद्धा हो तो वह हमारी राष्ट्रीय एकता का हनन है। श्रीमन्, इतिहास हमें यह बताता है कि जब भी विप्लवों या क्रान्तियों के बाद सिविल गवर्नमेंट पैदा की जाती है, आर्मी और शस्त्रों की हुकूमत को समाप्त किया जाता है तब क्रान्तिग्रस्त देश के अन्दर फिर से राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने के लिए सबसे पहला कदम जो उठाया जाता है वह लोगों की प्रवृत्ति न्याय को अपने हाथ में लेने की नहीं हो और शासन से जो न्याय मिलता है उसके बारे में अश्रद्धा के भाव को मिटाने के लिए और शासन को न्याय प्रवृत्तियों में जनता में श्रद्धा उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है, क्योंकि यह बुनियादी सिद्धान्त माना जाता है कि जब राज्य की न्याय-व्यवस्था में जनता का विश्वास नहीं रहता है तो इसके अलावा जनता में न्याय का दूसरा मार्ग रहता है, शक्ति से न्याय को प्राप्त करें। इस प्रकार जनता के अन्दर अपने अपने शक्ति के गिरोह बनने पैदा हो जाते हैं और इसलिए ही आपने देखा होगा कि जहां कमजोर शासन व्यवस्थाएं रहती हैं वहां पर समाज का भिन्न भिन्न दलों में बंटना स्वभाविक हो जाता है। मैं तो एक प्रकार से कहूँगा कि भारतीय समाज के अन्दर जो जातियों की इतनी बड़ी व्यवस्था रही है, जगह जगह जातियों के गिरोह रहे हैं, आज भी हम मानते हैं कि हमारी राजनीति में सबसे ज्यादा घातक प्रभाव पड़ा है तो देश के जातिवाद और गिरोहवाद के कारण। वह राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है। यह परम्परा और यह चीज तभी उत्पन्न हुई है कि राजाओं के शासन क्षेत्र को हम सीमित मानते रहे हैं, राजा का समूचे जीवन पर शासन नहीं मानते रहे। जब कहीं लड़ाई हुई तो राजा लड़ने के लिए चला जाता था। शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना राजाओं का धर्म नहीं था। यह सब समाज के अपने हाथ की बात थी। समाज में जातिगत अपने २ गिरोह बने हुए थे, और जातियां न्याय करती थीं और अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए, कोई दूसरा हमलावर उनके ऊपर नहीं हो और किसी को न्याय नहीं प्राप्त करा सके,

Page No.56

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

इसलिए न्याय की जगह शक्तियों का प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति रही है । श्रीमन्, शासन व्यवस्था कैसी भी रही हो, न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है जब जनता का विश्वास न्याय में नहीं रहता है । तो ऐसी बातें जनता में आप समझ लें, एक प्रकार से क्रान्ति और विप्लव को पैदा कर रही हैं । मैं समझता हूँ कि वे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती हैं । इसलिए अपनी अपनी जाति और गिरोह बना कर अपनी शक्ति को संचित रखने की भावना को दूर रखा जाना चाहिए । इसलिए यह बुनियादी चीज है कि राज्य सरकार न्याय व्यवस्था के अन्दर जनता का विश्वास पैदा करें ।

इस दृष्टिकोण से, श्रीमन्, मैं इसका एकेडेमिक विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, मगर संक्षेप में यह कहना चाहूँगा कि आज की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में जनता की जैसी श्रद्धा होनी चाहिए उसके नहीं होने के क्या कारण हैं और उन मूल कारणों पर विचार करते हुए कुछ एक-दो सुझाव जो मेरी समझ में आये हैं, मैं समझता हूँ उनको बता दूं, ताकि आप उन पर सोचें और उस तरीके को, उस ढंग को निकालने की तरफ ध्यान लगायें, तो मुमकिन है कि बहुत कुछ उन बुराइयों को मिटाने में कामयाब हो सकते हैं ।

श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि शासन की निष्पक्षता में बाधा देने वाले सबसे बड़े तीन कारण हैं । एक कारण तो स्वभाविक है जिसकी आम चर्चा सब लोग करते हैं कि हमारे न्यायालयों के अन्दर भ्रष्टाचार होता है, फैसले निष्पक्ष तरीके से नहीं किये जाते हैं । यह एक साधारण चीज़ है । मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि घूस लेना ही केवल भ्रष्टाचार नहीं है । यह मनुष्य की एक स्वाभाविक, साधारण कमजोरी है । ये साधारणतः कमजोरियां रहती हैं जब तक कोई इलाज नहीं हो । लेकिन इलाज मर्ज से ज्यादा मंहगा हो जाता है, विशेष रूप से जहां बढ़ कर चीजें हैं तो उनको मिटाना चाहिये ।

सबसे बड़ा कारण है वह है न्यायाधीशों के व्यक्तित्व में कमजोरी, योग्यता में कमजोरी। हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो न्याय देने की शक्ति नहीं रखते, न्याय देने की योग्यता नहीं रखते या फैसले देने की योग्यता नहीं रखते; तो साधारण रूप से कमजोरी आती है । कुछ आपसी मेल, मुलाकात और लिहाज होते हैं । रिश्वत चाहे नहीं भी लेते हों, लेकिन इस कारण से भी फैसले गलत होते हैं । ये प्रमुख तीन कारण हैं । मैं नहीं समझता कि इसका इलाज क्या कर सकते हैं ? मनुष्य के स्वभाव को तो बदल नहीं सकते । रिश्वतखोरी को भी एकदम नहीं बन्द कर सकते क्योंकि उस पर पहरा लगाना मुश्किल हो जाता है । जिस चीज़ को लेने वाला और देने वाला दोनों ही छिपाना चाहते हैं उसका पता लगाना मुश्किल है । लेकिन मैं कुछ सुझाव इसके लिये देता हूँ ।

न्याय व्यवस्था को सुधारने के कुछ आसान तरीके हैं । जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो उसमें ऐसा है कि कानून में कुछ गलती रह जाय तो उसकी अपील हो सकती है और कभी कभी न्याय ऊपर जाकर पैसा खर्च करने से मिल भी जाता है, मंहगा जरूर पड़ता है । लेकिन मैं कभी कभी ताज्जुब

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

करता हूँ जब अदालतों में फैसला देने वाले खुद हाकिम यह बात करते हैं, मेरे सामने भी यह बात आई, बुरा मानने की बात नहीं है; वकील साहब, मैं तो फैसला ऐसा ही दूंगा, आप अपील कर दीजिये । तो ऐसी लचर दलील भी आती है । भ्रष्टाचार करने वाले अपने पक्ष में कहा करते हैं । यों तो केवल अपील की व्यवस्था करना ही इसका इलाज नहीं है । लेकिन मैं समझता हूँ अदालतों के कार्य के अन्वीक्षण की व्यवस्था की ओर भी ध्यान देना चाहिये, जुडिशियल ऑफिसर्स के वर्क की स्क्रूटिनी करने का तरीका निकालना चाहिये । अपील में यही नहीं देखना चाहिये कि कानूनी मसले पर गलती हो गई हो तो दुबारा ध्यान दे दें । यही नहीं बल्कि नीचे की अदालत के काम की स्क्रूटिनी भी होनी चाहिये । जो उन पर कंट्रोल करने वाले हैं वे नीचे की कोर्ट के खिलाफ अपील सुन कर फैसला बदलते हैं तो साथ साथ प्रशासनिक ढंग से यह भी दिमाग लगाइये कि गलती हुई है उसमें वाकई कोई कंट्रोवर्शियल पॉइन्ट था जिसके लिये भिन्न भिन्न आदमियों की दो राय हो सकती हैं या गवाही, शहादत होते हुए भी आंख मींच कर पढ़ गये हैं और पढ़ते पढ़ते चूक गये हैं, इस प्रकार से ध्यान दें और इसके साथ साथ अपीलेट कोर्ट अपील के साथ साथ प्रशासनिक मूल्यांकन करता रहे ताकि उस अदालत के वर्क का मूल्यांकन होता रहे और रेकॉर्ड बनता जावे । जो अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है उसके यहां वह रेकॉर्ड जमा रहे ताकि आगे प्रमोशन के समय या नौकरी में रखना, नहीं रखना उसके लिये काम में आवे ।

कहीं कहीं ऐसे भी हाकिम हैं जिनके फैसले १०० में से ४० या ५० रद्द हो जाते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती । अधिक से अधिक यह होता है कि एक जगह से बदल कर दूसरी जगह चले जाते हैं और तब उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर भी दूसरे हो जाते हैं, कभी भूल भी जाते हैं । इस तरह का गोल–माल चलता रहता है । इस तरह की चीज आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, आजादी आ जाने से विशेष फर्क नहीं पड़ा है । लेकिन जब तक उनके कार्य का निरीक्षण न करें और यह न देखें कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी देवें या न देवें तब तक इस समस्या का हल निकलना कठिन है । यह केवल राजस्थान की ही समस्या नहीं है, भारत व्यापक समस्या है; बल्कि एक प्रकार से देखें तो इन्टर्नेशनल है । देश देश में जुडिशियरी का अलग अलग स्तर होता है । जैसी नेशन में कॉंशयसनैस होती है, जैसा राष्ट्र का स्तर होता है उसी प्रकार के लोग सर्विसेज़ में आते हैं, न्यायाधीश बनते हैं और उसी तरह का उनका स्तर होता है । लेकिन इस चीज़ को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते । यदि कोई आदमी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो आप उसको उपदेश देकर नहीं रोक सकते, धर्म की शिक्षा देकर नहीं रोक सकते; लेकिन उसके वर्क की स्क्रूटिनी करते जाइये, उसका रेकॉर्ड अपीलेट ऑफिसर बनाता चला जाय और हाइयेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास इकट्ठा होता चला जाय और उसका अंकुश उसके कार्यों पर लगता रहे तो आप समझ सकते हैं कि १०० में से ५० ठीक हो सकते हैं । तो ये तरीके कुछ हद तक अपनाये जावें तो कुछ

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

सुधार हो सकता है। ऐसे तरीके नहीं अप-नाये गये हैं, यह मेरी शिकायत है।

अब मैं कहूँगा कुछ बातें न्याय खर्चीला होने के संबंध में। मेरी धारणा है कि न्याय अगर खर्चीला होगा तो लोगों को अधिक उपलब्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब खर्चा लगने के बाद उपलब्ध हो तो न्याय लेने की श्रद्धा लोगों में नहीं होगी, राज्य के माध्यम से न्याय लेने की श्रद्धा उठेगी और लोग दूसरे तरीके से न्याय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, आपसी समझौते के जरिये झगड़े निपटाने का प्रयत्न करेंगे। आपसी समझौते से झगड़े तय करने की भावना अच्छी भावना है; लेकिन कुछ भावना ऐसी होती है कि जिसके कारण जातियों के गुट बन जाते हैं, पर सारे समाज का गुट नहीं बनता है। जैसा कि आप सोचते हैं कि पंचायत बना कर व्यवस्था करें, वैसी बात नहीं होती। पंचायत का जिक्र आया इसलिये एक बात और अर्ज कर दूं, यद्यपि उस विषय से इसका खास संबंध नहीं है, लेकिन यह भी एक भारतव्यापी समस्या है। मैं अर्ज कर रहा था कि जिस ढंग की मनोवृत्ति के लोग होते हैं वैसा ही काम होता है। गलत मनोवृत्ति के लोगों को रखेंगे तो गलत काम होगा।

जहां तक योग्यता का सवाल है, मैं सर–कार को बधाई दूंगा कि आजकल लॉ ग्रेजु–एट्स रखते हैं, यह सराहनीय कदम है। लेकिन न्याय पंचायतों की व्यवस्था की है हमने। उनमें चुने हुए व्यक्ति होते हैं जो जनता से चुने जाकर आते हैं; उनको न्याय देने के लिये रखा है। यह बुनियादी तौर पर गलत है। जो आदमी पार्टियों के बल पर जीतता है वह पक्ष को नहीं छोड़ता। उसके हाथ में न्याय देते हैं तो वह न्याय नहीं होगा, वह तो इनार्शिया ऑफ इनजस्टिस होगा। यदि सरकार दोषी है या मंत्रीजी के और मेरे बीच में झगड़ा है या मंत्रीजी और सेक्रे-टरी के बीच में कोई बात है तो उसका फैसला वे किस तरह से करेंगे? मेरे बीच में और दूसरों के बीच में झगड़ा हो और फैसला करें तो कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि इलेक्टेड ट्रिब्युनल्स होते हैं। लेकिन जो गांव का व्यक्ति दल के आधार पर चुन कर आता है और जनता के बीच में झगड़ा हो सकता है; दो दल होंगे, एक दूसरे के विरोधी होंगे उनके बीच में इस तरह से चुने हुए लोग न्याय कर सकें, यह असंभव है। पंचायत राज्य का जन नारा छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आजकल पंचायत राज्य से कभी न्याय मिल नहीं पाता। मैं समझता हूं इस जिद् को छोड़ना चाहिये। यदि गांवों में न्याय पंचायत बनाई हो तो पुराने जमाने के तरीके से बनानी चाहिये। पुराने जमाने में इस तरह की चीज नहीं होती थी। पुराने जमाने में जो वयोवृद्ध लोग होते थे, जिनको जीवन से कोई मोह नहीं रह गया था उनकी संतानें अपना काम चला रही थीं। जो लोग एक सन्यासी की तरह से अपना जीवन बिताने लग जाते थे वे लोग पंचायतों में बैठ कर न्याय का काम करते थे। ऐसे बुजुर्ग लोग जो न्याय देते थे वह सर्वमान्य होता था। लेकिन आज जो पंचा–यतों के चुनाव होते हैं वे दलीय आधार पर होते हैं और जिस दल के वे लोग होते हैं उनका पक्ष लेना उनके लिये स्वाभाविक चीज होती है। प्रशासन के लिये ऐसी चीज हो तो कोई बात नहीं, लेकिन न्याय पंचायत के लिये

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

यह घातक सिद्ध होने वाली है । वह न्याय का निगेशन है, ऐसी मेरी मान्यता है ।

फिर कास्ट के सवाल पर आते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मंहगा न्याय होने से सिविल लिटिगेशन के अन्दर लोग अपना मन मार कर बैठते हैं, वे नुकसान पाते हैं और सरकार के न्याय के प्रति उनकी श्रद्धा कम होती है । जहां श्रद्धा कम होती है वहां बुराई आने वाली बात होती है, बुराई पैदा होती है । क्रिमिनल जस्टिस जहां मंहगी पड़ जाती है वहां लोग लड़ते नहीं हैं, लेकिन मजबूर होकर जेल जाते हैं और जेल में लम्बी सजा भुगतते हैं । जब वे लौटते हैं तो उनका पहले का धन्धा खत्म हो जाता है, मकान खत्म हो जाता है । इससे उनमें एक क्रिमिनल कॉम्प्लेक्स पैदा होता है । जहां क्रिमिनल जस्टिस मंहगा होता है वहां क्रिमिनेलिटी समाज में बढ़ने वाली होती है, उससे क्रिमिनेलिटी कम नहीं होती । मैं समझता हूं कि जब तक आप न्याय को सस्ता करने के लिए नहीं सोचेंगे तब तक क्रिमिनेलिटी कम नहीं होगी । कोर्ट फीस बढ़ी, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक मोटी बात कहूंगा। एक मसला है हाईकोर्ट की बैंच का । उसके आधार पर निम्न स्तर पर कोर्ट की बैंच लाने की बात सोची जा सकती है । पूरे राजस्थान में एक जगह है जहां आपने हाईकोर्ट राजस्थान का कायम किया । उससे कुछ फायदे भी हो सकते हैं, इसलिए मैं केवल एक दलील दे सकता हूं कि हाईकोर्ट एक जगह रहने से स्पेश्यलाइजेशन हो सकता है, काम का बंटवारा हो सकता है । एक जज कॉमर्शियल केस करता है, दूसरा सिविल केस करता है और तीसरा क्रिमिनल वर्क करता है । इसके साथ ही हाई कोर्ट में वकालत करने वाले लोग हैं वे भी काम का बंटवारा कर लेंगे । वह सिविल प्रेक्टिस करता है, दूसरा क्रिमिनल प्रेक्टिस करता है, तीसरा कॉमर्शियल प्रेक्टिस करता है । इस तरह के बंटवारे से स्पेश्यलाइजेशन जरूर होता है । उसके साथ साथ जितना फायदा होने वाला है, उतना ही नुकसान भी होता है । इससे जस्टिस इतना मंहगा पड़ जाता है और हर जगह से दूर होने के कारण वह मंहगा हो जाता है । उसकी दलील आप यह दें कि नहीं साहब, अगर हम बैंचेज रखें तो राज्य के कोष पर खर्चा बढ़ जायगा, यदि हमें फलां बैंच एक जगह से उठानी पड़ी तो वहां के जजेज़ यहां आयेंगे, यहां के जजेज वहां जायेंगे, इससे सरकार के कोष पर खर्चा बढ़ेगा, एक हाईकोर्ट बैंच का बड़ा सेक्रेटेरियट रखना पड़ेगा, उससे खर्चा बढ़ेगा । यह बात हो सकती है; लेकिन मैं एक बुनियादी बात अर्ज करना चाहता हूं; आप अनुपातिक दृष्टि से देखिये । आपका कितना लाख रुपया खर्च होने वाला है, और दूसरी ओर हाईकोर्ट एक जगह होने से लिटिगेन्ट जनता के ऊपर कितना खर्चा बढ़ता है ? मैं समझता हूं कि राज्य के कोष पर जितना खर्चा पड़ेगा, उससे डबल नहीं, बल्कि दस गुना, बीस गुना वह खर्चा होगा ।

आज धौलपुर से लोग जोधपुर जाते हैं, कोटा से जोधपुर जाते हैं, बीकानेर से जोधपुर जाते हैं, इस सबका आप अन्दाज लगायें । आप देखेंगे कि जनता की जेब से कितना रुपया खर्च हुआ है ? मैंने बजट पर सामान्य बहस के दौरान में अर्ज किया था कि आज हमारी शासन व्यव-

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

स्था को देखना यह होगा कि आज सरकार के खजाने में कितनी आमदनी है, कितना खर्च कर रही है सरकार? इतना मात्र देखना शासन व्यवस्था का कर्त्तव्य नहीं है। आज यह देखना है कि जन–धन कितना है, जनता के पैसे को लेकर, पब्लिक आमदनी को लेकर, पर-केपिटा इन्कम को लेकर राज्य सरकार कितना धन समझती है और उसमें से हम कितने का उपयोग कर रहे हैं, जो बाकी रहता है, वह राज्य सरकार के कोष में आ जाये, इसके लिए बजट, लागत पॉलिसी, कॉमर्शियल पॉलिसी इस तरह की बनाते हैं कि जो जनता की जेब में पैसा है वह राष्ट्र को मिले और उसकी भलाई में व्यय हो, उस तरह उपयोग में आये। तो हाई कोर्ट को बना कर जो लिटिगेन्ट जनता है वह जो खर्च करती है उसको आपने डबल किया है। जो लिटिगेन्ट्स अपने घर से जोधपुर के बीच तक का ट्रान्सपोर्ट का किराया देते हैं, मैं अर्ज करूंगा कि हम कोई ऐसी सक्सेसफुल पॉलिसी अडोप्ट करें जिससे जनता का जो फिजूल का खर्चा ट्रान्सपोर्ट पर होता है वह नहीं हो, और उस पैसे का उपयोग अपनी फेमिली के स्टेन्डर्ड को ऊंचा करने के लिए करें और उसमें से आप कुछ एडीशनल टैक्सेशन भी ले सकते हैं। एक तरह आप, राष्ट्रीय सम्पत्ति के अप-व्यय को बचाते हैं जो कि आन्तरिक दृष्टि से राज्य का धर्म है। तो हम समुचित दृष्टि से नहीं देखते कि राज्य के खजाने पर कितना खर्च पड़ेगा, क्योंकि राज्य की जनता की जेब में जो धन है, जो आमदनी है वह भी तो राष्ट्र की है। अगर वह राज्य की नहीं है तो राष्ट्र की है। अगर राष्ट्र की जितनी सम्पत्ति बढ़ती है और राष्ट्र की बहबूदी और बुनियाद बनाने के लिए अधिक रिसोर्सेज़ मिलते हैं, इस दृष्टि से देखें कि जनता का अनुपातिक रूप से पैसा बचा सकते हैं, थोड़ा बहुत अधिक खर्च करके राज्य के खजाने से तो सुन्दर बात होगी, वर्ना एक दकियानूसी ढंग से जो कर रहे हैं वह कर ही रहे हैं। इसलिए न्याय को सस्ता बनाने के लिए यह आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि न्यायालयों का थोड़ा विकेन्द्रीकरण किया जाय और हाई कोर्ट के लिए मैं पुरजोर अपील करूंगा कि हमारा यह इतना लम्बा–चौड़ा फैला हुआ राज्य है, मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा फैला हुआ राज्य है; तो राजस्थान जैसे इतने बड़े विस्तार के राज्य के अन्दर एक जगह हाई कोर्ट रखना किसी रूप में उचित नहीं है, उसकी आप बैंच रखें।

इसके पश्चात् स्पीड का ताल्लुक है। आप देखेंगे कि अगर नजदीक न्यायालय होते हैं, तो थोड़ा कानून में अधिक सुधार होता है। इसके साथ ही ऊपर से अंकुश अच्छा होता है, अगर जजेज़ के वर्क्स की स्क्रूटिनी का मैथड मैंने बताया वह अपनाते हैं तो ऊपर से स्क्रूटिनी होगी और न्याय मिलने की स्पीड के अन्दर, शीघ्रता के अन्दर तुरन्त फर्क मिलेगा। इसके बारे में यह बुनियादी चीज है। अभी चीफ जस्टिस ने हाल ही में कहा है, उन्होंने दिल्ली की रोटेरी क्लब में कहा है कि जापान में शीघ्र फैसले होते हैं, एक मुक-दमा जिस दिन दायर हुआ उसके दूसरे दिन उसका फैसला हो गया। तो जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस जापान में देखते हैं वैसी ही चीज पैदा करने के लिए यहां विशेष कदम उठायें, इतनी बात, श्रीमान्, मैंने अर्ज करी। एक बात और अर्ज करूं, अन्तिम बात है, दो

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

मिनट में समाप्त कर दूंगा। न्यायाधीशों में सबसे बड़ी चीज, केवल बौद्धिक योग्यता ही काफी नहीं है, लेकिन हृदय की योग्यता, जुडिशियल कान्सियन्स होनी चाहिए, उनकी मनोवृत्ति न्यायप्रिय होनी चाहिए। यह नहीं होता है, वे न्याय की दृष्टि से देखने के आदी नहीं होते हैं, तो ऐसी हालत होती है, जैसे बांझ स्त्री में प्रेम नहीं होता है किसी बच्चे के प्रति।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह अनुभव कैसे हो गया ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : well said.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : अव्वल तो मैं स्त्री नहीं, फिर बांझ नहीं। यह भी न मानिये कि मेरा प्रेम सिर्फ बच्चों के प्रति है, बड़े बच्चों के प्रति भी है, तो श्रीमान्, यह गलत परिपाटी है कि हम न्याय करने वाले ऑफिसर्स के पद पर केवल एक्ज़ीक्यूटिव काम करने वालों को नियोजित करते हैं। एक माननीय सदस्य ने बताया कि ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर को बना दिया है। वह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वह उस वातावरण में पल कर क्या सीखता है। मुझे याद है, मैं फौज में भर्ती हुआ था, फौज में परेड करना सिखाया जाता है। मुझे भी परेड सिखाई गई। मुझे मेरे शिक्षक ने बताया कि ये परेड कराते हैं, इस परेड से यह योग्यता नहीं आ जायगी कि लड़ाई के मैदान में बन्दूक कैसे चलाये, और न ही लड़ाई के मैदान में कदम से कदम मिला कर चलना पड़ता है; "लैफ्ट—राइट, लैफ्ट—राइट" यह इसलिए सिखाया जाता है कि हुक्म मानने की आदत हो जाये, एक ऑबिडियेन्स काम्लेक्स आ जावे। हुक्म जब कर दिया 'राइट टर्न', तो राइट टर्न हो जाय और जब हुक्म कर दिया 'लैफ्ट टर्न' तो लैफ्ट टर्न हो जाय। और अगर कहीं गलत किया तो परेड कराने वाले की बेंत पड़ी। तो इस तरह का ऑबिडियेन्स कॉम्प्लेक्स है, जो एक्ज़ीक्यूटिव काम में आता है, उसमें ऑबिडियेन्स कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, उसमें जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता है। उसे लाकर आप न्यायाधीश के पद पर बैठाते हैं, तो उसी मनोवृत्ति से वह न्याय करता है, वह एक एग्ज़ीक्यूटिव न्याय होता है, जुडिशियल न्याय नहीं होता। यह परिपाटी गलत है। मैं सुझाव दूंगा कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको ऐसा काम दीजिये, जिससे उनमें यह मनोवृत्ति पैदा हो, उनमें एक मानवीय भावना जाग्रत हो। जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जुडिशियल ऑफिसर्स की एक कमेटी बनायें, जैसे प्रिज़नर्स हैल्प सोसाइटी, जो प्रोसीजर दस साल, पांच साल की लम्बी जेल भुगत कर बाहर निकलते हैं, वे बाहर निकल कर एक अजीब दुनिया में अपने को पाते हैं, उनका काम-धन्धा, घर बार खत्म हो गया होता है। उनके पुनर्वास के लिए आप एक जिम्मेदार कमेटी बनायें, उनको हैल्प करने वाली एक कमेटी बनायें, जिसमें जजेज़ हों। इससे उनमें एक मानवीय भावना पैदा होगी। वे समझेंगे कि जेल में जाने से क्या असरात होते हैं, क्या समस्यायें पैदा हो जाती हैं। इस प्रकार मानवीय भावना पैदा करने के लिए करें बजाय इसके कि एग्जीक्यूटिव काम में नियोजित करें। तो इस तरह आप एक जुडिशियल कॉन्श्यसनेस को प्रोत्साहन देंगे तो अच्छे

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

जजेज़ बना पायेंगे। आप इन तरीकों को अपनायें तो न्याय व्यवस्था में एक सुधार ला सकते हैं और देश में जातीयवाद और संकुचितता को समाप्त करके सबसे बड़ी और मजबूत बुनियाद पैदा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और सुझावों पर ध्यान दिये जाने की आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह न्याय पालिका और कार्यपालिका को अलग करने के सम्बन्ध में है। अभी अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने न्याय को किस प्रकार सस्ता, सुलभ और निष्पक्ष दिलाने के सम्बन्ध में दीलीलें पेश कीं, मैं उन सबको सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वाकई में यदि इस प्रकार की स्थितियां पैदा की जायें तो न्याय सस्ता, सुलभ और निष्पक्ष मिल सकता है। पर इसकी गहराई में यह भी सोचने लगा कि इस प्रकार की परिस्थितियां कैसे पैदा हो सकती हैं? जिस प्रकार से आज की परिस्थितियां हैं और उनके बीच आज जो स्थितियां मौजूद हैं, वे ही स्थितियां बनी रहें तो जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं; न्याय सस्ता, सुलभ और निष्पक्ष मिले, वह हो सकता है कि नहीं। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिये जब तक न्याय-पालिका और कार्यपालिका को अलग नहीं करते तब तक हमें हमारा बुनियादी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, जैसी कि उन्होंने दलील दी थी कि जिस प्रकार से गांवों की पंचायतों में, जो लोग चुने हुए होते हैं वे लोग किसी पक्ष के होते हैं और उनका दृष्टिकोण पक्षपातित नहीं हो पाता है और वे लोग सही तरीके से आम लोगों को न्याय दिलाने में कारगर नहीं हो सकते। आज जो सरकारें बनती हैं, वे भी पक्षातीत नहीं होती हैं, एक पक्ष की होती हैं और जब पक्ष विशेष की सरकार होती है और उस हालत में देश की व्यवस्था चलती है तो उसमें पक्ष का दृष्टिकोण रहता है और वह नीचे तक इस तरह पहुंचता है कि निष्पक्ष न्याय दिलाना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यह स्वाभाविक है।

मुल्क ने जनतांत्रिक परम्परा को स्वीकार किया और हमारे देश में गणराज्य है, ऐसा हमने स्वीकार किया और हमने इस बात को भी माना कि जहां जनतन्त्र है वहां पक्ष-विपक्ष होंगे, हर आदमी को बोलने की आजादी होगी, यह बुनियादी चीज़ लम्बे संघर्ष के बाद में सबने स्वीकार की। प्रारम्भ में इस बोलने की बात को लेकर न जाने किस किस जमाने में क्या क्या बातें हुई। हम राम–राज्य के जमाने की बात सोचें तो राम के जमाने में एक नागरिक ने सीता के सम्बन्ध में कह दिया था, राम को ठीक नहीं लगा, एक आदमी ने सीता के लिये कह दिया तो सीता को बनवास देते हैं, फिर बाद में कितनी ही परीक्षाएं हुई? इतना ऊंचा दृष्टिकोण हो तो बात दूसरी है; पर वह दृष्टिकोण नहीं रहता। जहां तक बोलने का सवाल है इस आवाज़ के, बोलने के अधिकार को सही माने में जिंदा रखने के लिये प्रारम्भ से आज तक लोग बराबर लड़े। सुकरात ने सिर्फ बोलने की आजादी के लिये जहर का प्याला पिया। प्रह्लाद को भी इसी बोलने की आजादी के लिये तकलीफों का सामना करना

(श्री मुरलीधर व्यास)

पड़ा। उसका पिता, जब प्रहलाद अपने मन की बात बोलना चाहता था तो उसको पसंद नहीं करता था, अपने पिता के सामने अपने दिल की बात बोलने के अपराध में उसे जलती आग में जलना पड़ा। ईसामसीह को भी इसी लिये सूली पर टंगना पड़ा कि उनके दिल की जो आवाज़ थी उसको वे दबाना नहीं चाहते थे। तो परम्परा से देखें कि मनुष्य का बुनियादी अधिकार है, बोलने की आजादी का अधिकार है इसकी रक्षा के लिये, शुरू से लोगों ने क्या क्या किया। सुकरात ने तो जज से यहां तक कहा कि मैं ऐसी परिस्थितियों में जज बनना पसंद नहीं करता क्योंकि जैसी आज व्यवस्था है उसके अनुसार जज को सरकार के साथ समझौता करके रहना पड़ता है।

तो न्याय के दृष्टिकोण से आज जो परिस्थितियां हैं उनको दूर करना चाहिये न्याय पालिका को कार्य पालिका से अलग करना चाहिये। हमने मुल्क की आजादी के समय जंग लड़ी। अंग्रेजों का राज्य था, देशी राज्यों में देशी राजाओं का राज्य था, किस प्रकार प्रतिपक्षियों को मारते थे, जिसको चाहा उसको धर देते थे, हमने इसकी खिलाफत की और हमने माना उस समय कि जब हमारा देश आजाद होगा तो न्याय–पालिका को कार्यपालिका से अलग रखेंगे, क्योंकि प्रशासन न्याय पर अपना प्रभुत्व रखता है, इसलिये न्याय नहीं मिल सकता। हमारा मुल्क आजाद हुआ और संविधान बना, तो सबसे पहले इस बात को स्वीकार किया कि हम न्याय पालिका को कार्यपालिका से अलग करें। पर खेद है कि हमने इतने लम्बे अर्से के बाद भी, १० साल हो गये फिर भी इस चीज़ को नहीं बना पाये। सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिस समय कॉन्स्टीट्यूशन बना रहे थे उस समय इस बात की चर्चा चली कि इसमें समय जोड़ दिया जाय कि हर स्टेट में ३ साल में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग हो जाय, पर यह इसलिये नहीं जोड़ा गया कि तीन साल जोड़ने का मतलब यह होगा कि यह कार्य जल्दी से हो जाना चाहिये, यह सोचा गया कि यदि इसमें ३ साल जोड़ दिये गये तो जो स्टेट्स जल्दी न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग करना चाहते हैं, वे भी यदि तीन साल रख दिये गये तो तीन साल लगा देंगे। पर आश्चर्य की बात है कि कॉन्स्टिट्युशन बनाने वालों ने इस मन्शा से ३ साल नहीं जोड़े कि यह कार्य तीन साल के अन्दर अन्दर हो जाना चाहिये, उन्होंने कोशिश यह की कि तीन साल के अन्दर २ न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग हो जाना चाहिये, इसलिये समय का निर्धारण नहीं किया; पर हम ही लोगों में से जिन्होंने संविधान बनाया, आज के जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन को गीता, रामायण और धार्मिक ग्रन्थ मानते हैं, उसकी हम उपेक्षा करते हैं तो पता चलता है कि हमारा दृष्टिकोण संविधान के प्रति क्या है। हम लोगों के दिमाग में इस प्रकार की भावना है कि जान–बूझ कर सरकार ऐसा करती है, सरकार का दृष्टिकोण जान कर म्लेच्छ है, बुरा है। इन परिस्थितियों को देखते हैं तो हमारा विचार और दृढ़ होता है, १० साल का अनुभव देखते हैं तो वाकई आज जो इस पद पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार का प्रशासन चल रहा है, घटनाओं को देखते हैं तो पता चलता है कि इरादतन

(श्री मुरलीधर व्यास)

सरकार इस पवित्र काम को जो हर नागरिक के लिये आवश्यक है कॉन्स्टिट्यूशन के माफिक हर आदमी को अधिकार देना है, जिसके लिये हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उसको जान बूझ कर अपने ही हाथों से तोड़ते हैं।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो परिस्थितियां हैं उनके बीच विरोधी पक्ष सुरक्षित नहीं है। मैं स्वयं कहना चाहता हूँ कि मैंने राजस्थान में स्वयं अनेकों ऐसी घटनाएं देखी हैं।

(२. ०० म० प०)

और इन घटनाओं को देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत काम चल रहा है उससे विरोधी पक्ष सुरक्षित नहीं है। अधिकारी वर्ग का दृष्टिकोण विरोधी पक्ष को कुचलने का है। इसलिये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है, मैंने सन् ५७ में एक प्रश्न उठाया था कि हमारी पार्टी के टोंक के दलेलचन्द को विरोधी तत्वों ने पुलिस से मिल कर जान–बूझ कर झूठा मुकदमा बनाया और थाने में दिया गया और वहां पर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया और उसको मार–पीट की गई और इतना बुरा बर्ताव किया कि वह आपसे इन्सानियत से गिर गया। मैंने कहा था कि दलेलचन्द पर कुछ व्यक्तियों ने जानबूझ कर डकैती के मामले में पुलिस से मिल कर मुकदमा चलवाया।

श्री उपाध्यक्ष : This is an oft-repeated incident.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो....

श्री उपाध्यक्ष : Many times it has come on the floor of the House, many times it has been replied, still go on please.

श्री मुरलीधर व्यास ; मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूँ कि मेरे विरोधियों ने मुझे यह कह दिया था कि आप अपने पक्ष की बात कर रहे हैं। वे मुकदमा चला सकते हैं। मुकदमा चला डाकेजनी का, किस प्रकार से चला, कितने सालों से चलता रहा, अब उसका गये साल फैसला हुआ है। इस फैसले के अन्तर्गत जैसा मैंने पहले कहा कि जान–बूझ कर उसको टोंक की अदालत में हथकड़ी लगाई गई, मगर उसको टोंक की अदालत में पेश नहीं किया गया और वहां से मालपुरा लाया गया और मालपुरा में भी मालपुरा की अदालत में उसको पेश नहीं करके हमारे एक माननीय मंत्री के सामने उनको पेश किया क्योंकि उनसे उसका झगड़ा था और उसको जलील कराने के लिये ऐसा किया गया। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि टोंक में अदालत है, वहां पर उसको नहीं पेश किया गया, वहां से मालपुरा ले जाना और मालपुरा में अदालत में नही ले जाकर मिनिस्टर साहब के सामने पेश करें, इसलिये कि उसको उनके सामने जलील करना कि वह उसके सामने बात करे। मैं, पूर्व घटना क्या थी इसके लिये कुछ नहीं कहना चाहता; मगर यह कहना चाहूँगा कि यह पूर्व रचित षडयंत्र था। यह सब कुछ हुआ। अभी मंत्री महोदयों की बैठक हुई, उसमें होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि एक प्रतिपक्षी को चार साल तक

(श्री मुरलीधर व्यास)

परेशान किया गया। अब उसका जो हाईकोर्ट से फैसला हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है उसकी चार लाइनें मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : How would I be in a position to understand the correctness of the version of the judgment ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह ट्रू कॉपी है। हाउस में रखी जा सकती है। मुलजिम जो टोंक का रहने वाला है, उसने अगर कोई माल डकैती का माल जानते हुए लिया होता तो दरी को गैर आबाद गांव या खंडहर हुए मन्दिर में छुपाने की कोई वजह मालूम नहीं होती है। दरी की बरामदगी भी जिस स्थान से बयान की जाती है उससे तो यह मालूम होता है कि मुलजिम को परेशान करने के लिये यह कार्यवाही की गई। यह कोई एक दिन की बात नहीं है। इस प्रकार डकैती का मामला झूठा चलाया गया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपका इस प्रकार का तो कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : I have become very liberal. I don't know why I have become so liberal. I know I should be rigid as far as such questions are concerned.

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यदि इस प्रकार का कोई फैसला हो तो पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ फैसला करेंगे। वह यहां पर आकर उनसे मिला भी और रिपोर्ट भी दी मगर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।

इस बात को इसलिये दोहराया गया है कि किसी प्रकार से विरोधी दल सुरक्षित नहीं है। किस प्रकार से उनको झूठे मुकदमे चला कर परेशान किया जाता है।

(समय–समाप्ति सूचक घन्टी)

ऐसी घटना एक नहीं और हो सकती हैं; इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले इस प्रकार की एक बात माननीय मंत्री महोदय के सामने रखी थी कि किस प्रकार से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया गया, आज पत्रकार जनतन्त्र में सबसे बड़ी चीज दिखाई देती है और हमारे यहां पत्रकारों को बोलने और लिखने की आजादी है। आज पत्रकार किसी भी पुलिस के अधिकारी के खिलाफ लिख सकता है, किसी जज के खिलाफ भी लिख सकता है और ऐसी परिस्थिति में जब दोनों के खिलाफ लिखता है तो दोनों कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इनको फंसाया जावे और इसका नतीजा यह होता है कि जो हम चाहते हैं कि हमने जो गणराज्य स्थापित किया उसमें जिस तरह से काम होना चाहिये नहीं होता। होता क्या है कि जो पत्रकार उनके खिलाफ लिख देते हैं तो जो पुलिस के अधिकारी या मजिस्ट्रेट होते हैं जिनके खिलाफ लिखा जाता है वे नाराज़ हो जाते हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह कोई पुलिस की मांग नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस की मांग तो नहीं है, लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : अन्त में जाकर निर्णय देंगे। लेकिन समय का भी प्रश्न है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने एक दिन का समय एक मांग के लिये रखा है। मेरे लिये अगर कट करें तो यह अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष : Subject to the position if it is concluded within the prescribed time we can have the other demand.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में किस प्रकार का पक्षपात करते हैं। अभी पत्रकारों के बारे में बात चल रही थी, उसके बारे में यह कहना चाहता हूँ कि बीकानेर के पत्रकारों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के खिलाफ भी लिखा। बीकानेर के मजिस्ट्रेट ने क्या किया ? पत्रकारों के खिलाफ एक वारन्ट १० बजे निकाला और वह वारन्ट पत्रकारों के पास १२ बजे पहुंचा और जब वह उनके पास १२ बजे पहुंचा तो वे १० बजे अदालत में हाजिर नहीं हो सकते इसलिये मांगीलाल माथुर और सज्जनकुमार नाम के पत्रकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा चला दिया। मगर यह मालूम नहीं कि उनको कितने बजे मिला। बस मामला चला। आखिर वक्त पर फैसला पत्रकारों के फेवर में हुआ कि उनको वह ठीक समय पर नहीं मिला, लेकिन उनको परेशान तो होना पड़ा। मैं यह कहूँगा कि मामले चलाये इसलिये उनकी विजय रही। इसी प्रकार से एक पत्रकार ने जिस दिन अब्दुल कलाम आजाद की मृत्यु हुई थी उसी दिन एक पार्टी में डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर साहब शामिल हुए, उसको सूचना छाप दी और कहा कि यह बड़े शर्म की बात है। तो क्या हुआ कि उनके हाथ में अधिकार थे। उन्होंने उन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा बना दिया।

श्री उपाध्यक्ष : डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने बना दिया ?

श्री मुरलीधर व्यास : कलेक्टर ने बनाया। रामनारायण शर्मा ने। प्रेस एन्ड बुक्स एक्ट के अन्तर्गत चलाया। उसमें भी वह बरी हुआ। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से पत्रकार जब लिखते और बोलते हैं तो उनके खिलाफ मामले चला दिये जाते हैं। हम ही मुकदमा चलाने वाले और हम ही उनका फैसला करने वाले। जैसा मैंने बताया आर० एन० का मुकदमा बताया, उसके खिलाफ १८६ का मामला चलाया और खुद पुलिस उसको पकड़ कर लाई। मारपीट की गई। इसके लिये मैंने एडजोर्नमेंट मोशन पेश किया। इस मामले को लेकर कितनी सभाएं हुई। रघुवरदयाल गोयल जो भूदान में काम करते हैं और जो भूतपूर्व मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा कि पुलिस ने जान-बूझकर मनमाने तरीकों से उनको मारा है, कपड़े उसके फाड़ दिये। रात को दो बजे मेरे पास इस घटना की सूचना आयी। रात को दो बजे मैं डी. आई. जी. के पास गया; कहा, हाल देख लें, उसके कपड़े देख लें, उसको नंगा करके पीटा है, उसकी हालत

(श्री मुरलीधर व्यास)

आप देख लें। ठीक बात है, उन्होंने कहा कि आगे जाकर देखेंगे। देखना क्या हुआ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अदालत में चोटें देखीं या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : अदालत में चोटें क्या देखीं, पुलिस ने १८६ का मुकदमा बना दिया और उसी मजिस्ट्रेट कीकोर्ट में बना दिया।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : ट्रान्सफर करा सकता था।

श्री मुरलीधर व्यास : मजिस्ट्रेट भी खिलाफ, पुलिस भी खिलाफ।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : आपने भी उसको नंगा करके दिखाया या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : चोटें देखीं, कपड़े देखे; मजनूं जैसी हालत हो गई थी। आप नंगा का रूप यह समझते हैं, नंगी हालत में देखा है, यह तो कहता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वैसा नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : चोटें थीं, पुट्ठे पर चोटें थी, पुलिस ने डंडे मारे थे। डी० आई० जी० को खुद को बता दिया कि यह देख लो। सिर फोड़ा यह बता दिया ; कपड़े चिथड़े जैसे हो गये। रात को दो बजे बता दिया।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : पिटाई परम्परा से होती है।

श्री उपाध्यक्ष : भावनायें अधिक होती हैं, यह प्रश्न दूसरा है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की परिस्थितियां हुई तो नतीजा क्या हुआ ? मजिस्ट्रेट ने खुद ने मामला बनाया। उसके पास वह मामला था। आदमी परेशान क्यों नहीं होगा ? जन–अधिकार का मसला है. जन–अधिकार की समिति बनती है। सब लोग विरोध करते हैं इस अन्याय और अत्याचार का। मन्त्री महोदय उस पर ख्याल नहीं करते हैं। तो फिर परिस्थितियां क्या होती हैं ? यह विश्वास होता है कि आज के जमाने के अन्दर, जैसा अजमेर के माननीय सदस्य ने कहा कि न्याय नहीं मिलता है, जनता परेशान होती है और आखिर उस रास्ते पर पहुँचती है: हिंसक रास्ता अपनाती है और उससे क्रान्तियां पैदा होती हैं। यह सवाल किसी पक्ष विशेष का नहीं है। आपके ही पक्ष का आदमी था जिसके साथ यह व्यवहार हुआ। ये सारी घटनायें हुईं। मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर होना चाहिये कि वे इस प्रकार से सारी परिस्थितियों को देखें कि आज के जमाने में एक पत्रकार के साथ ऐसा क्यों होता है ?

आज के जमाने के अन्दर, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि ये परिस्थितियां इसलिए पैदा होती हैं कि न्याय देने वाले लोग स्वयं ही दबे हुए हैं। वे जानते हैं कि उनको सरकार की मर्जी पर फैसला करना पड़ता है। समझ जाओ कि सरकारी पक्ष ऐसा फैसला चाहता है और फिर विरोध में कर देते हैं तो उसका

(श्री मुरलीधर व्यास)

नतीजा अच्छा नहीं होता । ऐसे ऐसे ये कारण हैं । फैसले करने वाले लोगों के दिमाग में स्वतन्त्रता नहीं है । उनके प्रमोशन का मामला आपके हाथ में है, तरक्की देने के पॉवर्स आपके हाथ में हैं । तो ऐसी हालत में वे निष्पक्ष हो नहीं सकते । यह हम देखते हैं कि लोगों को निष्पक्षता से न्याय मिलना चाहिये तो हमको यह फैसला करना पड़ेगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखें और अलग रखेंगे तो निष्पक्षता भी उनके फैसलों में होगी और वे फैसले भी अच्छे होंगे । नाथद्वारा के सम्बन्ध की रिपोर्ट को मैंने देखा और देखने के बाद में स्वयम् इस नतीजे पर पहुंचा और पढ़ते २ दिमाग में आता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होती तो और और रंग खिलता व और और ढंग से फैसला होता । लेकिन कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की हैं तो सही फैसला नहीं हो सकता । मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि जिन मूल भूत बातों को हमने स्वीकार किया है और जिन परिस्थितियों में स्वीकार किया है उसके विरुद्ध आज जिस प्रकार का राज्य चल रहा है उसमें हर आदमी के साथ अन्याय होगा । बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई आदमी जिसको पुलिस जाने नहीं, न्याय कोई देखता नहीं, मनमाने तरीकों से जो कुछ करना है उसके साथ कर दिया जाता है ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं आपको दस–पांच दिन पहले का किस्सा कहूँ । एक सर्वोदयी नेता हैं । रामबाग के पास में सिनेमा वालों का शूटिंग हो रहा था । पुलिस ने डंडे मारे; जो कहीं जा रहे थे उनके भी डंडे पड़ गये ।

श्री उपाध्यक्ष : शूटिंग डंडों का हो रहा था ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जुडिशियरी करती क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : मार खाकर आ गये, कुछ करना नहीं । हो गया, सो हो गया । किसी ने कहा कि पुलिस अन्याय करती है तो उसका प्रतिकार करना चाहिये । दूसरे साथी चले गये कि क्यों पीटा । चौकी सांगानेर की बात है । थानेदार साहब ने उनको भी बैठा कर पुलिस को कहा कि लगाओ । आपके भी दो-चार लगाये । सर्वोदयी साहब को हथकड़ी लगवा कर बैठा दिया । वे बैठ गये । गोकुल भाई के पास गये । भैरोंसिंहजी को पता है । सिर पर चोटें थीं, कहा कि हमारे साथ ऐसे वाकयात हुए । नाजायज़ भी था । कहा गया कि थाने में जाकर रिपोर्ट कर दो । थाने वाले कहते हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट कैसे हो । आखिर बात लिख दी, आखिर मामले ये हो रहे हैं या नहीं । जिनके हथकड़ी लगाई गई, जिनकी जमानत ली गई, सब कुछ हुआ । एस० पी० साहब को सारा किस्सा बताया गया । इन्क्वायरी की तो उन्होंने कहा कि न तो मामला बनाया, न हथकड़ी लगाई और न कुछ ही हुआ । तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि आज के राज्य में पुलिस का काम किस प्रकार से चलता है जैसे कोई कानून ही नहीं है । मामूली रोजमर्रा का यह एक तरीका सा हो गया है । गृह मंत्री जी भी अगर पगड़ी लगा कर, कंटी डाल कर

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहीं थाने में पहुँच जायं तो उनको अच्छा सेठ साहूकार समझ कर एक दफा तो थाने में बन्द कर दें और मौका आवे और उनको यह नहीं पहिचाने की गृह मन्त्रीजी हैं तो फिर उन पर डंडा उठाने की नौबत पेश आ जाय। आज यह मनोवृत्ति चल रही है। गृह मंत्रीजी कोई ध्यान देते नहीं, इन्क्वायरी कराते नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : इससे आगे बढ़िये।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की हालत है। इसलिए गृह मंत्रीजी इस पर कुछ ध्यान तो दें, वाक्यों पर विचार करें। सुलभ सस्ता न्याय के लिए संविधान के प्रति सौगन्ध खायी है। आप इतने लम्बे अर्से में भी यह न कर पाये तो कम से कम यह साल समाप्त हो रहा है और आप फिर कहीं गृह मन्त्री बन कर आवें या नहीं आवें इसलिए इस वक्त में जो संविधान के प्रति आपने सौगन्ध खायी है कि न्याय-पालिका को कार्य-पालिका से अलग करेंगे, यह ऐलान कर दें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज !

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ११ मुख्य शीर्षक २७ न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं जिनमें से पहला प्रस्ताव है झालावाड़ जिले में मुन्सिफी व मजिस्ट्रेटियों की कमी पर बहस करने हेतु।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती प्रस्ताव द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण से पहले झालावाड़ जिले में, जो तीन राज्यों से मिलकर बना है, उसमें न्याय की स्थिति क्या थी ? मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर प्रत्येक तहसील में एक निजामत रहती थी और उसके लिये एक नाजिम रहता था, उनको रेवेन्यू के अधिकारों के साथ साथ रेवेन्यू मुकदमे सुनने का अधिकार और दीवानी और फौजदारी मामले सुनने के भी अधिकार हुआ करते थे। इसी तरह से हम अगर मौजूदा झालावाड़ जिले को देखते हैं, जहां ११ निजामतें हैं और तहसीलें हैं, जहां ११ लघु-न्यायालय स्टेट के समय में थे, इसके अलावा ऊपर के न्यायालयों की बात अलग छोड़ दीजिये। इस तरह से रियासतों के समय में यहां ११ न्यायालय थे जिससे जनता को सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त होता था। जब रियासतों का एकीकरण हुआ उसके बाद फॉर्मर राजस्थान में और महाराजस्थान में ११ न्यायालयों के स्थान पर पांच न्यायालय कायम कर दिये गये। वे पांच न्यायालय एक इकलेरा में, दूसरा खानपुर में तीसरा पिडावा में, चौथा झालरापाटन और पांचवा भवानी मंडी में है। इस तरह से इन पांच स्थानों पर मुन्सिफी मजिस्ट्रेटियां हैं। पहले समय में अकलेरा और झालावाड़ में अलग अलग न्यायालय विद्यमान थे। दो एस० डी० एम० कोर्टस थे। सन् १९५४-५५ में राजस्थान सरकार ने झालरापाटन और खानपुर से मुन्सिफी मिजिस्ट्रेटियों को हटा दिया और पिडावा में एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी कायम कर दी। इससे वहां की जनता को तकलीफ हुई और मुकदमों की भरमार होने लगी, इसके बावजूद भी १९५८ के अन्त में जाकर राजस्थान सरकार ने एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेटी झालावाड़

(श्री सम्पतराज जैन)

को समाप्त कर दिया। इस समय झालावाड़ जिले में दो मुन्सिफियां विद्यमान हैं—भवानी मंडी और इकलेरा में। जहां पहले ११ मुन्सिफ–मजिस्ट्रेटियां थीं, वहां केवल दो मजिस्ट्रेटस काम करें तो उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त होता होगा।

आज स्थिति यह है कि मुन्सिफी मजिस्ट्रेटी और एस० डी० एम० कोर्ट में करीब १२०० १३०० मुकदमे विद्यमान हैं एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लिये इतने सारे मुकदमों का फैसला करना असंभव हो जाता है। एस० डी० एम० कोर्ट में जो मुकदमें चल रहे हैं वहां भी यही हालत है। उनको रेवेन्यू के अधिकार हैं, दौरा भी करते रहते हैं जब इस तरह के अन्य काम भी उनके सुपुर्द हैं तो उसमें काफी समय लग जाता है। इस तरह से उनके द्वारा १२०० मुकदमों का फैसला कर देना आसान काम नहीं है। नतीजा उसका यह होता है कि सिविल और एडीशनल जजी को अदालत में मामले देने पड़ते हैं, लेकिन उस अदालत में भी क्रिमिनल, सिविल आदि मामलों की सुनवाई होती है। इस तरह से एस० डी० एम० कोर्ट में, मुन्सिफ कोर्ट में मामलों की भरमार रहती है और इस तरह से सिविल और एडीशनल जजों की अदालत में भी हालत खराब हो रही है। इस तरह से एक ही साथ सैकड़ों हजारों मुकदमें बिना फैसले के पड़े रह जाते हैं। इसका नतीजा यह निकला है कि जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता है, बार बार पेशियां बदली जाती हैं जिससे जनता को आने-जाने में काफी खर्चा हो जाता है। उसके अलावा पेशी पर यदि वकील का मेहनताना बंधा हुआ होता है तो उसमें भी ज्यादा खर्च पड़ता है। इस तरह से जनता का न्याय पर से विश्वास उठता जा रहा है। मैं ऐसे कई मुकदमों से वाकिफ हूँ जिनको चालू हुए पांच-पांच और सात साल का अर्सा हो गया आज तक उनके फैसले नहीं हो पाये हैं इब्तदाई अदालतों से।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम महा–राजस्थान के समय जो पांच मुन्सिफी मजिस्ट्रेटियां कायम थीं वे तो कम से कम कायम कर दें। एक एक पंचायत समिति में, जिसका एरिया ७० हजार वर्ग मील का है, एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी के बिना काम नहीं चल सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि हमने न्याय पंचायतों को कायम किया है। एक एक तहसील में तीन तीन न्याय पंचायतों को कायम किया है इससे अदालतों में जो मुकदमे आते हैं उनमें कमी होगी। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि पहले ग्राम पंचायतों को भी यह अधिकार था। ग्राम पंचायत ५० रुपये तक फौजदारी और दीवानी मुकदमे सुन सकती थी अब न्याय पंचायतों को १००) रुपये तक के दीवानी और २५०) तक के फौजदारी मुकदमें सुनने की हमने व्यवस्था की है लेकिन न्याय पंचायतों के जिस तरह से चुनाव हुए हैं चुनाव में जिस प्रकार से राजनैतिक लोगों ने हिस्सा लिया उसका वर्णन मैं यहां नहीं करना चाहता। इस प्रकार से गठित न्याय पंचायतों से क्या न्याय की आशा की जा सकती है ? इनसे अधिक आशा नहीं की जानी चाहिये। इसी कारण जनता मुन्सिफी मजिस्ट्रेटी की तरफ अधिक झुकती है

(श्री सम्पतराज जैन)

और वहीं से फैसला करवाना चाहती है, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि झालावड़ा जिले के प्रत्येक तहसील में एक मुन्सिफी मजिस्ट्रेटी कायम करने की कृपा करें। अभी इसके लिये एक कमीशन कायम किया गया था हाई कोर्ट द्वारा, उसने इस बारे में जांच पड़ताल की थी और राजस्थान के बारे में सिफारिशें की हैं कि कहां कहां मुन्सिफी मजिस्ट्रेटी कायम की जाय। झालावाड़ जिले के लिये एक या दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी और कायम करने की सिफारिश की है और उसके लिये राज्य सरकार द्वारा आज्ञा भी दी जा चुकी है, मगर मुन्सिफी मजिस्ट्रेटी कायम नहीं हुई है और मुकद्दमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत समिति में एक मुन्सिफी मजिस्ट्रेटी कायम करने की कृपा करें!

इसके अलावा कटौती प्रस्ताव संख्या १७ के द्वारा मैंने मांग की है कि सरकार द्वारा जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय प्रदान करने में असफल रहने पर बहस की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था उस समय हमने जनता को यह आश्वासन दिलाया था कि हम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने का प्रयत्न करेंगे, मगर आज स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। आज हमारी सरकारें अधिकतर देश के निर्माण कार्य में और विकास कार्य में लगी हुई है और राजस्थान भी उसी दिशा में प्रगति कर रहा है। जनता के जान–माल की रक्षा करना, अमनो-आमान और शान्ति को कायम रखना, जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना, यह प्रत्येक सरकार का कर्तव्य हो जाता है। मगर इस कर्तव्य को हमारी राज्य सरकार पालन करने में असमर्थ रही है इससे हमें निराशा ही हुई है। हालत यह है कि आज जो भी न्याय प्राप्त करने को जाता है उसको कितनी तवालत उठानी होती है, बराबर पेशियों पर बार बार जाना पड़ता है, कितना ही वकीलों के महनताने में खर्च हो जाता है और इसी कारण न्याय के विषय में जनता को हम असन्तुष्ट पाते हैं। आज हालत यह है कि आज हम कोर्ट फीस को ही लें इससे साफ प्रगट होता है कि मामूली आदमी, गरीब आदमी न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। आज किसी गरीब को चाहे कितना ही मार दो, चाहे किसी पूंजी–पति द्वारा या बलवान आदमी द्वारा वह कितना ही क्यों न सताया जाय वह अपने न्याय की प्राप्ति के लिये अदालतों में जा नहीं सकता क्योंकि आज उसके पास इतना पैसा खर्च करने को नहीं है। आज जहां कोर्ट फीस बढ़ी हुई है वहां पेशियों पर भी बार बार जाना पड़ता है। इस तरह से बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : गवर्नमेंट ने कोर्ट फीस नहीं बढ़ायी है।

श्री सम्पतराज जैन : सन् १९६१–६२ के बजट में कोर्ट फीस को अधिक बढ़ाया गया है। जनता को न्याय देने और सस्ता न्याय देने का सरकार को अधिकार है और कर्तव्य भी है; न्याय मुफ्त में मिले, आसानी से मिले तो बहुत अच्छी बात है। मगर राज्य सरकार तो इस न्याय की मद से अपनी आय को बढ़ाना चाहती है।

(श्री सम्पतराज जैन)

उपाध्यक्ष महोदय, आज से तीन-चार साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री महाजन जब जोधपुर हाईकोर्ट का निरीक्षण करने जोधपुर गये थे उस समय उन्होंने कहा था- मुझे आश्चर्य है, राज्य सरकारें न्याय की मद से अपनी आय को बढ़ाना चाहती है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने यह भी बताया था कि एक राज्य ऐसा भी है जो अपना सारा खर्चा निकालने के बाद ८० लाख रुपया इस न्याय के मद से बचाती है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री महाजन ने न्याय से आय बढ़ाने का विरोध किया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां मुफ्त न्याय की बात होती है उसका प्रयत्न करने में राजस्थान सरकार असमर्थ है लेकिन न्याय को मंहगा करने के लिए कोर्ट फीस बढ़ाना और फिर न्याय सस्ता और सुलभ नहीं होना, बारबार पेशी बढ़ाना इससे तो न्याय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। यदि न्याय देरी से मिलता है तो न्याय देने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो जब न्याय देने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो इससे बड़ी बात और क्या होगी ? आज आप छोटी अदालतों में जायें तो एक केस के लिए कम से कम ५००) रुपये चाहिए और अपीलेट कोर्ट में जायें तो इतना ही खर्चा होता है और फिर बाद में हाईकोर्ट को बात को तो जाने ही दीजिए। वहां पर तो हजारों रुपये वगैर काम नहीं चलता है। मैं समझता हूँ कि कोटा डिवीज़न से जोधपुर हाई कोर्ट करीब ६०० मील पड़ता है। तो एक साधारण आदमी के लिए वहां पर जाकर न्याय प्राप्त करना कितना मुश्किल हो जाता है। झालावाड़ जिले की दूरी यहां से करीब ३५० मील होगी और यहां से जोधपुर २५० मील पड़ता है तो इस तरह से ६०० मील दूर वहां से हाई कोर्ट पड़ता है। इतनी दूर जाने का खर्चा और फिर उसके उपरान्त वकीलों की बढ़ी हुई फीस देना और फिर कोर्ट फीस, तो आम तौर पर हाई कोर्ट तक जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार का ध्यान इस ओर होना चाहिए और उसके लिए मैं संक्षेप में कुछ सुझाव निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहला सुझाव तो मेरा यह है कि राज्य सरकार न्याय की मद में अपनी नीति का परित्याग कर दे और जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने की दृष्टि से कोर्ट फीस में कमी करें। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि राजस्थान में लघु न्यायालयों की स्थापना की जाय और तीसरे उनमें तिथि निश्चित कर दी जाये कि इतने इतने दिनों तक मामले का निपटारा हो जायेगा। इससे पेशियां बारबार नहीं पड़ेंगी और जनता को न्याय जल्दी प्राप्त होगा, यह मेरा तीसरा सुझाव है। इससे यह होगा कि जो सात–सात और आठ–आठ साल तक मुकदमे चलते रहते हैं....

श्री बिशम्भरनाथ जोशी (वांदोकुई) : The Law will take its own course.

श्री उपाध्यक्ष : It must take its own course.

श्री सम्पतराज जैन : इस प्रकार से तय किया जाये कि कोई भी मुकदमा १॥ साल से ज्यादा का समय नहीं लेगा, इस प्रकार के न्यायालय को आदेश दे देने चाहिए। इसके बाद में चौथा सुझाव है कि हाईकोर्ट की एक

(श्री सम्पतराज जैन)

बैंच दक्षिण पूर्वी राजस्थान में न्याय प्रदान करने के लिए जयपुर में स्थापित की जानी चाहिए। पांचवा सुझाव यह है कि सिविल की तरह क्रिमिनल केसेज़ में भी हालां कि यह व्यवहारिक नहीं है, उसकी तरह भी वकीलों का मेहनताना राजस्थान सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए। छुटा मेरा सुझाव है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को १००) रुपये से कम आय हो उनको कानूनी सहायता मुफ्त प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि गरीब आदमी वकीलों की बढ़ती हुई फीस देकर न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए निम्न श्रेणी के आदमियों को कम से कम राज्य सरकार की ओर से पैरवी की सहायता मन्जूर की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब दूसरा कटमोशन ले लीजिए....

श्री सम्पतराज जैन : अब तीसरा ले रहा हूँ। मैं अपने तीसरे कटौती के प्रस्ताव द्वारा निवेदन करना चाहूँगा कि सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए राज्य सरकार ध्यान दे। अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की यह नीति रही है कि अपने विभागों के अन्दर हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो और उसके लिए समय समय पर राजस्थान सरकार विज्ञप्ति प्रकाशित करती है कि हिन्दी में काम होगा, लेकिन राज्य सरकार की आज्ञाओं का पालन नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आदेश हैं कि वहां पर हिन्दी का अधिक प्रयोग किया जाये, लेकिन हम देखते हैं कि रियासती जमाने से आज जब कि राजस्थान हिन्दी भाषा–भाषी राज्य है इसके नाते हिन्दी का अधिक प्रयोग करना चाहिए, वहां पर उच्च न्यायालय की तो बात जाने दीजिए, अधीनस्थ न्यायालयों में भी अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ रहा है। नतीजा यह होता है कि अदालतों की कार्यवाही, अदालतों के फैसले अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकने के कारण जनता मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ती है और उससे बरबाद होती है। इसलिए संक्षेप में मैं इसके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप समय समय पर विज्ञप्तियां प्रकाशित करते हैं उनका पालन अधीनस्थ न्यायालयों में होना चाहिए, उच्च न्यायालय को छोड़ दीजिए! वहां तो हिन्दी जब होगी तब होगी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आबिदअली।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपके कटमोशन्स हैं?

श्री आबिदअली : नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कटमोशन सारे समाप्त हो गए?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां, we have finished the cut-motions.

Page No.74

कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने कुछ कटमोशन्स मूव किये थे और कल सभापति महोदय, जब श्री जोशीजी विराजमान थे उन्होंने कहा था कि कटमोशन के बारे में आप कल बोल सकेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : क्या आदेश थे ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जोशीजी यहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : I would not like to refer it to him now as he is no more Chairman at present.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल जब यह डिमाण्ड ली जा रही थी ४॥। बजे के करीब तब मैंने आपत्ति की थी कि जिनके कटौती के प्रस्ताव आये हैं तो उनको कल लिया जायें तो उस समय सभापति महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि जो प्रस्ताव पेश हुए हैं वे कल ले लेंगे, आज जो है वह शुरू करें। मैंने ४ कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे; मुझे जानकारी नहीं है कि उनका क्या हुआ ? लेकिन वे सर्कुलेट नहीं हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : My information is that these have been disallowed for want of notice, or required time.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे तो कल चेयर ने अलाऊ कर दिया था उसके लिए ।

श्री उपाध्यक्ष : I think my information is that they have not been allowed.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वह तो ठीक है लेकिन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यह है कि चेयरमैन या स्पीकर साहब उसको रिलेक्स कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान रूल १४८ की तरफ आकर्षित करूंगा :

"If notice of a motion to reduce any demand for grant has not been given one day previous to the day on which the demand is under consideration, any member may object to the moving of the motion, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made."

और यह मैंने इसलिए निवेदन किया था कि आज लिया जाये क्योंकि मैं जानता था कि टेक्नीकल ऑब्जेक्शन नहीं हो इसलिए यह डिमाण्ड जो ली हुई मानी गई है and it is under consideration today, अगर डिमाण्ड तीन दिन कन्सीडरेशन में चलती है तो उसका एक दिन पहले नोटिस दिया जा सकता है और इसके मुताबिक 'one day previous to the day' से मेरा जो इन्टरप्रिटेशन है वह यह है–"one day previous to the day on which the demand is under consideration."

श्री उपाध्यक्ष : How can I open this question now at this stage when your

(श्री उपाध्यक्ष)

cut motions have been disallowed by the Hon. Speaker.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इस सम्बन्ध में....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : On a Point of Information, Sir, I would like to know whether the Hon. Speaker has disallowed on the ground that they were not given in proper time ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes. For want of due time.

(विघ्न)

Shri Abid Ali

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न और खड़ा होगा। मुझे चेयरमैन महोदय ने इजाजत दे दी थी कि जो कट मोशन मूव किये हैं उनको कल रख सकते हैं। मैंने विशेष रूप से इसलिए निवेदन किया था कि मुझे मालूम था कि दिक्कत आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : You have placed the Chair in an awkward position.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Yesterday in the House, we were informed when this point was raised that all the cut-motions, whose notices were given, have been circulated while today we find that it is one which has not been circulated.

श्री उपाध्यक्ष : Those which have been given in time... ..

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : But the information was given yesterday by the Secretariat when Shri B. N. Joshi was presiding that all the Cut-motions have been circulated and remains nothing......

श्री उपाध्यक्ष : I will like to refer to the proceedings first and then would enlighten.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : प्रोपर नोटिस में जो थे वे सरकुलेट हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : I think, the intention of the Chairman was that the cut-motions which were within time have been circulated.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : We have received today's cut-motions. If all were circulated yesterday how does it happen that we have received it......

श्री उपाध्यक्ष : The time is upto 3 p. m.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : So far as the rules are concerned, I would respectfully submit that circulation, whatsoever, does not carry any weight. Rules permit me to move my

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

cut-motions as the demand is under consideration today and I had already moved my cut-motions yesterday.

श्री उपाध्यक्ष : You may be correct or you may not be correct but the position should not arise before me. I will request you to approach the Hon'ble Speaker and convince him of the position. I am not concerned with these cut-motions which have been rejected by the Hon'ble Speaker.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रीमान् महेन्द्रसिंह ने एक पोइन्ट रेज किया है कि श्री जोशी जब कल सभापति के आसन पर पदासीन थे उस समय उन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि आज इस पर विचार प्रारम्भ कर दें और जो कट,मोशन है उस पर विचार कर लिया जायगा। बड़ी दिक्कत हो जाती है when once it has been permitted by the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : I think, Mr. Joshi Hon'ble member of this House will explain the intention of the Chairman occupying the chair at that time.

श्री विशम्भरनाथ जोशी : On the point of Information,Sir,I had not made any relaxation of the rules. I think, I informed the Hon'ble member that if he has given any due notice of the cut-motions he will have an opportunity to speak on them the nextday. So if they have been given with due notice they will be dealt with accordingly. But certainly I have not made any relaxation in the Rules and they may be ascertained from the proceedings.

श्री उपाध्यक्ष : I will like to ascertain from the Proceedings and if there is any version contrary to what the Hon'ble member has said I will refer it once again to the Hon'ble Speaker.

(२.४२ म० प०)

मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७– न्याय प्रशासन

(पूर्व क्रम से)

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के सम्बन्ध में जो कट मोशन हाउस के सामने था उस पर वाद-विवाद मैंने सुना। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है और जो विचार रखे और विचारों के साथ साथ जो सुझाव आपने दिये उनका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूँ।

यह, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित है कि इन्डिपेन्डेन्स के बाद जहां डेवलपमेंट प्लान्स में हमने तरक्की की है वहां मेरा अपना व्यू यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात जब हम सोचते हैं और एक्चुअली जब हम उसको देखते हैं तो मेरी ऐसी मान्यता है

(श्री आबिदअली)

कि हमारा स्तर इस आस्पेक्ट में गिर गया है। देखना यह पड़ेगा कि इसका कारण क्या है ? हम जब न्याय की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त चल रहा है उसको हम एनेलाइज़ करते हैं तो वास्तव में अदालतों में जो जस्टिस इम्पोर्ट किया जाता है उसको दो भागों में बांटा जाता है।

एक, जहां तक सिविल और पार्टली क्रिमिनल लिटिगेशन का सम्बन्ध है तो हम यह देखते हैं कि सिविल के प्योरली और पार्टली क्रिमिनल के जितने भी केसेज़ हैं वे हाईकोर्ट के अन्डर में जितनी भी अदालतें हैं, ओरीजिनल कोर्ट्स हैं मुन्सिफी प्लस मजिस्ट्रेटीज वे उनको सुन कर न्याय देती है। उनके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पॉवर्स दे दिये गये हैं, वे क्रिमिनल जस्टिस का जहां तक सम्बन्ध है वे इम्पार्ट करते हैं और उसके साथ साथ रेवेन्यू के जितने भी मुकदमात हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जहां तक सम्बन्ध है, वे फैसला देते हैं। जब हम रेवेन्यू लॉ की तरफ आंख उठा कर देखते हैं तो हम निश्चित रूप से इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इतने लेजिस्लेशन कर दिये हैं, कानूनों का इतना विस्तार बना लिया है कि वहां पर एक मुन्सिफ के केलिबर का आदमी, एक लीगल ब्रेन का आदमी जब तक नहीं बैठे उस समय तक मेरी मान्यता, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी है कि हमको जस्टिस ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। इसका कारण क्या है ? हम टीनेन्सी एक्ट को उठा कर देखते हैं, हम उसके शिड्यूल को उठा कर देखें तो क्या लिखा होता है ? टीनेन्सी एक्ट के शिड्यूल को देखिये तो सिविल प्रोसीजर के फलां फलां सेक्शन जो बहुत लिमिटेड हैं और फलां फलां ऑर्डर्स हैं जो कि बहुत लिमिटेड हैं वे एप्लीकेबल नहीं होंगे; वर्ना सारा सिविल प्रोसीजर रेवेन्यू लॉ पर एप्लीकेबल होता है। सक्सेशन के जितने मामले हैं उनके लिए सक्सेशन के जितने एक्ट्स हैं वे टीनेन्सी एक्ट पर एप्लीकेबल होते हैं। लिमिटेशन के जो मामले हैं उन पर लिमिटेशन एक्ट एप्लाई होता है। ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी के जितने मामले हैं उन पर ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होता है। आर्ग्युमेंट मेरा यह है, जैसा कि मैंने बताया था कि दर-हकीकत में रेवेन्यू केसेज़ को देखते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रेस्पोंसिबिलिटी मुन्सिफ के मुकाबले में ज्यादा हो जाती है। उसको दूसरे कानून भी देखने पड़ते हैं। वहां पर टीनेन्सी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को और ध्यान में रखना पड़ता है। नतीजा क्या निकलता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक ऐसे ऑफिसर को जो लीगल ब्रेन नहीं रखता है, जिसका उससे कुछ टच नहीं होता है, उसको लाकर बैठा दें और वह लिटिगेशन पर ध्यान देता है। जब वह मुकदमात की तरफ देखता है तो जितने नम्बर ऑफ केसेज़ रेवेन्यू लॉ के हैं सिविल केसेज़ भी हैं, लेकिन जहां तक मनी सूट्स का सम्बन्ध है, जितने हमने प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बनाये हैं उनकी वजह से करीब २ वे समाप्त हो जाते हैं। आज अगर हम उनका सर्वे करते हैं तो आज से १० वर्ष पहले जो मनी लैंडिंग के सूट्स का लिटिगेशन था उसका आधा भी नहीं रहा है। मनी लैंडिंग के जितने

Page No.78

(श्री आबिदअली)

मुकदमात हैं वे एक तरह से समाप्त हो जाते हैं। आज सहकारिता के आधार पर और दूसरे तरीके से जो लोन स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरिस्ट्स को देती है उससे मुकदमेबाजी मनी लैंडिंग की समाप्त हो गई है। जब हम इन तमाम बातों का सर्वे करते हैं तो हम देखते हैं कि वे ऑफिसर्स जो कि इस सम्बन्ध में टैकिनकल नहीं हैं, उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में लाकर बैठा देते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में बैठते हैं और कोई कानून नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से डिसएपोइन्टमेंट होता है और डिसएपोइन्टमेंट का कारण यह है कि हमारा जो सिलेक्शन का तरीका है, मैं पहले भी इस हाउस में कह चुका हूँ, फिर दुबारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आपके जरिये जो मिनिस्टर इन्चार्ज हैं उन तक यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि यह ठीक नहीं है और इस सिलेक्शन के तरीके में सुधार कर लें तो यह सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। हाई कोर्ट के नीचे जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं, मैं यह बात कह सकता हूँ कि जो पोज़ीशन इस वक्त है, जो इन्टीग्रिटी और इन्टेलीजेन्स है मैं कम से कम उसमें डाउट नहीं करता हूँ। मुन्सिफ को अपने केलिबर का आदमी पाता हूँ। पहले जो बात थी उससे ज्यादा रेस्पोन्सिबिलिटी वे फील करते हैं। यह इसलिए है कि हाई कोर्ट ने जो इन्स्ट्रक्शन्स, और डाइरेक्शन्स जारी किये हैं उनको देखते हुए, मन्थली स्टेटमेंट जो मांगे जाते हैं उन तमाम बातों को देखते हुए वे स्टेण्डर्ड को मेन्टेन करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ मुन्सिफ और जुडिशियल ऑफिसर पर हाई कोर्ट एक अपीलेट ऑथोरिटी है। उस पर स्ट्रिक्चर पास कर दिये गये तो प्रमोशन के अन्दर झगड़ा पड़ेगा और कई बातें पैदा होंगी। हाई कोर्ट के डाइरेक्ट सुपरविज़न और कन्ट्रोल में जो अदालतें हैं, मैं यह मान कर चलता हूँ, और आज भी मेरी मान्यता है कि उनका स्तर नहीं गिरा है, बल्कि रेस्पोन्सिबिलिटी ज्यादा फील करते हैं। इसी तरह से हम सेशन्स जजेज़ को देखते हैं तो निश्चित रूप से आज उनका स्टेंडर्ड ठीक ढंग का है, इसमें दो राय नहीं है।

इसके आगे जब हम ओरिजिनल कोर्ट में जाते हैं तो नम्बर ऑफ केसेज़ को देखते हैं, रेवेन्यू लॉ में कई लेजिस्लेशन बना दिये हैं, उनके मातहत नम्बर ऑफ केसेज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को दे दिये हैं और दफा १०७ और १४५ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मामले किसी दूसरे ऑफिसर के पास जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को दे दें तो एफिशियेन्सी का जहां तक सवाल है, नहीं रहती है और फिर उसके बाद में सुपरविज़न और कन्ट्रोल भी नहीं होता है। इसलिए जहां सिलेक्शन का तरीका है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर परिवर्तन होना चाहिए। सुपरविज़न के अन्दर क्या रखा है? मेरे सामने जो एमर्जेन्सी का रिक्रूटमेंट आर. ए. एस. का हुआ था, तो मेरे कई साथियों के और मेरे सामने वे रूल्स आये थे, और सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के जितने मेम्बर्स थे उनको आश्चर्य हुआ एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट के रूल्स को देख कर। जो लोग एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट की परीक्षा पास करके आर. ए. एस. में आते हैं उनको आते ही

(श्री आबिद अली)

एस. डी. ओ. या असिस्टेन्ट कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा देते हैं। वहां उनको टीनेन्सी एक्ट को देखना पड़ता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट को देखना पड़ता है, ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट को देखना पड़ता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को देखना पड़ता है जिसका उनको कोई अनुभव नहीं है। एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट में वे लोग आ जाते हैं जो बी. ए. पास करके दो साल से किसी दूकान पर काम कर रहे है और प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं कि २०० रु. माहवार कमा रहे हैं। वे लोग इसमें आ जायेंगे। इसके लिये जनरल नॉलेज और हिन्दी के पेपर रखे गये हैं। इसलिये वे इनको पढ़ लेंगे और आर. ए. एस. में आ जायेंगे और उस कुर्सी पर बैठ जायेंगे जहां उन लॉज़ को समझना पड़ता है जिन्हें मैंने अभी बताया। इसके अलावा और भी कितने ही कानूनों को समझने की जरूरत पड़ती है। इस परीक्षा में ऐसे आदमी बैठ गये जो दूकान पर खड़े थे या जो मास्टरी कर रहे थे। जहां तक जनरल नॉलेज का और इंग्लिश व हिन्दी का सम्बन्ध है एक लेक्चरार को साधारण आदमी से ज्यादा अनुभव होता है ऐसे वह निश्चित रूप से अच्छा लिख सकता है। एक टीचर या प्रोफेसर साधारण आदमी से ज्यादा अच्छा लिख लेगा। आपने क्राइटेरिया क्या रखा ? आपको एमर्जेन्सी में लिया जायगा, कुर्सी पर बैठ कर फैसला देना पड़ेगा और इम्तिहान किस चीज में लिया जायगा ? एक ऐसे (essay) लिखाया जायेगा और जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जायेंगे। क्या यह कोई तरीका है ? तरीका क्या रखा है ? २५ पर्सेन्ट बाई मीन्स ऑफ प्रमोशन लेंगे। ठीक है, आप तहसीलदारों में से बाई मीन्स ऑफ प्रमोशन ४५ पर्सेन्ट ले लीजिये। जो बार के मेम्बर्स हैं उनके लिये ३ साल की प्रेक्टिस होना लाजमी रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जुडिशियरी में भर्ती करने का तरीका है उसी तरह से यहां भी होना चाहिये। मुन्सिफ के लिये इम्तिहान होता है तो उसके लिये यह रखा गया है कि केवल बार का मेम्बर इतने साल के अनुभव वाला हो वह एपियर होगा और इतने रिक्रूटमेन्ट से लेंगे। यही सवाल सेशन्स जजेज़ के लिये या हायर जुडिशियल सरविस के लिये आता है। ७ साल की स्टेन्डिंग वाला प्लीडर या एडवोकेट होना चाहिये वही कॉम्पीटिटिव एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकता है। ६० पर्सेन्ट या ४० पर्सेन्ट, मुझे पूरा याद नहीं, बाई मीनस ऑफ प्रमोशन है। लेकिन यह तरीका है। हायर जुडिशियरी में भी ६० पर्सेन्ट बाई मीन्स ऑफ प्रमोशन ले लेंगे और ४० पर्सेन्ट बार में से लेंगे। बार में से लेने का कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि उनको प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्स है। जो क्लाइन्ट उनके पास आते हैं उनको अनुभव है। वे जानते हैं कि एक एडजोर्नमेन्ट देने से एक क्लाइन्ट आता है उसको कितनी तकलीफ होती है। १० गवाह लेकर आता है तो उसको कितना खर्चा होता है ? यह बात एक एडवोकेट अच्छी तरह से समझ सकता है। एक आर.-ए. एस. ऑफिसर के सामने २५ गवाह लेकर भी खड़े कर दें तो भी वे उनकी परवाह नहीं करेंगे। जस्टिस चीप एण्ड रेपिड मिलना चाहिये लेकिन चीप होने के बजाय बहुत ज्यादा मंहगा मिलता है। आर. ए. एस. ऑफिसर अपने चेम्बर में जाकर बैठ जाते हैं और अदालत के बाहर चाहे ५० गवाह खड़े

(श्री आबिदअली)

हों, उनकी कोई परवाह नहीं करेंगे। आज यह पोजीशन है। चाहे आप सर्वे करा लीजिये। न उनको कोई लिहाज है और न वे दूसरों की दिक्कत को महसूस करते हैं; इसलिये कि उनको कोई एक्सपीरियेन्स नहीं होता है। इसलिये यह लोजिकल आर्ग्युमेन्ट है कि जो बार से लिये जाते हैं वे क्लाइन्ट्स की दिक्कत को जानते हैं। आप सर्वे करा लीजिये। जितने बार से मुंसिफ या मजिस्ट्रेट लिये गये हैं वे बहुत ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं।

मैं नाम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि बात चली है तो बता देता हूँ। आई. पी. एस. या आई. ए.-एस. ऑफिसर्स होते हैं, वैसे वे बहुत बड़े ऑफिसर्स होते हैं। एक प्रोफेसर आई. ए.-एस. या आई. पी. एस. परीक्षा में पास हो जाता है तो उसको कौनसा कानून का अनुभव होता है? वे अच्छी अंग्रेजी लिख सकते हैं लेकिन यह देखना है कि जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं उसके लिये काबिल हैं या नहीं? एक सज्जन कहने लगे कि जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं वे तो आइ. ए. एस. या आई. पी.-एस. में चले जाते हैं और जो दूसरे नंबर के लोग होते हैं वे आर. ए. एस. या आर. पी.-एस. में चले जाते हैं और जो थर्ड ग्रेड आदमी होते हैं वे या तो प्लीडर बनते हैं या कालाकोट पहिनते हैं। मैंने कहा आपने तो अपना एक्सप्रेशन दे दिया। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : मेरा अनुभव विपरीत है। जिनकी वकालत नहीं चलती है वे नौकरियां ढूढ़ते हैं।

श्री आबिदअली : मैं बात यह बता रहा था कि मैंने उनसे कहा कि आप जैसा एक्सप्रेशन देते हैं मैं वैसा देना नहीं चाहता लेकिन जितने आप जैसे लोग हैं उन सबको बुला लीजिये। मैं उनसे एक बात पूछूंगा। 'फैक्ट्स इन इशु' एण्ड 'रिलेवेन्ट फैक्ट्स' में क्या फर्क है, इसको आप बता दीजिये। इसका फर्क एक साधारण वकील जानता है। मेरी निश्चित मान्यता है....

एक माननीय सदस्य : आप यह प्रश्न माननीय मंत्रीजी से नहीं पूछ लेवे।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : वे एडवोकेट रहे हैं।

श्री आबिदअली : साधारण सी बात थी। मैं समझता हूँ, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। जो केलिबर वाले ऑफिसर हैं, इन्साफ करने बैटते हैं वे यह नहीं समझते कि 'फैक्ट्स इन इशु' और 'रिलेवेन्ट फैक्ट्स' में अन्तर क्या है। वे लर्नेड हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं लेकिन वे जिस जगह बैठे हैं उसके लिये उपयुक्त नहीं हैं। इसलिये जो रिक्रूटमेन्ट करने का तरीका है उसके लिये सुझाव देना चाहता हूँ।

या तो जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को सेपरेट कर दीजिये या जितने केसेज़ हैं उनको जुडिशियल ऑफिसर्स के पास ट्रान्सफर कर दीजिये। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो यह जो ४५ पर्सेन्ट बाई मीन्स ऑफ प्रमोशन रखा है वह बार के लिये भी रख दीजिये। आउट ऑफ रिमेनिंग २५ पर्सेन्ट बार में से

(श्री आबिदअली)

ले लिये जायेंगे तो कम से कम ५० परसेन्ट तो ऐसे लोग आ जायेंगे जो कानून को जानते हैं। इसलिये यह जो तरीका है कि इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट आर. ए. एस. में जनरल नॉलेज और हिन्दी के ऐसे वगैरह से लेते हैं और पास होनेवाले लोग एस. डी. ओ. या असिस्टेन्ट कलेक्टर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं, यह कोई इम्तिहान लेने का तरीका नहीं है।

आज हाउस में एक व्यू बनता है, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वे करप्ट है इसका क्या रीजन है? मेरा यह निश्चित मानना है कि करप्शन फैलने का खास कारण है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर्स आर. ए. एस. में बैठे हैं उनमें से ५० परसेन्ट ऐसे हैं जो अपने रीडर्स पर डिपेन्ड करते हैं। वे स्वयं फैसला लिख नहीं सकते। वकील आर्ग्यु करते हैं तो उनके जाने के बाद रीडर से पूछते हैं कि जो वकील इतनी बातें कर रहे थे वे कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे थे? जो लोग ज्यादा समझदार होते हैं वे बार की तरफ देखते हैं और यह समझते हैं कि बार से उनको हैल्प मिलती है। वे लोग कभी यह नहीं सोचेंगे कि जो वकील बहस कर रहे हैं वे धोखा दे रहे हैं। मुंसिफ और सेशन्स जजेज़ वगैरह गौर से बहस सुनेंगे और उनको कोई पॉइन्ट क्लीयर नहीं होगा तो दुबारा बहस सुनेंगे और उसका इफैक्ट यह होगा कि वे समझेंगे कि बार उनको हैल्प कर रहा है, इम्पलीमेन्टेशन ऑफ जस्टिस के लिये। यह वास्तविकता है। इसके अलावा नये आदमी यह समझते हैं कि ये धोखा देनेवाले हैं। वे यह नहीं समझेंगे कि हमको हैल्प कर रहे हैं। कॉम्पलीकेटेड मामलों को समझने का माद्दा कम होता है। जो समझदार होते हैं वे तो दोनों तरफ की बातें सुन कर फैसला कर देते हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मुझे ५ मिनट का और समय देना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): ऐसे मामले पर बोलने के लिये वकीलों को अधिक समय देना चाहिये।

(३. ०० म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : There cannot be any discrimination in between the Hon'ble members.'

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Every member is supposed to be a specialist.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : The House is interested in hearing him.

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : He is doing justice to justice, and I think he should be permitted.

श्री उपाध्यक्ष : That's why he has been given priority even as against other members.

श्री आबिदअली : मैं यह बता रहा था कि इनएफिशियेन्सी के कारण करप्शन प्रिवेल करता है। करप्शन प्रिवेल करने की बात बता

(श्री आबिदअली)

रहा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कानून से वाकिफ नहीं हो तो करप्शन होता है। आज से बीस वर्ष पुराने न्याय होते थे, उनकी तरफ आंख उठा कर देखते हैं कि वहां इनएफीशियेन्सी की वजह से, रीडर सूट्स पास कर देते तो बदनामी हो जाती थी। उसी तरह करप्शन का और दूसरा वर्क आज जुडिशियरी में करना पड़ेगा। आज बहस का व्यू बन गया है और जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से कम्पेअर करने जा रहे हैं। एक साधारण बात कही जाती है कि जुडिशियरी में करप्शन है। मेरी इन्डिपेन्डेंट थिंकिंग है कि जुडिशियरी इन-कम्पेरिजन विथ अदर डिपार्टमेंट्स आज सुरक्षित हो सकती है। उसमें मेजोरिटी ऑफ ऑफिसर्स, सेशन्स जजेज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, जिनके सामने मामले चलते हैं उन ऑफिसर्स में से ६६ पर्सेन्ट ईमानदार मिल सकते हैं। जहां तक सेशन्स जजेज़ का ताल्लुक है, मुन्सिफी का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि उनका नम्बर जहां तक करप्शन का मामला है, उसमें ज्यादा नहीं है, कम हो सकते हैं। आज मैं उनको फरिश्ता बनाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। उसका कारण क्या है? एक आदमी जो इन्साफ की कुर्सी पर बैठता है वह ईमानदार और रीज़नेबल होकर कुर्सी पर बैठता है, उसकी ऑनेस्टी डाउटफुल नहीं है। उसका कारण यह है कि आज हाई कोर्ट विजिलेन्ट है; उनके रजिस्टर्स को देखते हैं, केसेज़ को पढ़ते हैं। इसके अलावा उनके केस अपीलेट कोर्ट में पहुँच जाते हैं। अगर वहां देखते हैं कि उसकी ऑनेस्टी डाउटफुल है तो स्ट्रिक्चर्स पास कर दिये जाते हैं जो उनके प्रमोशन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा उनके एक्सप्लेनेशन पूछे जा सकते हैं; एक रोज तुम्हारी अदालत में २५ गवाह आये थे, उनमें से दस गवाह के बयान क्यों नहीं हुए? ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से विजिलेन्ट रहना पड़ता है, केअरलैस नहीं रह सकते। उसके मुकाबले में किसी इन्सपेक्टर ने या एस. डी.-ओ. ने इन्सपेक्शन किया, उसके रजिस्टर को देख लिया, केसेज़ के नम्बर कितने हैं, कितने डिस्पोज़ ऑफ हुए, कितना नम्बर बचता है, उसकी अलमारी देख ली और चलो मुआयना हो गया....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): चाय पिलाई, यह भी नहीं कहा।

श्री आबिदअली : चाय वाय की बात दूसरी है। होता क्या है, मैं आपको निवेदन करूं कि जयपुर में जब मैंने प्रेक्टिस स्टार्ट की थी उस समय जो चीफ जस्टिस थे उनका इन्सपेक्शन करने का ढंग जुदा था। जिस समय मुकदमे की ट्राइल होती थी, दोनों तरफ के वकील बहस कर रहे हैं, उस समय चीफ जस्टिस बैठे बैठे सुन रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा हुआ सुन रहा है। गवाहों के बयान पेश हो रहे हैं वकील उनको क्रोस कर रहे हैं, चीफ जस्टिस बैठे सुन रहे हैं। इस तरह गवाहों के मामले कम्प्लीट हो रहे हैं, वे उनके सामने हो रहे हैं। इस तरह वकील का इम्तिहान हो गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इम्तिहान हो गया, गवाहों को सुन लिया। उसकी वजह क्या है, बिला वजह नहीं होता था। लेकिन आज हाई कोर्ट में यह नहीं होता है। आज हर एक जजमेंट में हम देखते हैं, मैं ऐसे उदाहरण आपको दूं; एक १४५ के केस की नजीर है। फर्स्ट पार्टी के गवाहान थे। उनके बयान पार्टी नम्बर दो के फेवर में

(श्री आबिदअली)

गये और अपोज़िट पार्टी के फेवर में दिये; लेकिन जो पजेशन का फैसला हुआ है उसमें पार्टी नम्बर एक का पजेशन डिक्लेअर करते हैं। अनफोर्चुनेटली १४५ का रिवीज़न नहीं होता। यह दे रखा है ४६, जो बाई मीन्स ऑफ रेगुलर सूट इसका प्रोविज़न है, उसमें इसको जुदा कर रखा है, इसलिए रिवीजन मेन्टेनेबल नहीं हुआ। मैंने जैसा बताया कि फर्स्ट पार्टी के गवाहों ने दूसरी पार्टी के पजेशन को माना है। कोई भी कानून को जानने वाला आदमी समझता है कि एक पार्टी के गवाह अपोज़िट पार्टी के पक्ष में गवाही दे दें, उसमें सक्सेसफुल होवें, और तथ्य और दूसरे न आ जाय, तो जैसा मैंने बताया कि एक पार्टी के गवाह दूसरी पार्टी के पक्ष में गवाही दे रहे हैं और फैसला हो रहा है पार्टी नम्बर एक के पक्ष में, पार्टी नम्बर एक का पजेशन डिक्लेअर कर दिया। ऐसे उदाहरण एक नहीं, बहुत है। लेकिन होता क्या है कि उनके जजमेंट को उलट कर नहीं देखते हैं। आज जितने अपीलेट कोर्ट है वे स्ट्रिक्चर्स पास करना शुरू कर दें और उनमें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में कोई बाधा नहीं हो सके। अगर उनमें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कर दी जाय, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज उनके विरोध में जा सकती हैं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि प्रमोशन के अन्दर वर्क और एफीशियेन्सी को आधार मान कर चलें, तो एक अच्छा स्तर आ सकता है। जहां तक इन्सपेक्शन का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेसन ऑफ जस्टिस के सम्बन्ध में जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका ऑफिस इस तरह का हो जाय कि जब तक करप्शन की बात खत्म नहीं होने वाली हैं तब तक प्रमोशन नहीं दिया जायगा। मेरी इस सम्बन्ध में मान्यता है कि करप्शन समाप्त हो सकता है।

मैं निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट की बेंच का सवाल है। पहले चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के वे जयपुर में थे। यहां से हाई कोर्ट हटा इसलिए दी गई कि यह वकीलों की बात है। वास्तविकता यह है कि हाई कोर्ट के विषय में जयपुर के सिलेक्टेड फ्यू वकील ऐसे हैं जो फायदा उठाते हे। पांच—सात वकील फायदा उठाते हैं और बाकी के ३००, ४०० वकीलों का निश्चित रूप से हाई कोर्ट से सम्बन्ध नहीं हुआ करता था। अब वास्तविकता को देखते हैं कि आज जोधपुर में लीडिंग वकील फार फार बैटर हैं। उन्होंने वहां कम्पीटीसन में स्टेन्ड किया और जोधपुर में एक अलग बार बन गया। जहां तक व्यक्तिगत फायदे का सवाल है, वे फार फार बैटर हैं। तो वह जो नारा लगाया गया था कि वकील लोग इन्ट्रेस्टेड हैं, वह गलत साबित हो गया। पांच, सात वकील थे, जो जोधपुर में बैठे, वहां उन्होंने कम्पीटीशन किया और दूसरी बार एसोसियेशन चलाई और उसको अच्छा साबित कर दिया। लेकिन हुआ क्या? जो क्लाइन्ट थे वे मर गये। जैसा कि बताया गया है, मैं उन फैक्ट्स को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन क्लाइन्ट ६०० मील तक से जाते हैं। मैं बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जो इन्कम थी उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। अभी बात आई कि कोर्ट फीस बढ़ा दी गई है। यह एक ऐसा मैथ्ड अडोप्ट कर दिया कि कोर्ट फीस जो आने वाली थी वह भी नहीं आ रही है। आज आप क्रिमिनल केसेज़ में

(श्री आबिदअली)

देख लीजिये, सिविल केसेज़ में देख लीजिये, जयपुर यूनिट और भरतपुर के जितने केसेज़ होते हैं उनमें लोग संतोष कर लेते हैं और वे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। वे लोग गरीब बहुत हैं। इसके साथ ही जल्दी फैसला नहीं होता, इसके साथ ही पैसा भी खर्च होता है, अगर हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं। अगर कोर्ट फीस नहीं बढ़ाते तो कम से कम कोर्ट फीस तो आती। लेकिन आज यह मैण्ड अडोप्ट करके लाखों रुपयों का नुकसान कर दिया है। मैं अर्ज करूंगा कि जयपुर से बेंच हटा दी, जब कि जयपुर में बेंच होनी अनिवार्य है। लेकिन अगर इसको आपने प्रेस्टिज का प्रश्न बना लिया है तो आप जयपुर की जगह बेंच को अजमेर बैठा दें और रेवेन्यू बोर्ड को जयपुर ले आयें। अगर यही बात है कि जयपुर में बेंच नहीं रहनी चाहिए तो वह पूरी हो जाय। आप जयपुर बेंच को अजमेर में रख दीजिये और रेवेन्यू बोर्ड को यहां ले आइये। इससे पर्पज़ सर्व हो जायगा और चीप और स्पीडी जस्टिस मिलने वाला है। मेरी मान्यता है कि हाई कोर्ट की बेंच यहां होनी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि न्याय पंचायतों में पार्टियां होती हैं क्योंकि वे इलेक्टोरेट के बलबूते पर जीती हैं, इसलिए वहां न्याय मिलने की सम्भावना नहीं हो सकती। वे निश्चित रूप से फेवर करेंगे और जातिवाद का पक्ष करेंगे। यह एक आस्पेक्ट है और कुछ हद तक सही है। लेकिन उसके मुतल्लिक एक लेजिस्लेशन ले आये और वह लेजिस्लेशन डेफिनिटली एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। न्याय पंचायतों में फैसले होने से चीप और स्पीडी जस्टिस मिली है और पैसा कम खर्च होता है। वे अपने क्षेत्र में रह कर न्याय प्राप्त कर लेते हैं। मेरा एक सुझाव है, मैं समझता हूँ कि गम्भीरता से मिनिस्टर इन-चार्ज उस पर विचार करेंगे। वह यह है कि आप रूल्स के अन्दर यह ले आयें जहां न्याय पंचायतें हैं उनकी एक बेंच बनेगी। बेंच बनाने का जहां सवाल आता है तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां न्याय पंचायत होती है वहां पांच ग्राम पंचायतें होती हैं। इसका मतलब है कि पांच रिप्रेजेन्टेटिव से न्याय पंचायत बनती है। इस प्रकार की बेंच बनाई जाय जिससे जो केसेज़ और दरख्वास्तें आयें, वे बेंच में ले आयें....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह है।

श्री आबिदअली : यदि है तो मैं समझता हूँ कि न्याय पंचायतं की बात है उससे जस्टिस में फर्क नहीं पड़ता और डेफिनिटली यह प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि जो सुझाव मैंने रखे हैं उन पर निश्चित रूप से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सदस्य बनने के बाद सबसे पहले जो इस सदन के माननीय सदस्यों को कर्त्तव्य निभाना पड़ता है उस कर्त्तव्य के अनुसार वह संविधान के प्रति निष्ठा बनाये रखने की शपथ लेते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

जिस दिन से उनका विधान सभा के सदस्य के नाते अपना एक प्रोग्राम शुरू होता है उस समय से लेकर जिस समय तक वह विधान सभा के सदस्य बने रहते हैं, सरकार के आचरण की ओर एक विशेष दृष्टि रख कर सरकार किस प्रकार से संविधान के प्रति निष्ठा बनाये हुए है, इस बात का लक्ष्य रख कर उससे प्रेरणा भी लेते हैं। जिस समय इसके प्रति निष्ठा बनाये रखने की शपथ ली थी सदन के सभी माननीय सदस्यों का विचार होगा कि संविधान में जो हमारे लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति में हमारी सरकार निश्चित रूप से सक्रिय बनेगी। मुझे याद है कि आज हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के जज जो पिछली विधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस सदन में सन् ५२ में इस बात की मांग की थी कि राजस्थान में न्याय–पालिका और कार्य–पालिका का पृथक्करण किया जाय और मुझे यह भी याद है कि उस समय के न्याय विभाग के मन्त्री महोदय ने एक आश्वासन दिया था और सदन को विश्वास दिलाया था कि जल्दी ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी। इसके थोड़े समय बाद, दिसम्बर १९५२ में इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था, ५४ के बजट अधिवेशन में इस सम्बन्ध की मांग को पुनः दोहराया गया और सरकार की ओर से इस बात का फिर आश्वासन दिया गया। ५७ में, ५९ में और अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बापना एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सदन के माननीय सदस्यों को मिल चुकी थी और राजस्थान सरकार का पिछला बजट सदन में प्रस्तुत किया था तो सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध की मांग की थी और सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि सरकार शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने वाली है।

मैंने इस वर्ष का बजट देखा और उस बजट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी सरकार अगले वर्ष भी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लेने वाली है, चाहे वह इस प्रकार का आश्वासन सदन में देवे। मैंने पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखा और इस वर्ष के आंकड़ों को भी देखा तो पिछले वर्ष के और इस वर्ष के आंकड़ों में कोई विशेष अन्तर न होकर केवल ३ हजार रुपयों का अन्तर है और इससे यह साफ जाहिर होता है कि चाहे इस वर्ष भी हमारी सरकार आश्वासन दे, पर भविष्य में हमारी सरकार इस वर्ष में इस प्रकार का निर्णय लेकर अगले साल उसको कार्य रूप में परिणत कर देगी, ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिये।

समझ में नहीं आता इसमें सरकार के सामने कौनसी कठिनाई आ रही है। शराबबन्दी के प्रश्न को सरकार बार बार यह कह कर टालती है कि राज्य की ४ करोड़ रुपया सालाना आमदनी शराब–बन्दी से बन्द हो जायगी। फाइनेन्शियल पोइन्ट ऑफ व्यू से देखा जाय तो यह बात समझ में आ सकती है, पर जहां जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव के सेपरेशन का प्रश्न आता है, मैं नहीं समझ पाया कि सरकार के सामने ऐसी कौनसी आर्थिक विषम स्थिति आती है कि इनका सेपरेशन सरकार नहीं कर पाती!

सदन में जब जब क्राइम्स की चर्चा की जाती है तो मन्त्री महोदय आंकड़े देकर कहते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं कि समाज में क्रिमिनल टेन्डेन्सी बढ़ती जा रही है और इस कारण क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूं, समाज में क्राइम्स की टेन्डेन्सी बढ़ रही है तो वे समाज में जो बुराइयां पैदा होती हैं उनके कारण नहीं; बल्कि सरकार और समाज का समन्वय होता है उसके आधार पर जिस प्रकार की परम्परा डालते हैं वही समाज में परिणत होता है। मैं यह नहीं मानता कि हमारे समाज में ऐसी बुराइयां हैं जिनको सरकार नहीं रोक सकती। उन बुराइयों को सरकार धीरे धीरे प्रयास कर के रोक सकती है। पर यह कह कर कि समाज में बुराइयां होने के कारण सरकार पर असर पड़ता है और सरकार उसे रोक नहीं सकती, मैं इसे मानने को तैयार नहीं। आज राजस्थान सरकार चाहे कि एग्ज़ीक्युटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन करना है तो कौनसी समाज की बात इसमें बाधक होती है ? इसमें बाधक समाज नहीं, बाधक है सरकार। इसका कारण मुझे स्पष्ट रूप से मालूम होता है। जहां तक देश में प्रजातान्त्रिक पद्धति का सवाल है, यहां पार्टी का शासन है और पार्टी नेशनल इन्ट्रेस्ट में अपनी पार्टी को बनाये रखने के लिये प्रयत्न नहीं करती तो उसके सामने अपनी पार्टी के एग्जिस्टेंस का मुख्य प्रश्न होता है। तो जिस पार्टी के सामने अपने एग्जिस्टेंस का मुख्य प्रश्न होता है तो वह पार्टी किसी दूसरी पार्टी की बढ़ोतरी किसी समय भी देखना नहीं चाहेगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के हैल्दी ग्रोथ में पार्टी–रूल बाधक हो सकता है, वह उस समय जब कि पार्टी की ग्रोथ में कॉन्स्टीट्यूशनल सेफगार्ड उसको मिल नहीं पाता। आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, मैं छोटी सी नजीर लेकर माननीय गृह मंत्रीजी को कन्विन्स करने की कोशिश करूंगा कि जितने केसेज़ पार्टीज के वर्कर्स के खिलाफ किये जाते हैं, चाहे जनसंघ के खिलाफ हों, चाहे राम राज्य परिषद् के खिलाफ हों, चाहे प्रजा समाजवादी पार्टी के वर्कर्स के खिलाफ हों, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हों उन सब केसेज़ को देख लें, वे विथ्ड्रा हुए हैं। इनके खिलाफ आज कोई केस कोर्ट में गया है तो दो साल बाद वह विथ्ड्रा हुआ है। क्यों विथ्ड्रा हुआ? इसके लिये मैं नहीं कहता कि क्यों हुआ ? पर इस प्रकार केसेज़ के विथ्ड्रा करने का कोर्ट्स के ऊपर किस प्रकार का असर पड़ता है ? टेलीफोन होते हैं कि विथ्ड्रा करना है, वकील की तरफ से दरख्वास्त कराई जाती है कि केस विथ्ड्रा कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट एग्जीक्युटिव ऑर्डर की प्रतीक्षा में उन केसेज को एड्जोर्न करते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जुडिशियल फंक्शन में एग्जीक्युटिव इस तरह इन्टरफियरेंस करती है कि जुडिशियरी का जुडिशियल माइन्ड बन नहीं पाता।

आज एस. डी. ओ. के जिम्मे लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करना और जुडिशियल फंक्शन करना, दोनों ही काम हैं। लॉ एन्ड ऑर्डर के लिये उसको पुलिस और कलेक्टर की राय लेनी पड़ती है और लॉ एन्ड ऑर्डर की जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार उसे काम करना पड़ता है। फिर जहां जुडिशियरी फंक्शन हैं वहां किस तरह निष्पक्ष न्याय दे सके, इसके लिये चेष्टा करनी पड़ेगी। पर एस. डी. ओ. के अपॉइन्टमेन्ट से लेकर प्रोमोशन तक जितनी भी सर्विसेज़ से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं, उनके सम्बन्ध में निर्णय लेना

(श्री भैरोंसिंह)

होगा तो सरकार वे सब निर्णय लेगी। कोई एस. पी., आई. ए. एस. के सिलेक्शन में बैठता है तो उसका सारा भविष्य एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर्स की मर्जी पर है, कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट वे तैयार करते हैं, जिस पर नाराजगी हुई, उसके खिलाफ कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट कर देते हैं, जिस पर राजी हुए अच्छी रिपोर्ट कर दी तो वह एग्जीक्युटिव आफिसर्स की मर्जी पर ही जिंदा रहता है। आई. ए. एस. में उनकी कृपा पर ही बैठ सकता है, ऐसी दशा में वह कभी उनकी मंशा के विपरीत आचरण नहीं कर सकता। जहां एग्ज़ीक्युटिव आज ऐसे लोगों के हाथ में हो, जो इलेक्टेड हैं, जो पार्टी के नाते काम करते हैं तो इस बात की संभावना रहती है कि अपनी एग्ज़िस्टेंस बनाये रखने के लिये, दूसरी पार्टी की ग्रोथ को क्रश करने के लिये जैसी चाहे कार्यवाही करे।

बाकी की स्टेट्स में किसी स्टेट को ले लीजिये; मद्रास को ले लीजिये, केरल को ले लीजिये, आन्ध्रा को ले लीजिये, बॉम्बे को ले लीजिये। इन स्टेट्स में तो आज से नहीं १० वर्ष पहले से जुडिशियरी का एग्जीक्युटिव से सेपरेशन हुआ है। बम्बई में सन् ४६ से यह लागू है और इसके बाद मद्रास में सन् १९४७ से यह लागू है। जब यह मद्रास में १९४७ से लागू था तो मद्रास की गवर्नमेंट ने १९५२ में इसकी सफलता की जांच कराने के लिये एक समिति मुकर्रर की और उसने रिपोर्ट की कि आज हमारी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है, एग्ज़ीक्युटिव और जुडिशियरी का सेपरेशन है उसका परिणाम अच्छा निकला है और इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अगर बाकी की स्टेट्स भी इस पर अमल करें तो उनके लिये बहुत हितकर होगा। बाकी की कई स्टेट्स ने भी एग्जीक्युटिव और जुडिशियरी को अलग किया है। पंजाब और वैस्ट बंगाल ने भी एग्जीक्युटिव ऑर्डर के नीचे इसको लागू किया है। राजस्थान ही एक ऐसी बदकिस्मत रियासत है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि अभी तक इसको सरकार ने यहां पर लागू नहीं किया है। राजस्थान में भी एक छोटा सा हिस्सा है जो इस बात की चुनौती देता है कि बाकी के राज्य में भी इस प्रकार से होना चाहिये। आबू की तहसील में जो बम्बई में पहले थी और बम्बई सरकार से राजस्थान सरकार में आई है, वहां न्यायपालिका का कार्य पालिका से अलग रखा गया है और उसी के अनुसार कार्य हो रहा है। वहां पर उन्हीं रूल्स को जो बम्बई में थे उनको लागू रखा है और बाकी के राज्य के लिये राजस्थान की सरकार इस मामले में मौन साधे हुए है और इस तरफ उदासीन है।

मैं यह कहूंगा कि आबू में शराब बन्द है, वहां एग्जीक्युटिव से जुडिशियरी अलग हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर इस मामले में भी जिस प्रकार डेवलपमेंट के आंकड़े तैयार किये जा सकते हैं, किये जा सकते होते कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या काम किया गया तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी आंकड़े तैयार करके बता देते कि एडमिनिस्ट्रेशन ओफ जस्टिस के नीचे इस प्रकार का काम किया गया है। लेकिन इस बात का अफसोस है कि इसका आंकड़ों में समावेश नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह)

सकता । अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस निग्लेक्टेड है ।

हमारे यहां जनता में और बाकी के ऑफिसरों और वकीलों में सरकार की ओर से जुडिशियल ऑफिसरों के करेक्टर और उनके रहन–सहन से एक बहुत बड़ा भारी असर होता है । आज–कल राजस्थान में विशेष चर्चा चलती है कि जितने भी सीनियर जजेज़ हैं वे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदलने में लगे हुए हैं । वे किस तरह से उसको बदलते हैं, वह तरीका मैं यहां पर बताना नहीं चाहता। क्योंकि अगर मैं उसको यहां पर बताऊंगा तो कोई दूसरा उसकी नकल कर लेगा और अगर नकल करना शुरू कर दिया तो सर्विसेज़ पूरी तरह से सेफ नहीं रह सकती हैं । एक कोई झूठी जन्म-पत्रिका तैयार करा ली और उसके आधार पर अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलवाने में लगे हुए हैं । उनको एक्स-टेन्शन भी उस कारण से मिल रहे हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जिस प्रकार का टैम्पटेशन है, वह इन्साफ में बाधाएं पैदा करता है । किसी ऑफिसर के सामने जब इस प्रकार का टैम्पटेशन रहता है तो फिर उस व्यक्ति की जस्टिस के मामलों में इन्टीग्रिटी को डाउटफुल बना देता है ।

मैं यह नहीं कहता कि रिटायर हो जाने के बाद में आप उनको वापिस सर्विसेज में न लें । यदि किसी व्यक्ति ने जुडिशियल ऑफिसर की हैसियत से अच्छी प्रकार से सरकार में काम किया है तो सरकार उसे रिटायर होने पर भी किसी पोस्ट पर रखने वाली है तो रख सकती है। इस प्रकार मैंने एक व्यक्ति के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से रिटायर होने से पहले कहा था कि उनका जो वर्क है उससे यह भ्रम होता है कि उनको किसी दूसरी पोस्ट पर रिटायर होने पर रखा जावेगा। मैंने पोस्ट भी बताई थी कि उस पोस्ट पर उनको रखा जावेगा । वह व्यक्ति जब रिटायर हुआ तो उसको उसी पोस्ट पर लगा दिया गया। माननीय गृह मंत्री बतावेंगे कि उनको किस पोस्ट पर लगाया गया है ? मगर मैं यह कहूँगा कि जिस पोस्ट पर उनको लगाया गया है उन्होंने उस पोस्ट पर एक पैसा भर का काम नहीं किया है और न उनके पास कोई काम आया है। उनके पास कोई आज तक ट्रान्सपोर्ट के कम्पेन्सेशन के केसेज़ नहीं आये हैं। उनकी नियुक्ति केवल इसी-लिये की गई कि उनको नियुक्त कहीं करना था। मगर बदकिस्मती से एक भी केस उनके पास नहीं आया। आज उनको ६ माह नियुक्त हुए हो गये और पब्लिक का पैसा यों ही खर्च होता है। इस प्रकार के और भी कई लोग हैं जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहता। बाकी इस प्रकार का रेगुलर प्रोसेस शुरू किया हुआ है। माननीय गृह मंत्री जानते हैं। एक व्यक्ति जिनका रिटायरमेंट तीन महीने के बाद में होने वाला है उनको आप एक्सटेंन्शन देंगे, ऐसा उनके कार्यों से साफ दिखाई पड़ता है।

मैं यह कहूँगा कि आप इस प्रकार का टैम्प्टेशन देकर जस्टिस में बाधा पहुंचाते हैं। मगर मैं इसके लिये उन अधिकारियों को और ऑफिसरों को दोषी नहीं ठहराता हूँ। इसका दोष सरकार पर ही डालता हूँ। आपको चाहिये तो यह था कि जुडिशियल ऑफिसरों

(श्री भैरोंसिंह)

के रहन–सहन और व्यवहार को एक आदर्श जीवन बना कर समाज के सामने लाने की चेष्टा करते, लेकिन हम उनके आदर्श को लोगों की नजरों में गिराते जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि लॉ कमीशन ने अपनी राय दी है, लॉ के एक्सपर्टों ने अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस की है कि राजस्थान में और दूसरे सभी प्रान्तों में जितने उच्च न्यायालय हैं उनमें जो जजेज़ हों वे आउट साइड दैट स्टेट के हों यानी वे राजस्थान के न होकर बाहर के होने चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान के जजों पर हमें किसी प्रकार शंका करने का कारण है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि लॉ के एक्सपर्टों ने इस बात की राय दी है; यह राय मैंने या आपने दी हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन लोगों ने, जो इन्टेलीजेन्शिया के क्रीम हैं उनकी जो कमेटी बैठी थी उसने भारत सरकार और हमारी सरकार को अपनी ओपीनियन दी है। हमारे यहां सारे राजस्थान में दो जजों को छोड़ कर बाकी सभी जज ऐसे हैं जो राजस्थान के हैं।

ऐसी स्थिति में मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि जितने जजेज़ बाहर से आवें उनको लेने की चेष्टा करें और राजस्थान के जजों को बाकी के दूसरे प्रान्तों में भेजें। राजस्थान के जज भी हाइली क्वालिफाइड हैं और अच्छे जजमेंट दे सकते हैं। उनको भी अपनी क्वालीफिकेशन को और इन्टेलिजेन्स को दिखाने का अवसर मिले और उनके रूलिंग कोट किये जा सकें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करने का मौका गृह मंत्री देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

अब मैं यह कहूँगा कि जुडिशियल ऑफिसरों को बी० डी० ओ० बनाये जाता है, यह उचित नहीं है। जिस प्रकार सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जुडिशियल ऑफिसरों को बी. डी. ओ. बना दिया जाता है, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि उस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। मैं यही कहूँगा कि जब किसी को बी. डी.-ओ. बनाते हैं तो वह पब्लिक के कॉन्टेक्ट में आवेगा और लोगों को किसी न किसी तरह से खुश करने की कोशिश करेगा। वह यही कोशिश करेगा कि वह किस तरह से पब्लिक को खुश कर सकता है। उसको लोगों को खुश करने के लिये घोषित आंकड़े तैयार करने होंगे। जिला अधिकारी को उसको खुश रखना होगा। उस पर उसका प्रोमोशन और फ्यूचर निर्भर है। इसलिये जब जुडिशियल ऑफिसरों को यह मालूम होगा कि वे बी० डी० ओ० बनाये जा सकते हैं तो उनको यह सब टैम्पटेशन रहेगा और न्याय में पवित्रता नहीं रहेगी। इसलिये न्याय में पवित्रता रखने के लिये मैं यह कहूँगा कि ऐसा नहीं किया जाए।

इसके अलावा अभी तक सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रोम एग्जीक्युटिव के बारे में विचार करने में ६ महीने का समय लग जावेगा। इसलिये मैं यह गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इसके लिये तुरन्त घोषणा करें कि ऐसे ऑफिसर जो जुडिशियल और एग्जीक्युटिव दोनों का काम करते हैं, तो ऐसों को बी० डी० ओ० नियुक्त नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का रिलीफ जनता को मिल पाएगा।

(श्री भैरोंसिंह)

अब मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान लों कोर्ट में किस प्रकार का रिलीफ दिया जाता है उसकी ओर आकर्षित करूंगा। हमारी सरकार पब्लिक प्रोसीक्यूटर का अपॉइन्टमेंट करती है। वह तो करती ही है; मगर जिस प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं, मैं उनके व्यक्तित्व पर नहीं जाऊंगा। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका कांग्रेस से सम्बन्ध न रहा हो ? मैं यह कहूँगा कि ऐसा एक भी व्यक्ति उनमें से नहीं मिलेगा जिसका कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं हो। जैसा कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जितनी नियुक्तियें की गई हैं उनमें किसी में भी बार एसोसियेशन से रिकमन्डेशन नहीं होती है। जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिकमन्ड करता है उनको एपॉइन्ट कर दिया जाता है। जो फोर्सफुल आवाज का होता है उसको हमारी सरकार मन्जूर कर लेती है और उसकी नियुक्ति हो जाती है, नियुक्ति केलिबर या मेरिट्स पर नहीं होती है। इसी का यह प्रमाण है कि जितने भी केसेज़ ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स डील–विथ करते हैं वे सक्सेसफुल नहीं होते और कोई न कोई लॉ में डिफेक्ट के कारण फैल होते हैं। माननीय गृह मंत्रीजी आंकड़े बतायेंगे। उन्होंने आंकड़े इस सदन में बताये भी हैं। सदन में पिछली बार २-३ क्वेश्चन्स के सिलसिले में कुछ आंकड़े बताये भी हैं और उनके द्वारा उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया है, कोर्ट्स में केसेज़ इन्स्टीट्यूट हो जाते हैं, सरकार को उनमें बहुत कम सफलता मिलती है। वे इस बात के द्योतक हैं कि जिन व्यक्तियों की आप पोलिटिकल ग्रोइस से नियुक्तियां करते हैं उनका परिणाम यह होता है कि वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते हैं और उसके कारण जनता को और सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूँगा। कुछ रियासतों में और खास तौर पर मद्रास स्टेट में कुछ रिलीफ डिक्लेयर किये गये हैं। मद्रास स्टेट में पिछली बार यह डिक्लेयर किया गया था कि जो हरिजन हैं उनको उनके मुकदमों के लिए कानूनी सहायता देने के लिए सरकार की ओर से मुफ्त में एडवोकेटस नियुक्त करेंगे और इस बार उन्होंने यह डिक्लेयर किया है कि केवल हरिजनों को ही मुफ्त में कानूनी सलाह देने के लिए एडवोकेटस नहीं नियुक्त करेंगे; किन्तु उनके साथ साथ उन लोगों के लिए भी एडवोकेटस नियुक्त करेंगे जिन लोगों की आमदनी कम है। उन तबकों को सहायता देने के लिए, उनको मुफ्त में सरकारी एडवोकेट नियुक्त करके कानूनी सलाह मिल सके, ऐसी व्यवस्था करेंगे। लेकिन यहां हमारी सरकार मौन है। यहां सदन में भी हरिजनों की बातें बहुत करते हैं, हरिजनों के लिए सम्मेलनों में खूब भाषण देते हैं लेकिन इस ओर सरकार अपना कोई निर्णय लेकर उनकी मदद कर सके, सरकार किसी भी प्रकार से इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए उद्यत नहीं मालूम होती है। बजट के आंकड़े भी वे ही हैं जो गत वर्ष के थे। पहले के जो आंकड़े थे उनमें करीब तीन-चार हजार का अन्तर हो सकता है और उससे मुझे कोई ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि सरकार इस ओर कोई विचार करने वाली, है अथवा और कुछ करने वाली है।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं यह कहूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि जुडिशियल ऑफिसर्स में असन्तोष है। उनमें असन्तोष इस बात से नहीं है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनमें असन्तोष इस बात से नहीं है कि उनको बंगला नहीं मिला हुआ है, लेकिन उनमें असन्तोष इस बात से है कि दो वर्ष से जुडिशियल सर्विसेज को सीनियोरिटी देने का प्रश्न था उस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि सारे वर्क की स्क्रुटिनी होनी चाहिये, स्क्रीनिंग होनी चाहिये और जिसके जवाब में सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव में सुपरविजन है उस सुपरविजन को कन्डक्ट कराने में जुडिशियल फैसले एप्लाई होते हैं। सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था कि हाईकोर्ट में जो नीचे के फैसलों की अपीलें जाया करती थीं और फैसले जाया करते थे उन पर हाईकोर्ट के जजेज़ मार्क्स देते थे। लेकिन सरकार ने उस सर्कुलर को विथ्ड्रा कर लिया। क्यों कर दिया? वह सर्कुलर ऐसा था कि जो केसेज़ कोर्ट्स में जाते थे उन पर फैसले हुआ करते थे उन पर हाईकोर्ट के जजेज़ मार्क्स दिया करते थे और वह उन ऑफिसर्स के लिए एक डिसिसिव प्रिन्सिपल था कि उनसे उनको प्रमोशन मिलता था। लेकिन बदकिस्मती से उस सर्कुलर को विथ्ड्रा करने के कारण डिस्ट्रिक्ट के जजेज़ के फैसलों पर हाईकोर्ट के जजेज़ जो मार्क्स दिया करते थे वे मार्क्स दिये जाने बन्द हो गये और जजेज़ उन पर मार्क्स नहीं दे सके। भगवान जाने इस सर्कुलर को विथ्ड्रा करने के पीछे क्या था, लेकिन आम चर्चा का विषय यह है कि कुछ लोगों के मार्क्स कम थे, कुछ लोग जुनियर पड़ते थे उन लोगों को सीनियर बनाने के लिए उस सर्कुलर को एक साल के लिए सस्पेन्ड कर दिया। उसके कारण जब एक ओर मार्क्स दिये जाने बन्द हो गये तो जो लोग जुनियर थे, जिनके मार्क्स कम थे उनको सीनियर कर दिया गया और फिर यह व्यवस्था पुनः शुरू कर दी। इससे हायर जुडिशियरी के लोगों में बड़ा असंतोष है, डिस्सेटिसफेक्शन है और जब हायर जुडिशियल सर्विस के लोगों में इस प्रकार से असंतोष हो तो यह एक विचारणीय विषय है और मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मन्त्रीजी इस ओर निश्चित ध्यान देकर यदि ऐसी कोई चीज़ है तो उसको दूर करने की चेष्टा करेंगे।

मैं एक बात यह भी कहूँ, उपाध्यक्ष महोदय; मैंने पहले भी संकेत किया था और वह मैं समझता हूँ मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन मेरी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं उनके नाते मैं कुछ अनप्लेजेन्ट बातें भी सदन में कहूँ तो माननीय गृह मन्त्रीजी सदन में उनको स्वीकार करेंगे। वह अनप्लेजेन्ट बात वैसी नहीं है। हमारे यहां पर हाईकोर्ट जजेज़ हैं उनके लड़के यहां प्रेक्टिस करते हैं। मैं वकालत के पेशे पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता कि हाईकोर्ट जजेज़ के लड़के यहां क्यों प्रेक्टिस करते हैं; लेकिन एक निश्चित बात कहना चाहता हूँ, वह यह है कि इससे लोगों में एक गलत धारणा पैदा हो रही है। लोगों को बात करने से रोका नहीं जाता। इसलिए नहीं रोका जाता कि हाईकोर्ट के जजेज़ के लड़के यहां प्रेक्टिस करते हैं। आप जोधपुर बार में सुन लीजिये, किसी तरह से और किसी

(श्री भैरोंसिंह)

तरफ से सुन लीजिये किसी को किसी का ट्रान्सफर कराना है अथवा और कोई काम है, जैसे मान लीजिये कि मैं हाईकोर्ट का जज हूँ, जज जिसके सामने केस है मैं हूँ, लिटिगेशन में जाने वाला व्यक्ति मेरे लड़के को वकील कर लेगा; लेकिन मेरे पास किसी नाम से आये तो दूसरे जज के पास जावेगा, ऐसा तरीका निकाल रखा है। लेकिन जहां ऐसी स्थिति हो जाय तो इस तरीके से नुकसान होगा। जुडिशियरी की इन्टीग्रिटी को लोग कोसने लगे हैं और इसको नीची दृष्टि से देखने लगे तो आये दिन जो घटनायें राज्य में होती हैं उनसे बचने का और कोई तरीका नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपके कथनानुसार लोगों में क्रिमिनल टेन्डेन्सी बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है और करप्शन शिष्टाचार हो गया है जिसको आप रोक नहीं सके हैं, कोई भी विभाग करप्शन से आज नहीं बचा है। एफिशियेन्सी सर्विसेज़ में नहीं रहनी चाहिये, वह रही नहीं है। डीमोरेलाइजेशन हो रहा है, नैतिक स्तर गिर रहा है। उस स्थिति में राजस्थान की जनता को उन दर्दों से बचाने के लिए जो कुछ उसका विश्वास जुडिशियरी में था वह भी हट जावेगा। यदि पुनः जनता में जुडिशियरी में विश्वास पैदा करना है, उस विश्वास को रखने को चेष्टा करनी है और जनता जुडिशियरी के विश्वास में अधिक आगे बढे. इस प्रकार की कार्यवाही सरकार ने नहीं की तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राजस्थान में कोई भी सरकार आये वह जुडिशियरी की मदद से करप्शन और डीमोरेलाइजेशन आ रहा है लोगों में, जो क्रिमिनल मेन्टेलिटी बढ़ रही है उसको कोई रोक सके। यदि जुडिशियरी की इन्टीग्रिटी को डाउटफुल बना दिया गया तो बाकी में तो रहा ही क्या है, बाकी तो डाउटफुल हो गई हैं और हो रही हैं। यह भी हो गया तो सारा काम बिगाड़ कर, कॉन्स्टिट्यूशन के अन्दर जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं, जो हिदायतें और व्यवस्थायें हैं उनके आधार पर जनता को किसी प्रकार रिलीफ मिल सकेगा, यह आशा नहीं करनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय गृह मन्त्रीजी से यह निवेदन करते हुए कि आपने अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया होगा कम से कम अपने शासन–काल के इस सैशन के समाप्त होते २ ऐसा काम करके मोहर जरूर लगा दें कि राजस्थान में मैंने मेरे काल में जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव को अलग करके राजस्थान में जुडिशियरी का वह स्तर कायम कर दिया है जिससे लोग विश्वास के साथ चल कर न्याय प्राप्त कर सकें, अपने दर्दों को मिटा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का इस सदन में मौका मिला है और मैं अपने चार साल के अनुभव के बाद जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ और जो राय कायम की है वह सदन के सम्मुख रखना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ। मैं हमेशा से इस बात का हामी रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्जीक्युटिव से बिल्कुल अलग रहना चाहिये और मैं उन हमारे माननीय

Page No.93

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सदस्यों से जिन्होंने इस विषय में अपने विचार प्रकट किये हैं, बिल्कुल सहमति प्रकट करता हूँ अपनी और सदन के सम्मुख यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सिद्धान्ततः हम इस बात को मानते हैं कि यह आवश्यक है कि सही न्याय देने के लिए प्रशासन से न्याय को अलग रखना आवश्यक है तो फिर क्या वजह है कि इस बारे में अब तक इतना विलम्ब किया जा रहा है ? इसमें और कोई वजह नहीं हो सकती। केवल इसके अलावा कि हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, जिनके पास आज अधिक अधिकार हैं वे इस बात को मानते हैं और महसूस करते हैं कि यदि न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया गया और उनके अधिकार न्याय करने के ले लिये गये तो उनके पास से एक ऐसी ताकत निकल जायेगी जिसको वे अपने पास रखना चाहते हैं। आज से कोई सात-आठ साल पहले मेरी एक बड़े ऊंचे अधिकारी से जयपुर में उस वक्त बात हुई थी जब कि पूर्व राजस्थान में उस समय की सरकार ने प्रशासन को न्याय से बिल्कुल अलग कर दिया था। और इसी सिद्धान्त के अनुसार न्याय विभाग को, न्याय की अदालतों को प्रशासन से अलग कर दिया गया था। और जब यह राजस्थान बना और जयपुर में राजधानी कायम हुई उस समय वे उच्च अधिकारी जो भारत सरकार से आये हुए थे यहीं मौजूद थे। मैंने जब उनसे बहस की तो उन्होंने इस सिद्धान्त को मानते हुए सर्वथा यह स्वीकार किया था, यह पॉवर प्रशासनिक अधिकारियों के पास रखना इसलिये आवश्यक है कि आज हम शासन को ठीक तरह से चलाना चाहते हैं और उस हालत में प्रशासनिक अधिकारियों को वह पॉवर देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ इस तरह की धारणा, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बनी हुई है कि वे अपने आप इस पॉवर को देना नहीं चाहते। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से, मंत्रि मंडल के अन्य सदस्यों से और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको इस नीति को बदलना होगा। अगर आपको अच्छा न्याय देना है तो आपको इस विभाग को अलग करना होगा प्रशासन से। और इस सेपरेशन की नीति को आपको जल्दी से जल्दी अमल में लानी होगी।

दूसरी चीज़ यह है कि इस बारे में क्या कभी हमने सोचा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस द्वारा क्या वास्तविक तौर से राजस्थान की जनता को न्याय मिल रहा है? इस पर हमने कभी विचार किया है ? बजट के अन्दर जो आंकड़े हैं उनको देखने से मेरी यह धारणा बनी है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को सोर्स ऑफ इन्कम बनाना चाहते हैं कि इस विभाग पर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, कोर्ट फीस को ज्यादा बढ़ा कर हम स्टाफ ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे तरीके अमल में लाना चाहते हैं जिससे कम से कम मुकदमें दायर हों। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि लाखों रुपये गवर्नमेंट के खिलाफ दावे होते हैं उनमें खर्च किये जाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से फीस के रूप में हमारे दोस्तों को जो हमपेशा है उनको आमदनी होती है। लेकिन इस बात का दुख है कि लाखों रुपया हमारे इस बजट मद में खर्च बताया जाता है और वह खर्च होता है गवर्नमेंट पर जो डिक्रियां होती हैं उसका मुकदमा लड़ने के अन्दर। यह सारा रुपया

Page No.94

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के खर्चे में बताया जाता है, राजस्थान सरकार जितना भी खर्चा अपने मुकदमों पर करती है वह सब खर्चा इसमें बताया जाता है। क्या राज्य सरकार द्वारा लड़े जाने वाले मुकदमों का खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के खर्चे में शामिल करना उचित है ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल्कुल गलत चीज़ है। राज्य सरकार अपने आंकड़े मंगवा कर देख सकती है। आपको मालूम पड़ेगा कि सरकार पर कितने दावे अदालतों में चल रहे हैं। डिक्रियें जितनी भी राज्य सरकार पर होती हैं उनकी जिम्मेदारी कोई अधिकारी नहीं लेता है, वे, तो कागज इधर उधर फैंकने में, टालमटोल करने में विश्वास करते हैं ताकि उन पर जिम्मेदारी न आये। हमने कई अधिकारियों को यह भी कहते हुए सुना है कि हम कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, डिक्री आदि होती है वह हमारे वश की बात नहीं। यह धारणा जो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन की चली आ रही है वह हमें लेनी चाहिये। अगर हम यह मानते हैं कि उसके दावे सही हैं तो हमें उन्हें आउट ऑफ कोर्ट मन्जूर करने चाहिये या ऐसा तरीका निकालें जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण के समय कहा था जिसको भारत सरकार मान चुकी है, किसी भी आर्बिट्रेशन के जरिये या किसी बैंच के जरिये या ट्रिब्यूनल बनाकर प्राइवेट तौर पर इस बारे में सोचा जाय और सरकार के खिलाफ जितने भी दावे हैं उनका फैसला वह ट्रिब्यूनल करें इससे लोगों को जहां कोर्ट फीस आदि से बचत होगी वहां पर सरकार को भी कम खर्च होगा, वकीलों के लिए कम खर्च होगा और लोग जो जल्दी फैसला चाहते हैं वह भी मिल जायेगा और मैं समझता हूँ इस तरह से हम कर पाये तो यह हमारे भी हित में होगा और जनता के हित में भी होगा।

तीसरी बात जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह है कि आप राजस्थान के किसी भी जिले में चले जाइये, आपको क्या देखने को मिलेगा ? मेरा अपना खुद का अनुभव हुआ है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, किस तरह का न्याय हमारे यहां हो रहा है। आप अदालतों में जाकर देखिये कितने गवाह आते हैं और कितने गवाह वापिस जाते हैं। बयान कौन लेता है और लिखता है। कानूनी गलतियां करते हैं उनको देखिये। मुझे इस बात का तजुर्बा हुआ है। एक तरफ तो मजिस्ट्रेट साहब बैठे हुए हैं, विकास का काम करते हैं। अहलकार गवाह के बयान ले रहा है फौजदारी मुकदमों के अन्दर। श्रीमान, एक कानूनदां होने के नाते हम जब यह हालत देखते हैं तो हमें शर्म आती है। हमें कहा जाता है। यह देखिये आपके यहां का नमूना आपके यहां किस प्रकार से इन्साफ होता है ? इसी तरह से आप देखेंगे कितने ही प्रशासनिक और विकास कार्यों के साथ साथ क्या सही मायने में जो मुकदमे होते हैं मजिस्ट्रेट्स द्वारा फैल होते हैं। क्या उनमें वास्तविक रूप से सही न्याय होता है या नहीं ? मैं इस बारे में दावे के साथ कह सकता हूँ प्रशासनिक अधिकारी उनमें न्याय नहीं दे पाते, न्याय नहीं कर पाते। यह हमारा अनुभव है जो हमें रोज देखने को मिलता है।

आज हम सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बातें करते है। आज हमने पंचयतों को कायम

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

किया है, न्याय पंचायतों का गठन किया है, विकास के कार्य के लिए अलग पंचायतें कायम की है और न्याय देने के लिए अलग इस सिद्वान्त को हमने माना है । लेकिन वास्तव में राजस्थान के रहने वालों को सस्ता और सुलभ न्याय मिला है, इस तरफ कभी आपका ध्यान गया है ? आज तक हमारे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक इकलेरा का व्यक्ति तीन महीने की सजा पाता है और उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है और उसकी दस पेशियां पड़ती हैं और उसके ३००–४०० रुपये खर्च पड़ते हैं । इस पर वह यह सोचता है कि इससे तो अच्छा यह होता कि मैं हाई कोर्ट में निगरानी या अपील दायर ही नहीं करता । वह देखता है, जितना वहां से पाया है उससे कहीं अधिक उसका खर्च हो गया है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है, जेल जाने को भी तैयार हो जाता है, नुकसान भुगतने को भी तैयार हो जाता है । एक्विटल भी हो जाता है तो भी वह अनुभव करता है कि सारी तबाही हो गई। इतनी मर्तबा वहां आना जाना पड़ा, इतना खर्चा हो गया, इतनी परेशानियां हुई, दो दिन जहां आने में लगते हैं। एक दिन मुकदमा नहीं आया तो दूसरे दिन की इन्तजारी करनी पड़ती है । अगर उस दिन भी नहीं हो सका तो दूसरी पेशी पड़ जाती है फिर आइन्दा आना पड़ा । उपाध्यक्ष महोदय, यह क्यों हो रहा है, इसका एक ही कारण है और वह यह कि हमने राजस्थान के अन्दर न्याय को दूर फैंक दिया और लोगों को, आम जनता को उसे प्राप्त करने से एक प्रकार से वंचित कर दिया गया । जयपुर में जो सीट थी उसको यहां से हटा कर जोधपुर भेज दिया गया। क्या हमने इस बारे में सोचा है कि इससे राजस्थान की आम जनता को कोई फायदा हुआ है ? मैं नहीं समझता एक्सपेरिमेंट यहां ही क्यों किया गया? आज भारत के सभी प्रदेशों में सभी जगह बैन्चेज़ अलग अलग मौजूद हैं । लॉ कमीशन द्वारा जो फैसला हुआ था वह रद्दी की टोकरी में पटक दिया गया है । सभी जगह जब बैन्चेज़ कायम हैं तो क्या वजह थी कि राजस्थान की जयपुर बैंच को हटा दिया गया ? इस तरह से पुराने राजस्थान की जनता को हमने न्याय से वंचित कर दिया है । आबादी का हिसाब लगावें, मुकदमों का हिसाब लगावें, इधर पूर्वी राजस्थान के लोगों के ज्यादा मुकदमे चलते हैं और ज्यादा लोग यहां के परेशान होते हैं ।

जब दूसरी जगहों पर; जैसे आज आप मध्य प्रदेश को लिजिये सब जगह जहां बैन्चेज़ थीं वहां कायम हैं। बम्बई को लीजिये । जहां बैन्चेज़ थी वहां कायम है,आज यू०पी०को लीजिये। वहां बैन्चेज़ हैं, तो फिर राजस्थान में कौन सी ऐसी चीज़ हो गई ? राजस्थान में यह परीक्षण क्यों किया गया ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह परीक्षण राजस्थान में गलत सिद्ध हुआ है। यदि हम इसको सही माने में देखें और सच्चे माने में जनता के प्रति इन्साफ करना चाहते हैं तो हमें पूर्वी राजस्थान के हिस्सों के लिए जो कि जयपुर और कोटा डिविज़न हैं जहां सबसे ज्यादा मुकदमे चलते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोग आबाद हैं अगर उन हिस्सों के लिए न्याय देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार को यह फैसला करना होगा कि इन हिस्सों में से किसी भी स्थान पर वापिस हाई कोर्ट की बैन्च को लाया जाये....

कुछ माननीय सदस्य: कोटा में लाई जाये, बीकानेर में लाई जाये, जयपुर में लाई जाये....

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon'ble member to please conclude the debate as early as possible, for there are one or two members to speak on the motion.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप सारे राजस्थान के हित की बात सोचते हैं तो इस मसले को राजनीतिक आधार पर मत लीजिये। इस मसले को सच्चे माने में जनता के हित के आधार पर लें और यह मत मानिये कि जो फैसला एक बार हो चुका है वह सही हुआ है। यह गलत हुआ है। जिस प्रकार से बम्बई और महाराष्ट्र का फैसला गलत हुआ था और अब दोनों को अलग अलग राज्य बनाया गया है उसी तरह राजस्थान में भी हाई कोर्ट का फैसला गलत हुआ है और उसको बदलना होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय....

(विराम)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय....

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : आप निवेदन कीजियेना।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बीच बीच में डिस्टर्बेन्स बहुत हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : They intend to humour you and nothing else.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : डिस्टर्बेन्स तो आप पर शान बढ़ा रहे हैं, आपकी छुरी तेज हो रही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस सब बात के डिस्कशन में नहीं जाना चाहता कि वह जयपुर में होनी चाहिए, अजमेर में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह चाहे कहीं हो लेकिन इन हिस्सों में एक ब्रान्च जरूर कायम होनी चाहिए।

श्री चन्दनमल वैद : Why not Bikaner ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आज के अपने इस निवेदन के जरिये राजस्थान सरकार का ध्यान इसी बात पर आकर्षित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : I hope, you won't touch the points already raised by others.

श्री उपाध्यक्ष : The points that have been touched, he will not touch them.

श्री मूलचन्द डागा : हमने कई दफा इस बात को विधान सभा में कह दिया था और यह निर्णय हो चुका था कि हाई कोर्ट जोधपुर में रहना चाहिए....

श्री चन्दनमल वैद : Again the same point ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : He is showing the other case on the point.

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसमें नहीं जाना चाहता। उसका हमें तो स्वागत करना चाहिए। सवाल यह है कि हम जब मन्दिरों में जाते हैं तो मन्दिर में जाकर आदमी सन्तोष पाता है और जब टेम्पल ऑफ जस्टिस या न्याय के मंदिर में जाता है तो उसे वहां क्या मिलता है ? सवाल यह है कि आज–कल न्याय मिलता है या न्याय बिकता है ? तो लोग कहते हैं कि न्याय मिलता नहीं; बल्कि न्याय बिकता है और वह न्याय बिकने का सवाल है जिस आदमी के पास ताकत होती है, साधन होते हैं वह आदमी न्याय को खरीद सकता है और जब न्याय खरीदा जा सकता है तो उस देश में जहां न्याय खरीदने के लिए साधन हों, हम समझते हैं कि वह न्याय पा सकते हैं। तो सवाल यह है कि आज-कल सबसे पहली बात तो यह है, it is humourously said that laws are pouring forth like bank notes from a printing press. प्रिन्टिंग प्रेस से जैसे नोट निकलते हैं वैसे ही कानून रोज निकलते हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : असेम्बली में नोट थोड़े ही बनते हैं यार, क्या सीमिली देते हो।

श्री मूलचन्द डागा : कानून को जानना बहुत मुश्किल बात है। तो सारे जजेज़, मजिस्ट्रेट्स और एस० डी० ओज० हैं वे कानून को जानते नहीं हैं और यहां तक कि वकील लोग भी जो रोजमर्रा कानून पढ़ते हैं वे भी नहीं जानते। जैसे फ्रांस में कोई जाकर कॉन्स्टिट्यूशन मांगता है तो कॉन्स्टिट्यूशन मांगने वाले को वहां का बुकसेलर कहेगा कि this is not a periodical literature. I do not have periodical literature. वहां भी वह देने में हिचकिचाता है। इसी तरह आज-कल पहला सवाल यह हो गया है कि हम समाजवादी समाज लाने के लिए दिन–ब–दिन कानून नये नये निकालते हैं और इतने निकालते हैं कि जो प्रशासनिक काम करनेवाले लोग हैं, एस० डी० ओ० और बी० डी० ओ० वगैरह हैं वे उनसे अनभिज्ञ होते हैं और उनके कारण जब वे कानून नहीं जानते हैं तो आप समझते हैं कि जो कानून नहीं जानता है, जिसको नॉलेज नहीं है उससे हमें न्याय मिलने की आशा नहीं हो सकती। शेक्सपीयर ने एक कहानी कही थी। ऐसा हुआ था कि एक मुकदमा १०० साल तक चला था और उसका निर्णय नहीं हो पाया था। ऐसा हुआ था कि एक गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता....

श्री उपाध्यक्ष : But you will adjust your speech in a way as to conclude it at 4.05 P. M.

श्री मूलचन्द डागा : तो जब शिष्य ने पढ़ना शुरू किया तो गुरु ने कहा था कि जब तुम पहला मुकदमा जीत जाओगे तो तुम्हें फीस पूरी दे दी जायेगी। शिष्य पढ़ता रहा। तो शेक्सपीयर ने कहा कि तुम पहला मुकदमा जीत सकते हो, तुम अपनी फीस ले लो। उसने कहा कि पढ़ाई शुरू नहीं की। गुरु ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया

Page No.98

(श्री मूलचन्द डागा)

और वह मुकदमा चलने लगा। तो गुरु ने देखा कि दोनों बातें ठीक हैं। अगर मैं मुकदमा हार जाता हूँ और शिष्य जीत जाता है तब भी मुझे पैसा मिल सकता है क्योंकि यह मालूम हो जायेगा कि शिष्य ने पहला मुकदमा जीत लिया और अगर मैं मुकदमा जीत जाता हूँ और शिष्य हार जाता है तो भी मुझे फीस मिल सकती है और शिष्य ने देखा कि जो न्याय होता है उसमें फायदा है। अगर मैं मुकदमा हार जाता हूँ तो मुझे और पैसा मिल जाता है। ऐसा एक पॉइन्ट था जिसके लिए १०० साल तक वह केस एडजोर्न होता रहा और उसका फैसला नहीं हो सका। आज भी एक ऐसा ही सवाल है। न्याय करने वाले बैठते हैं, वे कानून को समझते नहीं हैं। आप किस कानून को उन्हें पढ़ा सकते हैं? मैंने देखा कि ट्रेनीज़ को आप भेज देते हैं। आई० ए० एस० और आर०-ए० एस० ऑफिसर्स आते हैं और उनको आप मुकदमों का फैसला करने का मौका दे देते हैं। क्या नतीजा होता है कि सैकड़ों नहीं, किन्तु दर्जनों ट्रेनीज़ आते हैं वे न्याय देते हैं जिनको कानून की ए०, बी०, सी० भी नहीं मालूम कि क्या होता है। मैं पाली का किस्सा कहूँ। पाली में ४ ट्रेनीज़ बैठे हुए हैं। एक ट्रेनी के पास ६ महीने तक मुकदमा रहता है। दूसरा आता है और वह फाइल पकड़ता है। मेरे ख्याल से इतने ट्रेनीज़ पैदा हुए हैं कि ३२३ के केसेज़ में इतनी देर लगती है कि वह मर्डर केस से भी ज्यादा लम्बा हो जाता है। अब तो ऐसा हो गया है कि लोगों की आराम करने की आदत बन गई है। न तो मजिस्ट्रेट इम्पार्शियल हो सकता है और न इन्डिपेन्डेन्ट हो सकता है।

(३. ५८ म. प.)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

जमाने की बात है। आधुनिक युग में जितने भी मजिस्ट्रेट और जजेज़ हैं वे हरमिट की तरह नहीं रह सकते हैं, साधु की तरह से नहीं रह सकते हैं। उसके लिए पहले आदमी का जो जीवन बन चुका है, जो लाइफ बन चुकी है उस लाइफ के अन्दर जजेज़ न्याय नहीं दे सकते हैं। उसके अन्दर एक नये तरीके का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जजेज़ को एक हरमिट की तरह की लाइफ बिताना चाहिए। वह बिता नहीं पाते हैं और इसलिए न्याय नहीं कर सकते हैं। चाहे जितनी अदालतों में जाकर कहें, न्यायालयों में यह बात नहीं हो सकती है। अन्यथा जुडिशियरी और एक्ज़ीक्यूटिव को सेपेरेट करने के लिए सन् १८८३ में इन्डियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिज़ोल्यूशन पास किया था कि सारी की सारी जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को सेपेरेट कर देना चाहिए।

१९५०–५१ में बम्बई ने एक कानून बनाया और उसके पहले में एक रेग्यूलेशन बना। उस समय तो ब्रिटिश हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को सेपेरेट कर देना चाहिए। यह कोई आज की बात नहीं है। हमारा संविधान सन् ५० में बना और सन् १९६१ में हम बात करते हैं कि जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से सेपेरेट करना है। यह हमारे लिए और सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। १०० वर्ष पुराना

(श्री मूलचन्द डागा)

नक्शा है कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से सेपेरेट कर देना चाहिए। आपना कमेटी की रिपोर्ट हो चुकी है। इन्डियन नेशनल कांग्रेस का रिज़ोल्यूशन हो चुका है। जगह जगह ऐसा हो चुका है। उन बातों के होने पर भी जुडिशियरी को सेपेरेट नहीं किया जाता है तो उसका मतलब यह है कि कई लोगों को आप न्याय से वंचित करते हैं। आज आप न्यायालयों के कोरीडोर्स में जाकर देखें,जेलों में जायं तो आप देखेंगे कि वहां पर छुंगा–मंगा बैठे होंगे। सोहनलाल और मूलचन्द आज जेलों में नहीं होंगे। आज जेलों में निर्धन, दुबले, पतले, कमजोर आदमी बैठे हुए हैं। वे जेलें इसलिए बनी हैं कि गरीब लोगों के अधिकारों को कुचल कर धनवान मौज करते हैं। न्यायालय भी इसीलिये बने हैं। जेल, पुलिस, मजिस्ट्रेटी; ये सारी की सारी अदालतें गरीबों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों से उनको वंचित करने के लिए और मालदारों की उन कानूनों की आड़ में रक्षा करने के लिए बनी हैं....

(४.०० म. प.)

श्री पुरुषोत्तलाल शर्मा (किशनगढ़) : डालमिया को सज़ा हो गई है उच्च न्यायालय से।

श्री मूलचन्द डागा : एकाध इन्सटान्स मिल गया तो क्या हो गया ? लंका में एक विभीषण हो गया तो क्या सब राक्षस नहीं थे ?

श्री चन्दनमल बैद : एक मून्धड़ा और है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कह रहा था कि प्लेटो ने एक बात कही थी कि "All evils of the world will cease when lawyers would become philosophers and philosophers would become lawyers." वकील में अगर यह भावना हो जाय कि हमें न्याय दिलाना है और हमें अपना न्याय पैसों के लिए नहीं बेचना है और दूसरे जो लोग कानून नहीं जानते हैं उनमें यह भावना हो जाय कि हमें कानून जानना चाहिए तो बात ठीक हो सकती है। हमने यहां भी देखा है कि लेजिस्लेशन की जब सब–कमेटी बनती है और जब बिल आता है पारित करने के लिए, उसे यदि सिलेक्ट कमेटी में हम भेजते हैं तो हमारे यहां के लोग भी ऐसे जाते हैं जो कानून से अनभिज्ञ होते हैं। मैं यह कहता हूं कि........

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : But law is commonsense.

श्री मूलचन्द डागा : That may be.........पर

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Commonsense is uncommon today.

श्री मूलचन्द डागा : कॉमनसेन्स किस तरह से पैदा होगी ? खाली कॉमनसेन्स की बात नहीं है यह टैक्निकल मैटर हैं। एक खान से सीधा निकला हुआ पत्थर मकान में फिट नहीं हो सकता है। उसको छीलना होगा, उस पर हथौड़ा लगाना होगा तब जाकर वह मकान में फिट होगा।

(श्री मूलचन्द डागा)

यही बात कमेटी के अन्दर है । मजिस्ट्रेटी में ट्रेनीज़ की बात होती है । आपके न्यायालय में यह बात होनी चाहिए कि हर मजिस्ट्रेट की और न्यायालयों के न्यायाधीशों की कम से कम २ या ३ साल के बाद परीक्षा होनी चाहिए । परीक्षा के आधार पर उनका प्रमोशन होना चाहिए । उनके वर्क की स्क्रुटिनी होनी चाहिए, स्ट्रिक्चर्स पास होने चाहिए । लेकिन हमारा सवाल नहीं है ; कई आदमी सोचते हैं कि मशीन चल रही है तो चलती रहे। यह नहीं देखते हैं कि मशीन खराब है, उसका ऑइलिंग हुआ है या नहीं, वह किसी काम की है या नहीं, यह भी देखना चाहिए । इन दो–तीन सालों में नये नये टीनेन्सी लॉज़ निकल गये । उनका कुछ ज्ञान नहीं है उन्हें । बिल्कुल खाली लीपापोती होती है । वे बैठे रहते हैं और हम लोग समझते हैं कि उनसे न्याय मिल सकता है । न्याय के लिए मजिस्ट्रेट और न्यायालयों के न्यायाधीशों को इसलिए कहना चाहता हूं कि a public man who acts wickedly in his private life can never be expected to be noble in his public life. यह तो हमारी प्राइवेट जिन्दगी है । हमारी घरेलू जिन्दगी से क्या ताल्लुक है ? लेकिन घरेलू जिन्दगी का असर पब्लिक जिन्दगी पर आता है । उस तरीके से हम मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश जो कुछ भी हैं उनकी इन्टीग्रटी, ऑनेस्टी और इन्डस्ट्री पर विश्वास नहीं कर सकते हैं ।

हमारे राज्य में हमने जो व्यवस्था कायम की है, जिस तरीके से हम प्रमोशन देकर नये ट्रेनीज़ को मुकर्रर कर लेते हैं, २०–२५ साल की उम्र में आई. ए. एस. की परीक्षा पास नहीं की कि he becomes a Magistrate. हम १०, ५ व ११ साल के जो वकील हैं उनसे निवेदन करते हैं, एक्सपर्ट ओपीनियन देते हैं तो कुछ समझते नहीं हैं । सुनने समझने की कोशिश नहीं करते हैं । हम कहते हैं तो समझते नहीं हैं । मामला गोल है । वकील समझते हैं कि गोल है तो गोल बात कर देते हैं और चपटा है तो चपटी बात करते हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप किस प्रकार की बात करते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : चपटी ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक उदाहरण दूं । एक मजिस्ट्रेट से हमने कहा कि साहब, एक बहुत बड़ी बात थी ४४८ के अन्दर, यह जो नया एमेंडमेंट आ चुका है कि २० आदमी आते हैं तो हाजरी माफी दे दें। तो वे कहते हैं कि हाजरी माफी तो औरतों को दी जाती है । हमने कहा कि साहब अब नया विधान बन चुका है और उसमें औरतों और मर्दों के समान अधिकार माने हैं । इसका अमेन्डमेंट हो चुका है, तो वे कहते हैं कि इसमें तो इस प्रकार का लिखा नहीं है । इस तरह की बात होती है ।

हम समझते हैं कि न्याय मिलना चाहिए । वह न्याय नहीं मिल सकता है । न्याय तब मिल सकता है जबकि खुद मनुष्य यह सोचे कि मानवता का न्याय करना है, तो वैसे तरीके और साधन उपलब्ध करने चाहिए । यह तभी हो सकता है जब कि मजिस्ट्रेट या जस्टिस और न्याय करनेवाले न्यायधीश हैं उनको कानून की पूरी वाकफियत रखनी होगा ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री मूलचन्द डागा)

दूसरी बात यह है कि हमारी कोर्ट में कानून की किताबें नहीं हैं। एक बड़ी बात यह है कि एक पी० आई० जिसको २००) रु० या १५०) रु० देते हैं वह मर्डर केस को कंडक्ट करता है जब कि हम ५००)रु० या १०००) रु० लेकर बैठते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत करता है और उसको १००, रु० २००) रु० महीना मिलता है तो वह कैसे ४,५ मर्डर केसेज़ को कर लेगा ? आप कहते हैं कि थानेदार इन्वेस्टीगेशन करना नहीं जानते हैं इसलिए कई केसेज़ फैल होते हैं। इन्वेस्टीगेशन करने का नतीजा नहीं और आप न्याय दिलानी चाहते हैं उसको। आज होम मिनिस्टर साहब इस बात की घोषणा करें कि वे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को सेपेरेट करना चाहते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व) : On a point of information, Sir, थानेदारों को एक्ज़ीक्यूटिव से अलग कर देना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, हाईकोर्ट का मामला है जहां कि एडमिशन केसेज़ जाते हैं। रेकॉर्ड मंगाया, एक बड़ी फाइल लेकर हाई कोर्ट में गये। बड़ा मामला है। हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं एडमिशन के केसेज़ ७५ पर्सेन्ट बिना उस पर कोई माइन्ड पूरी तरह एप्लाई किये हुए। हाई कोर्ट में इतनी भरमार है कि केसेज़ खारिज होते हैं एडमिशन स्टेज पर ही।

एक बात जरूर है कि कोर्ट फीस के बिल में एक बिल ऐसा आने वाला है कि जिसमें वापिस रिफण्ड मिलेगा कोर्ट फीस का। वह बड़ी नई बात है, प्रोग्रेसिव है। हम कहते हैं कि हजारों मुकदमें इसीलिये खत्म हो जाते हैं कि वहां पर काम हो जाता है। आप चाहते हैं कि हेशन्ड जस्टिस, तो यह भी नहीं होना चाहिए। इससे मुकदमे खराब हो जाते हैं। न तेजी से चलना है और न जल्दी से। If "justice delayed is justice denied," then justice hastened is also justice denied. जल्दी करदें तो खत्म हो जायगा। दोनों बातों को छोड़ कर बीच में चलना चाहिए।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल खड़े हुए)

श्री सभापति : If you can conclude your speech within five minutes...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ५ मिनट में नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि अभी ५० मिनट का समय है।

श्री सभापति : The Hon'ble Minister has to reply and then the cut motions and the demands are to be voted.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Only one demand is to be voted.

श्री सभापति : Cut motions are also to be voted.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Majority of the cut motions are to be withdrawn and there is not a large number of them even otherwise.

सभापति : All right, ten minutes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में मांग प्रस्तुत की गई है। इस पर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये और उन पर जो सदन में विचार व्यक्त किये गये मैं उन सब बातों को यहां पर न दोहरता हुआ दो प्रमुख बातों की ओर माननीय गृह मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा और उनसे यह अपील करूंगा कि जो दो मुख्य बातें हैं उनके बारे में एक मन्त्री के नाते नहीं, किन्तु एक निर्वाचित सदस्य होने के नाते जो उनकी जिम्मेदारी है उसके बारे में वे विचार करेंगे।

सभापति महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज किसी भी निर्वाचित सदस्य के लिये सबसे सर्वोपरि चीज़ होती है वह है संविधान के प्रति निष्ठा और उसके बाद दूसरी चीजें होती हैं, वह है अपने मतदाताओं के प्रति, जो भगवान का स्वरूप होते हैं, जनता जनार्दन परमेश्वर का स्वरूप है उनके प्रति निष्ठा और इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार इस प्रकार के प्रश्न संविधान के सम्बन्ध में सामने आये कि यदि हमारे निर्वाचत प्रतिनिधि को, जिसे जनता ने चुन कर भेजा है यदि जनता बुलाना चाहे तो वापिस बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था हुई नहीं है। किन्तु सवाल खड़ा होता है, नैतिक दृष्टि से देखा जाय तो मैं कहूँगा कि जो दो बातें मैंने कहीं, एक संविधान के प्रति निष्ठा की ओर दूसरी जनता, जिसके द्वारा चुन कर आये हैं उसकी भावना के प्रति श्रद्धा भाव और जिम्मेदारी को। यदि मैं इन दोनों की कसौटी पर गृह मन्त्रीजी को कसने की कोशिश करूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे खरे नहीं उतरेंगे।

जहां तक प्रथम प्रश्न का सवाल है, जो कार्य-प्रणाली से न्याय-प्रणाली को अलग करने का सवाल है, यह कान्स्टिट्यूशन में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल के रूप में आर्टिकल ५० में स्वीकार किया है कि कार्य-प्रणाली से न्याय प्रणाली को अलग करना चाहिये लेकिन हमारी राज्य सरकार आज १२ साल हो जाने पर भी कार्य-प्रणाली से न्याय-प्रणाली को अलग नहीं कर सकी। ड्राफ्ट कान्स्टिट्यूशन में इन दोनों को अलग करने के लिये ३ साल की अवधि रखी गई थी और यह कहा गया था कि ३ साल में जुडिशियरी को एग्ज़ीक्युटिव से सेपरेट करना चाहिये। लेकिन कांस्टिट्यूएन्ट एसेम्बली में एक संशोधन आया और संशोधन रखने वालों ने कहा और केन्द्रीय मन्त्रीजी ने भी कहा कि यदि तीन साल का प्रावधान रखेंगे तो बहुत सी स्टेट्स की सरकारें कहेंगी, ३ साल तक जुडिशियरी को एग्ज़ीक्युटिव से अलग नहीं कर सकते। तीन साल की उनको छूट न मिल जाय, इसलिये यह कहा गया कि जल्दी से जल्दी होना चाहिये, इस प्रकार का प्रावधान जोड दिया जाय। लेकिन तीन साल का प्रोविजन हटाने का मतलब यह नहीं था कि राज्य सरकार १२ साल तक नहीं करे। कान्स्टिट्यूशन की जो भावना थी और जिस भावना को लेकर यह पास हुआ था उसका अनादर किया है राज्य सरकार ने और गृह मंत्रीजी ने पिछले १२ साल से एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी को अलग नहीं किया गया।

मैं ज्यादा न कह कर एक प्रश्न आपके सामने रखूंगा। आज हमारे यहां मजिस्ट्रेट्स हैं वे

Page No.103

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एग्ज़ीक्यूटिव के अंडर में हैं और इससे कई बार दिक्कत आती है। आज राजस्थान में इस बात की चर्चा है, राजस्थान के इस सदन में आरोप लगाये जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अधिकारी है जिसको आ० ए०-एस० में प्रमोशन दिया गया। उससे पहले उसने पंचायत विभाग में पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर के रूप में काम किया और पंचायत विभाग के मंत्रीजी उससे खुश हुए और उसको आर० ए० एस० में प्रमोशन दिया। और उसके बाद, सभापति महोदय, वह व्यक्ति चाहे किसी प्रकार से प्रमोशन पाता हैं चाहे पंचायत मंत्रीजी की कृपा से प्रमोशन पाता है और वह व्यक्ति कुछ दिनों के लिये कहीं एस० डी० एम० या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो जाता है। पहले वह व्यक्ति पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर था। पंचायत मंत्री जी उस पर खुश हुये और इस कारण से उसको प्रमोशन दिया जाता है और वह मजिस्ट्रेट बन जाता है। मैं आज उसके पास कम्प्लेन्ट लेकर जाऊं कि खादी बोर्ड के मंत्री ने खादी बोर्ड में घोटाला किया है, तो क्या वह व्यक्ति उनका प्रोसीक्यूशन करने की हिम्मत रखेगा ? क्या वह व्यक्ति उनके खिलाफ वारन्ट निकालने को हिम्मत करेगा ? वह ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति से वे खुश थे उसको उन्होंने प्रमोशन दिया था। इसी प्रकार से यदि यह मामला जुडिशियरी में ट्रान्सफर होता है तो उससे आशा रख सकते हैं न्याय पाने की। लेकिन उस मजिस्ट्रेट से आशा रखना निरर्थक है। यही कारण है कि कई मामलें आते है। नाथद्वारे के मामले आते हैं, लेकिन राज्य सरकार का प्रोसीक्यूशन नही किया जाता। कई बार हम चाहते हैं कि कम्प-लेन्ट लॉज करें लेकिन किसके पास करें ? कौन सुनने वाला है ? आज ऐसे कितने ही मामले हैं। खादी बोर्ड के मामले हैं, ट्रान्सपोर्ट के मामले हैं। आज राजस्थान में इस प्रकार से नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। किसी मंत्री के खिलाफ कम्पलेन्ट करना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करना चाहते हैं तो क्या किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत है कि वह उनका प्रोसीक्यूशन करावे या उनके खिलाफ वारन्ट निकाले या साबित होने पर सजा दे दे ?

आज हम राजस्थान में जनतांत्रिक सिद्धान्तों का निर्माण करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार का मिटाना चाहते हैं। लेकिन जिनके पास करप्शन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के पॉवर्स हैं, किसी को प्रोसीक्यूट करने के पॉवर्स हैं, आज उन लोगों को राज्य सरकार के काबू से, राज्य सरकार के नियंत्रण से, सरकार के अधिकार से दूर रखा जाय और हाई कोर्ट के अन्तर्गत जुडिशियरी को दिया जाय और फिर देखा जाय कि जो भ्रष्टाचार का आरोप केवल सदन में लगाया जाता है और उसको झूठा बताया जाता है और कहा जाता है कि इसको साबित किया जाय, फिर बतला देंगे कि कितने मंत्रियों के खिलाफ फैसले होते हैं और कितने अधिकारियों के खिलाफ फैसले होते हैं। इस प्रकार की कई बातें हैं।

अन्त में मैं इन सारी चीजों के बारे में अधिक न कह कर यह कहूंगा कि सन् ४७ से पहले राजस्थान की कई स्टेट्स में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलग अलग थीं। जयपुर स्टेट के बारे में मैंने बतलाया था कि वहां पर अगल थीं, मत्स्य में अलग थीं, जोधपुर में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अलग अलग थीं। हमने राजस्थान में इतनी प्रगति की है कि जो अलग थीं हमारी जुडिशियल इन्स्टिट्यूशन स्टेट्स में उनको खत्म कर दिया। हमने यह प्रगति की है।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहूँगा और वह है मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी की बात। इसको मैं कंट्रोवर्शियल इश्यु नहीं बनाना चाहता हूं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है। हमने शुरू में न्याय के सिद्धान्त को माना है। इस बारे में जो कुछ भी वातावरण रहा है, जहां तक गृह मंत्री का सवाल है या सरकार में गृह मंत्री होने के नाते तो कर्त्तव्य का सवाल है, इसके अतिरिक्त वे जयपुर शहर से इलेक्टेड इस विधान सभा के सदस्य हैं और उस नाते उनकी जिम्मेदारी जयपुर नगर के इलेक्टर्स के प्रति है। जहां तक जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच रखने का सवाल था, चाहे सरकार उसके लिए मना करती रहती, लेकिन उनको गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिये था और जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिये था। लेकिन मैं समझता हूं इतना उनमें दम नहीं था....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): दम नहीं था का क्या मतलब होता है ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : दम नहीं था का मतलब ताकत नहीं थी। इसका मतलब श्वास नहीं समझना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं, सारे प्रश्न में नहीं जाना ही उचित है। लेकिन हाई कोर्ट का जहां तक सवाल है, पोलिटिकल प्रश्न था। अफसोस इसलिए होता है कि इसको पोलिटिकल इश्यु बनाया जाता है। युनिवर्सिटी को हटाने का प्रश्न उठाया जाता है, जोधपुर में खोलने की बात की जाती है, आप उठा ले जाते युनिवर्सिटी को, कोई कुछ नहीं कहता। हमारे यहां से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जाते हैं। स्वागत का कार्यक्रम बनाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया जाता है और वाहवाही ली जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाई कोर्ट का सवाल था उसके पीछे पोलिटिकल बैक ग्राउन्ड था। पोलिटिकल कन्सीडरेशन की बात चली, पोलिटिकल अचीवमेंट की बात चली। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाई कोर्ट का सवाल जनता का सवाल है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के नाते यह गृह मन्त्री का सवाल है। उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। इसके साथ ही केबिनेट के सीनियर मेम्बर होने के नाते मैं उनको कह सकता हूँ कि आपने अपने मतदाताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी होती, अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया होता तो जयपुर से हाई कोर्ट की बैंच जोधपुर नहीं चली गई होती। लेकिन उनके सामने सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि लोग नाराज हों तो हों, वे कुर्सी से चिपके रहें। इन दोनों दृष्टियों से गृह मन्त्रीजी के लिए कोई नैतिक आधार नहीं कि वे इस सदन में बैठे रहें। मैं समझता हूँ कि ढाई साल पहले की परिस्थिति को देखते हुए आज की जो परिस्थिति है, इस प्रश्न पर वे पद त्याग कर चले जायं और जनता को कहें, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम मरोगे तो मैं मरूंगा, तुम जिओगे तो मैं जिऊंगा। यह नहीं हो सकता कि तुम रूखी रोटी खाओ और मैं हलुवा खाता रहूँ। मैं निवेदन करूंगा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि जब आपने इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के महकमे को अपने हाथ में लिया है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : हलुवा मतदाताओं से छीना नहीं जाता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हलुवा खाया है और हलुवा खाते हैं, यह मालूम है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस परिस्थिति पर निष्पक्ष दृष्टि से वे विचार करें। अगर कोई राजनैतिक रूप आये तो जनता को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने का आपका परम् कर्तव्य है। वैसे भले ही आप दस बैंच खोलें, अजमेर में खोलें, बीकानेर में खोलें, कोटा में खोलें। राजस्थान की जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिलना चाहिए और खास कर तब जब कि हमने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के सिद्धान्त को माना है और पंचायतों को अधिकार दिये हैं, उनको सिविल केसेज़ के अधिकार दिये हैं, उनको क्रिमिनल केसेज़ के अधिकार दिये हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि उनको रेगुलेट करने की दृष्टि से, उनका नियंत्रण करने की दृष्टि से यह आवश्यक है। विशेष रूप से, सभापति महोदय, मैंने इन बातों को इसलिए ही कहा है, इसमें माननीय सदस्यों को ऑफेन्ड होने की जरूरत नहीं है। मैं गृह मंत्रीजी के लिए कहता हूँ कि उन्होंने १२ साल पहले आश्वासन दिया था और खास तौर पर जब हाई कोर्ट आन्दोलन चला डेढ़ साल पहले तब बार एसोसियेशन में आये थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उस स्थिति में हमें आश्वासन देकर यहां बैठे रहें....

श्री सभापति : You will please conclude your speech.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अच्छी बात है। मैं इन शब्दों के साथ में, सभापति महोदय, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, सिर्फ पांच मिनट....

श्री सभापति : Now we have got no time. Hon'ble the Law minister.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जोश आ गया है।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री): चेअरमैन महोदय, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव आये। माननीय सदस्यों ने कई अहम और माकूल मसले सदन में रखे। उन पर मैं विचार जाहिर करना मुनासिब समझूंगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि बजाय इसके कि पहले जो अलग अलग कट मोशन्स आये हैं उन पर कुछ कहूँ, उसके बजाय उन मामलों पर अर्ज करूं कि जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने कहा है, जिन मामलों पर ज्यादातर कट मोशन्स आये हैं ताकि बहुत से कट मोशन एक ही उससे कवर हो जायं। उसमें सबसे बड़ा पोइन्ट, सबसे बड़ा मसला रखा गया, जो ज्यादातर माननीय सदस्यों ने रखा, वह न्याय और प्रशासन को अलग अलग करने के बारे में है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रोम एक्जीक्यूटिव। इस पर ज्यादातर माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की है। मैं समझता हूँ, ज्यादा मुनासिब मेरे लिए

(श्री रामकिशोर व्यास)

यह है कि पहले उस पर सदन से निवेदन करूं। उसके बाद अलग अलग मसले होंगे उन पर अपने ख्याल जाहिर करूंगा।

इस बारे में कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रोम एक्ज़ीक्यूटिव, कार्यपालिका से न्याय पालिका को अलग करना, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न है, मैं निवेदन करूं कि कॉन्स्टीट्यूशन के माफिक हमारी तीन बड़ी जिम्मेदार मदें हैं–एक्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एण्ड जुडिशियरी ये तीनों अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और तीनों बहुत बड़े स्तम्भ हैं किसी राज्य को चलाने के लिए। आज केवल मुझे आपको जुडिशियरी के सम्बन्ध में निवेदन करना है। थोड़ा बहुत जुडिशियरी और एक्ज़ीक्यूटिव के सम्बन्ध में कह सकता हूँ। विशेष तौर पर जुडिशियरी के बारे में कहा जा सकता है। इस सदन में बताया कि कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोविज़न है कि एक नियत अवधि के अन्दर इन दोनों को; न्यायपालिका को और कार्यपालिका को, अलग अलग कर दिया जायगा। मैंने इस हाउस में पहले भी निवेदन किया है, अब भी निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की नीति है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हों। उस सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया है, आगे क्या करना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में मैं आपसे अर्ज करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके सिलसिले में एक तस्वीर यहां खींची गई या खींचने की कोशिश की गई, या रंगीन नकशा बनाने की कोशिश की। वह इस तरह बनाने की कोशिश की गई, जैसे राजस्थान में बहुत बड़ा जुल्म या अन्याय हो रहा है। जुडिशियरी है, उससे न्याय मिलता नहीं है, जितने जुडिशियरी में काम करने वाले लोग हैं वे बिल्कुल न्याय नही करते हैं, जितना सारा काम होता है वह गवर्नमेंट के इशारे पर होता है, जितने मुकदमे तय होते हैं वे गवर्नमेंट के इशारे पर तय होते हैं, जो नीचे से लेकर ऊपर तक के ऑफिसर हैं वे कठपुतली की तरह नाचते हैं, जैसा एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं या मंत्रिगण कहते हैं वैसा करते हैं, उनकी अपनी जमीन नहीं है, उनकी कान्शियस नहीं है, उनका अपना उसूल नहीं है और वे गवर्नमेंट के इशारे पर नाचते रहते हैं। इस तरह की तस्वीर बनाने की कोशिश की गई। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो तस्वीर रखी जा रही थी जो ख्याल जाहिर किये गये वे बेबुनियाद हैं, गलत हैं, नामुनासिब हैं। राजस्थान की जुडिशियरी के लिए मैं कह सकता हूँ कि आज की राजस्थान की जुडिशियरी इन्डिपेन्डेन्स के मामले में, फैसला देने के मामले में अन्य प्रान्तों से, किसी से कम नहीं है, पूरी इन्डिपेंडेंट है और जुडिशियल पॉवर एक्सरसाइज कर रही है। मैं शुरुआत से चलूं। हाई कोर्ट से लूं। जो हाई कोर्ट से फैसले हुए, वक्तन फवक्तन होते रहते हैं जिन्हें आप लोग देखते रहते हैं, उन केसेज़ को मैं दो टुकड़ों में बांटता हूँ। एक तो जनता और जनता के बीच, नागरिक और नागरिक के बीच आते हैं और दूसरे नागरिक और सरकार के बीच में आते हैं। जनता जनता के बीच के मामलों का सवाल है, वहां तो सरकार के इन्टरफियरेन्स का सवाल आता नहीं, कोई स्टेट का इन्ट्रेस्ट होता नहीं। इस बात की कल्पना नहीं हो सकती कि जहां नागरिक नागरिक के बीच की बात है, वहां स्टेट का इन्टरफियरेन्स

(श्री रामकिशोर व्यास)

आता हो, एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स का इन्टरफियरेन्स आता हो। ये दोनों सवाल पैदा नहीं होते। दूसरा सवाल आता है जनता और गवर्नमेंट के बीच के मामले। उनमें सवाल पैदा होता है, उनके बारे में कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और लोग अपने असर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जो हक़ूक़ या जो हक जनता के लोगों को हासिल हों कानून के जरिये....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : हाई कोर्ट के केसेज़ के लिए किसी ने नहीं कहा, आप आंकड़े....

श्री रामकिशोर व्यास : जुडिशियल....

श्री भैरोंसिंह : हाई कोर्ट के लिए किसी ने नहीं कहा, आप आंकड़े न बतायें। हम मान कर चल रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वे हासिल करें और गवर्नमेंट अपने इन्ट्रेस्ट में फैसला कराये। आप ऊपर से लेकर नीचे तक नजर डालेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि तथ्यों के आधार पर, वाकयात के आधार पर, अब तक जो अनुभव हुए हैं उनके आधार पर इस नतीजे पर आयेंगे कि यह ख्याल गैर मुनासिब है, सही नहीं है। जो हमारी जुडिशियरी है, यह सबसे बड़ी ऊंची अदालत हमारे राजस्थान में है। यह आपके नोटिस में है, इल्म में है, रात-दिन फैसले होते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, जिन्हें चाहे गवर्नमेंट पसन्द करे या न करे वे फैसले गवर्नमेंट के इनीशियल इन्ट्रेस्ट के खिलाफ हैं, पॉलिसी के खिलाफ हैं, इसका ध्यान किसको नहीं है। लेकिन वे फैसले प्योरली मैरिट्स के ऊपर किये जाते हैं और जो फैसले वहां होते हैं उनको गवर्नमेंट कम्प्लाई करती है, उनको फोलो करती है। कई फैसले आपने इस जमाने में देखे होंगे। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, अभी ट्रान्सपोर्ट के मामले में रिट हुई और उनमें जो फैसले हुए, गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले हुए, गवर्नमेंट के रूल्स को सेट असाइड कर दिया। फिर आप यह कैसे कहेंगे कि गवर्नमेंट ने अपने असरात का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पर जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव का सेपरेशन नहीं हुआ, इसलिए दबाव देकर करवा लिए....

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : हाई कोर्ट तो सेपरेट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हाई कोर्ट तो सेपरेट है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जुडिशियरी को आप खुद नीचे नहीं गिरायें....

श्री भैरोंसिंह : आप उनकी वकालत करके सिम्पेथी ले रहे हैं, वह नहीं मिलेगी, मजिस्ट्रेटी के बारे में बतायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट ने तो आपको सर्टीफिकेट दे दिया है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप धैर्य तो रखें....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : वह आपके पास नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने छः घंटे तक आपकी बात सुनी, अब थोड़ी देर मेरी बात सुनें।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं मिनिस्टर साहब को खबर देता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के रामशरण हेड कॉन्सटेबल के केस में फैसला दिया है वह गवर्नमेंट ने मान लिया। आप कहते हैं कि कोर्ट ने हर मामले में पूरी जस्टिस की है। लेकिन आज तक वे पुलिस वाले वहीं के वहीं हैं। इससे मालूम होता है हाई कोर्ट की कितनी इज्जत होती है। जो अजमेर का इन्टिग्रेशन हुआ, उसके बारे में जो फैसला हुआ है, उसे गवर्नमेंट ने पूरा किया है क्या?

श्री रामकिशोर व्यास : तो मैं आप से निवेदन कर रहा था कि हाई कोर्ट का जो फैसला होता है उसकी तामील की जाती है, उसका आदर किया जाता है।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसको लागू किया जायगा क्या, मैं जानना चाहता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने पहले भी निवेदन किया और फिर अर्ज करूंगा कि हाई कोर्ट के फैसले का पूरा आदर किया जाता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसको लागू करने में कितना अर्सा लगता है?

श्री रामकिशोर व्यास : तो मैं अर्ज कर रहा था कि गवर्नमेंट के असरात की वजह से फैसले हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है।

अब इससे नीचे आइये डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन्स जज। इसकी काफी मिसालें मिलेंगी कि इन कोर्ट्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले किये हैं और गवर्नमेंट ने उनके फैसलों को तस्लीम किया है। आपकी ही मिसाल दूं। आपके आन्दोलन चलते हैं, उनमें पुलिस के केसेज़ को खारिज किया है। उसकी कई मिसालें आप जानते हैं, फिर भी आप कहेंगे कि इनके फैसले गवर्नमेंट के असरात से होते हैं तो....

श्री भैरोंसिंह : वह तो पहले से ही सेपरेट हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अभी सब कह दूंगा, आप थोड़ा धैर्य तो रखें, भाई भैरोंसिंहजी। तो उनके कई फैसले मैं बता सकता हूँ जिनमें गवर्नमेंट का कौन इन्ट्रेस्ट आप बताते हैं उनको भी इन अदालतों ने खारिज किये हैं।

दूसरी अदालतें हैं सेशन्स जज की, जिनके लिये कहा गया कि गवर्नमेंट दबाव डालती है....

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : That is what we say...

श्री रामकिशोर व्यास : तो इसमें भी आपको एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी कि गवर्नमेंट के असरात से फैसले किये हों।

तीसरा सवाल मजिस्ट्रेट्स का आता है। मैं इस बारे में और दूसरी मिसालें न रख

(श्री रामकिशोर व्यास)

कर सदन के माननीय सदस्यों ने जो मिसालें रखी हैं उन्हीं को रखूंगा तो आपको इत्-मिनान हो जायगा कि मैं जो कहता हूँ उसमें सचाई है या माननीय सदस्य कहते हैं उसमें सचाई है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको दफा १२४ ए० में पुलिस ने गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के सामने उनको ले गये उन्होंने मजिस्ट्रेट को बताया कि इसमें कोताई है, तो मजिस्ट्रेट ने उनको छोड़ दिया। तो उनकी दी हुई मिसाल से ही यह साबित होता है कि मजिस्ट्रेट बिना किसी प्रकार के असर के फैसला करते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : पकड़ने वालों को शर्म नहीं आती ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें शर्म की क्या बात है? ये तो मुकदमे रोज चलते हैं और छूटते हैं। बद्दियान्ती से कोई करे तो शर्म की बात है, नेकनीयति से करे तो कोई शर्म की बात नहीं। उन्होंने नेकनीयती से किया।

उन्होंने दूसरी मिसाल रखी कि एस० पी० पर मजिस्ट्रेट ने ५० रुपया जुर्माना कर दिया और एस० पी० के ड्राइवर का जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था चालान कर दिया। तो ये इस बात को साबित करने वाली दलीलें हैं कि हमारी जुडिशियरी, हमारे मजिस्ट्रेट अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ करते हैं ! वे इस बात का ख्याल नहीं करते कि यह किसी एस० पी० का मामला है या किसी और का।....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : और इसका इनाम उस मजिस्ट्रेट को यह दिया जाता है कि उसको मजिस्ट्रेट से तहसील-दार बना दिया।

श्री भैरोंसिंह : आप जितने हाई कोर्ट के इस तरह के केसेज़ हैं उनमें से एक भी ऐसा केस बता दीजिये कि जिसमें मजिस्ट्रेट ने जो सजा दी है उसको बहाल रख दिया हो। अगर एक भी ऐसा केस बता दें तो मजिस्ट्रेट की तारीफ करें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तलाश करके तो आया नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसे केसेज़ में मजिस्ट्रेट्स के यहां से सेंट पर्सेन्ट कन्विक्शन हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय चेअरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मैं अर्ज करता हूँ उसे सुनें। ऐसी क्या बात है, घबरावें नहीं, मैं गलत भी कहूँ तो सुनें। आपने बहुत सी गलत बातें कही हैं, मैंने उनको सुना है, तो आप मुझे भी सुनें।

श्री चन्दनमल वैद : आपके प्रति नेचुरल प्रेम रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, मेरे बड़े हितैषी हैं, मेरे लिये बड़ा दिल रखते हैं, उस दिल के रखने में उनका भी फायदा है, ऐसा मुझे दिखता है।

तो इसकी जो बहुत सी दलीलें दी गई कि जुडिशियरी इन्डिपेन्डेन्ट नहीं, गवर्नमेंट

(श्री रामकिशोर व्यास)

के असरात से काम करती है, ये जो दलीलें दीं, उन दलीलों से मैं इत्तफाक नहीं करता, पर जो नतीजा निकलता हैं, उससे मैं इत्तफाक करता हूँ । जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव अलग अलग होनी चाहिये, इस नतीजे से मैं सहमत हूँ, जो दलीलें दीं उनसे सहमत नहीं । एक डकैती का मुकदमा किया गया तो एक माननीय सदस्य ने कह दिया कि गवर्नमेंट के असर से किया गया, जुडिशियरी पर एग्ज़ीक्युटिव का असर है इसलिये किया ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : हां, ऐसा किया गया है....

श्री रामकिशोर व्यास : अगर किसी का मेलिशियस इन्टेन्शन रहा है और गलत डकैती का मुकदमा चला दिया तो आपको अधिकार प्राप्त है कि आप नालिश कर सकते है, जो रेमेडी लॉ अलाऊ करता है वह सब आप कर सकते है ।

इस तरह एक पत्रकार की बात ले आये। कहना था और बात पर यह कह गये, उस दलील का सेपरेशन से क्या ताल्लुक है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जुडिशियरी पर एग्ज़ीक्युटिव का असर है यह बताने के लिये कहा....

श्री सभापति : Please listen.

श्री रामकिशोर व्यास : पत्रकारों की सिम्पेथी गेन करने के लिये एक पत्रकार का मुकदमा ले आये, पर पत्रकार आपके सभी मोटिव्ज़ को समझते हैं । वे मर्जी से गये या खुद गये या पुलिस ले गई; यह कह कर क्यों गुमराह करते है ?

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस ले गई है और एस. पी. की जीप में गये हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : देखो भाई साहब, मैं फिर निवेदन करता हूँ कि पुलिस की जीप में गये । पुलिस उनको ले गई, यह गलत है ।

श्री मुरलीधर व्यास : हां, उनको पुलिस ले गई ।

श्री रामकिशोर व्यास : सुनें, देखें । एक चोरी की रिपोर्ट होती है । पुलिस को एक आदमी पर शक होता है, उसको बुलाने जाते है, वह शख्स पत्रकार के पास जाता है और कहता है कि मुझे रात को ले जाते हैं । पत्रकार ने कहा, नहीं ले जा सकते और अगर ले जाते हों तो हम भी साथ चलते हैं, और वे साथ में चले जाते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास : क्या दलील है....

श्री रामकिशोर व्यास : उसका मुकदमे से ताल्लुक नहीं, मुकदमे में शहादत नहीं, हमदर्दी में जावें और कहें कि पुलिस की जीप आई थी । और उनको ले गई । जीप उसको लेने नहीं आई थी, दूसरे को लेने आई थी और वे हमदर्दी में साथ चले गये ।

श्री मुरलीधर व्यास : चार चार पुलिस वाले और एक पत्रकार जबरदस्ती से बैठ जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : 'मान न मान मैं तेरा मेहमान'।

श्री मुरलीधर व्यास : तब तो बड़ी तगड़ी पुलिस है आपकी कि चार पुलिस वालों के सामने एक आदमी जबरदस्ती से बैठ जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : साहब, जहां आप जैसे मददगार हों, दो बजे वहां जाने की तकलीफ फरमायें, वहां एडजोर्नमैंट मोशन रखें।

खैर, मैं इन्टरप्शन्स में नहीं जाना चाहता। समय कम है, मुझे काफी कहना है। पर यह कहूँगा कि ऐसे फीलिंग्स को उभारिये नहीं, पत्रकार सब जानते हैं। तो जो दलील इस तरह से देते हैं वह गलत है, जो चित्र रखा है वह गलत है।

जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से सेपरेशन के बारे में गवर्नमेंट मानती है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रोम एक्ज़ीक्युटिव किया जायगा और जल्द किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : कब तक किया जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : सुनिये। ५२, ५४ और ५७ में आश्वासन दिये गये, ५२ में बात कही, ५७ में कमेटी बना दी और एक्शन कुछ नहीं लिया, इस प्रकार कहा गया। ५२ में सेपरेशन की बात आई, कॉन्स्टीट्यूशन में यह बात है, स्टेट इसके लिये बाउन्ड है करने को, स्टेट को करना पड़ेगा। पर ग्रेजुअली करना है। इसके बाद क्या एक्शन हुआ, वह मैं आपको बताऊं। कुछ मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स बनाये गये, उसके बाद दूसरा स्टेप न्याय पंचायतों का लिया है। वह भी सेपरेशन करने की तरफ कदम है। आप फैक्ट्स एन्ड फिगर्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि एक स्टेट में छोड़ कर बाकी सब में ५० प्रतिशत लिटिगेशन्स रुपयों के मुतल्लिक हैं, मूवेबल प्रोपर्टी के मुतल्लिक हैं और वे भी ५०० रुपयों से नीचे के हैं। ५०० रुपयों से नीचे का लिटिगेशन ५० प्रतिशत आता है। यानी आधा लिटीगेशन ५०० रुपये तक का आता है। अब आप देखेंगे कि हमने २५०) रुपये तक के दावों का अधिकार तो पंचायतों को दे दिया हैं, यह बड़ा मेजर स्टेप है। ५००) रुपयों का आधा, यानी २५०) रुपये होते हैं, उसका अधिकार तो हमने पंचायतों को दे दिया है।

एक स्टेप यह लिया। बापना कमेटी बनाई। इसमें डिले जरूर हुई। यह तो सेन्टर की चीज़ दी गई है। सारे के सारे, मैं आपको निवेदन करूं कि इसमें काफी चेन्जेज़ करने होंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जजों में चेन्जेज़ करनी होंगी, लेकिन बहुत जल्दी, आप समझते हैं, नहीं हो सकता। देर तो लगती है। फिर भी जल्दी होगा।

श्री भैरोंसिंह : इस वर्ष तो कुछ नहीं होगा। तसल्ली दिला दें कि आया कुछ होगा या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस वर्ष से आपका क्या मतलब है ?

श्री भैरोंसिंह : इस वर्ष से मेरा मतलब ६१-६२ से है।

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर होगा।

(श्री रामकिशोर व्यास)

दूसरी बात जो है कॉमन बात कही जाती है वह खर्चे में वृद्धि होती है और डिले होती है और लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिलता; तो इसके सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि देरी होती है, यह कहना किसी हद तक सही है। हमारा भी इस बात पर ध्यान गया है। देर होती है और हमने हाई-कोर्ट को भी लिखा है और उसके लिये एक्शन लेते हैं। इस देरी के कई कारण होते हैं।

यहां पर इस बात पर जोर दिया गया कि मेजिस्ट्रेटों को डेवलपमेंट के काम करने होते हैं या मिनिस्टर की खिदमत में चले जाते हैं। यह बात भी दो-चार प्रतिशत तक हो सकती है, जो काम में बाधा पहुँचाती हो, लेकिन डेट एक्सटेन्ड इस कारण से नही होती हैं, वे इन कारणों से होती हैं कि कभी तो वकील लोग एडजोर्नमेंट ले लेते हैं और कभी गवाहानों को समन सर्व नहीं होते हैं। अगर पहले से मजिस्ट्रेट को मालूम हो कि उनको फलां दिन दौरे पर जाना होगा तो वे पहले से उस रोज पेशियें नहीं रखते हैं जिससे लोगों को उस दिन आना न पड़े। यह भी कारण ५ पर्सेन्ट हो सकता है। मगर ज्यादातर जो डिले होती है वह समन्स सर्व नहीं होना या वकीलों के एडजोर्नमेंट ले लेने के कारण से होती है।

लोगों को कोस्ट बहुत लगती है, यह कहा गया है। कोस्ट वाली बात के बारे में मैं यह कहूंगा कि कम लिटिगेशन हो। अब पंचायतों में जो केसेज़ होंगे वे तो वहीं तय हो जावेंगे। इससे उन लोगों के आने-जाने का खर्चा कम हो जावेगा। रही बात हायर लिटिगेशन की उसके लिये कोर्ट फीस का जो भी खर्चा होगा वह होगा ही। मगर मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि राजस्थान में कोर्ट फीस दूसरे राज्यों के बजाय बहुत कम है। इसके अलावा कौनसा खर्चा कम हो सकता है ? आने-जाने में जो खर्चा लगेगा वह तो लगेगा ही।

अब मैं थोड़ी सी अलग-अलग बातें कही गईं, उनके बारे में अर्ज करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप एक ही हाई कोर्ट की बात कह दें, बाकी की सब बातें ढक जावेंगी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह कहूँगा कि माननीय सदस्य खुद जिम्मेदार हैं और जो यहां कहते हैं वे जिम्मेदारी से कहते हैं। एक बात यह कही गई की पंचायतों के इलेक्शन हुए उसमें मंत्रियों ने सिफारिश की, होम मिनिस्टर और राजस्व मंत्री ने टेलीफोन किये। मैं यह कहूँगा कि आप मुझे यहां पर एक भी इस प्रकार की मिसाल बता दें कि होम मिनिस्टर ने एक भी टेलीफोन किसी के लिये किया हो·······

(विराम)

तो मैं आपका बहुत अहसानबन्द होऊंगा। आप एक भी इन्सटान्स बता दें कि होम मिनिस्टर ने इलेक्शन में टेलीफोन किया। अगर आप यहां नहीं बताना चाहते हैं तो बाहर भी आप मुझे बता सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : किसने कहा ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप खुद समझ गये होंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने नहीं कहा था। आपके साथी हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : आपने सबकी गारन्टी ले ली है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अपनी बात कहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्व मंत्री को टेलीफोन के लिये छोड़ दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : एक पोइन्ट यह भी आया कि कोर्ट हटा दी गई। इसके लिये एक accepted csiteria मुकर्रर होता है और उसी के अनुसार सजेशन किया जाता कि कोर्ट वहां रहनी चाहिये या नहीं। यह देखा जाता है कि वहां पर कितने मुकदमे होते हैं जिससे वहां पर मजिस्ट्रेट के पास पूरे दिन का कार्य हो। मेरा यह निवेदन है और मैं समझता हूँ कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि जहां पर अदालत कायम की जावे तो वहां पर इतना वर्क तो होना चाहिये कि एक आदमी दिन भर काम कर सके। अगर इस सिद्धान्त से कहीं अदालत बढ़ती हो तो बढ़ानी पड़ती है और कम होती है तो कम भी होती है।

एक माननीय सदस्य : हाईकोर्ट की बात कहें।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। चूंकि समय बहुत कम है और हमारे श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया। इस बात के लिये निवेदन करता हूँ कि मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि धारा सभा को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये। मगर न मालूम मेरे माननीय दोस्तों की इच्छा है कि वे इसकी चर्चा करते रहते हैं। आप मुझसे इतनी हमदर्दी रखते हैं कि मेरे electors आपके हो जावें।

(विराम)

आपकी उत्तरोत्तर कोशिश रहती है। दिखावे के लिये कहा जाता है कि हम आपके बहुत हमदर्द हैं। आप कैसे हमदर्द हैं, यह तो सभी जानते हैं ? जयपुर की जनता को आप यह दिखाते हैं कि हमसे बढ़ कर आपका कोई हित चाहने वाला नहीं और दूसरे आपकी भलाई चाहने वाले नहीं हैं। मैं यह कहूँगा कि जयपुर की पब्लिक बहुत समझदार है और पढ़ी–लिखी है और जो लोग पढे-लिखे नहीं हैं उनमें भी कॉमनसेन्स है। वे जानते हैं कि किन बातों में मेरी राय माननी चाहिये और किन बातों में आपकी।

एक माननीय सदस्य : क्या आपका मतलब यह है कि जितने भी वोटर्स हैं वे अनपढ़ हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात मैंने कभी नहीं कही।

मैंने अपनी ही अपनी बात कही। उनकी बात कहना नहीं चाहता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप सभी इलाके छोड़ कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गांधी नगर में खड़े हों तो आपको मालूम होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आप अपनी कॉन्सटीटुएन्सी छोड़ कर भागे हैं। मैं भागने वाला नहीं हूँ।

(विराम)

आपने यह समझा कि हाई कोर्ट की समस्या का अच्छा मौका है, अच्छी फटकार लगेगी। होम मिनिस्टर गृह मंत्री न रहे तो आपके लिये तो अच्छा ही है, आपका तो एक ऑपोनेन्ट (opponent) कम हो जावेगा। मगर हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे जनता गुमराह होने वाली नहीं है। राइट डिसीज़न लेना चाहिये आपकी दलील हर वक्त नहीं बैठती है। जो इलेक्टोरेट हैं अगर आप उनसे सही-झूठ कहें उसको वे मान ही लें, यह मैं नहीं सोचता। कुछ आपको भी अपनी अक्ल एक्सरसाइज़ करनी चाहिये। उन्होंने चुना है, इसलिए चुना है कि आप भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करें।

श्री चन्दनमल वैद : इसकी बहुत कमी है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप चिल्लाते रहें, अक्ल को तो कोई आप काम में नहीं लेते। लेकिन इलेक्ट्रोरेट्स जानते हैं। वक्त आता है तो इसको छोड़ता हूँ और इस्तीफा देता हूँ। दिया भी है। वक्त आने पर सदन से इस्तीफा दिया है और दिया भी जा सकता है और यह जनता खूब जानती है। गुमराह करने से, ऐसा कहने से इस्तीफा दिया नहीं जाता।

(विराम)

श्री भैंरोसिंह : हाईकोर्ट की बात ही नहीं हुई। आपने इलेक्टोरेट्स के सेन्टीमेन्ट्स को तो खूब उभाड़ दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : वे खूब जानते हैं।

(विराम)

श्री भैंरोसिंह : हंसी में उसको कैसे टला रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : हाईकोर्ट ने फैसला किया। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने फैसला किया। जन संघ वाले और कोई दूसरा करा लें तो दूसरी बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको सहानुभूति तो है?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी उन सब मामलों में सहानुभूति है जिसमें जनता की सहानुभूति है। इसलिए ज्यादा न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ निवेदन किया उसका सार रूप यही है कि एग्ज़ीक्युटिव से सेपेरेशन ऑफ ज्युडिशियरी का हो जायगा, अगले साल आप सुनेंगे भी इसलिए। आप अपने कट मोशन्स वापिस लेंगे और आप मुस्तैद होकर पास फरमावेंगे। मैं बहुत मशकूर होऊंगा।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सभा की कार्यवाही पांच मिनट के लिये और बढ़ाई जाय।

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सभा की कार्यवाही पांच मिनट के लिये बढ़ाई गई।

(विराम)

जो माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जांय।

(सर्व श्री चन्दनमल बैद, (महेन्द्रसिंह, डॉ० बहादुरसिंह, सोहनलाल भटनागर अपने प्रस्ताव वापिस लेने के लिए खड़े हुए)

श्री भैरोंसिंह : पहले डिमान्ड रख दीजिये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंह, श्री चन्दनमल बैद, श्री सोहनलाल भटनागर, श्री महेन्द्रसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी गई।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व): मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री तनसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार जाय जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव राव राजा श्री सरदारसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री सम्पतराज जैन।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सम्पतराज जैन ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने को इजाजत दी गई।

श्री सम्पतराज जैन : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक–२७ न्याय–प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के निमित्त श्रीमन् राज्यपाल महोदय को ४५ लाख १५ हजार रुपये की धन–राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री सभापति : The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. ४.५७ बजे दिनांक २३ मार्च, १९६१ के म. पू. ११ बजे के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २२ मार्च, १६६१)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	४१८६	सीकर, अलवर व जयपुर जिलों में निर्मित नये बांध एवं पुरानों की मरम्मत ।	
पंचायत समिति, सुल्तानपुर द्वारा प्रदत्त ऋण ।		बीकानेर शहर के बीच में स्थित श्मशान घाट तथा धोबी घाट का स्थानान्तरण ।	
कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, बिलाड़ा ।		केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के अन्तर को मिटाना ।	
भीमसागर बांध ।		पाली जिले में सघन खेती की योजना ।	
बीकानेर में प्रशिक्षित जिला रतनगढ़ के कम्पाउन्डर्स ।		कृषि सहकारी समितियों का गठन ।	
नशीले पदार्थों की बिक्री ।		तहसील दौसा क्षेत्र के बंधों से होने वाली सिंचाई ।	
ग्राम पंचायत जोगीवाला (गंगा नगर) के हिसाब-किताब की जांच ।		राजस्थान राज्य पर सम्पूर्ण सार्वजनिक ऋण ।	
बगड़िया भवन, जयपुर के पीछे बसी बस्ती से पानी की निकासी की कठिनाइयां ।		चुंगी नियमों में संशोधन ।	
कस्बा उनियारा में पशु-चिकित्सा हेतु स्थापित डिस्पेन्सरी ।		तहसील कोटपूतली के पूतली, खुर्दी व अमाई गांवों की एक पंचायत बनाने की मांग ।	
पाली शहर में कालूजी की बगीची के पास बसे बुनकरों को कम कीमत पर जमीन के पट्टे देना ।			

स्कम्भ

रतनगढ़ नगरपालिका के गुमशुदा रेकार्ड की जांच ।

डाबरा सहकारी समिति द्वारा बाजरे के बीज की खरीद ।

पंचायत समिति, रोहट द्वारा सांडों की खरीद ।

अजमेर जिले में बढ़ी हुई सिंचाई दरें ।

बुद्ध सागर बांध (जिला कोटा) की डूब में आई काश्तकारों की भूमि का मुआवजा ।

रतनगढ़ पालिकाध्यक्ष द्वारा बर्ती गई अनियमितताओं की जांच ।

बीकानेर जिले की डिस्पेन्सरीज़ में स्टाफ का अभाव ।

आय–व्ययक, १९६१–६२ द्वितीय अवस्था–अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७——न्याय प्रशासन ४२४५

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा १७ कटौती–प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये ।

स्कम्भ

उपरोक्त मांग पर निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये:—

(१) श्री आबिद अली

(२) श्री भैरोंसिंह (१४)

(३) श्री मूलचन्द डागा

(४) श्री बृजसुन्दर शर्मा

(५) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

गृह मंत्री के उत्तर के पश्चात् ६ कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये एवं शेष अस्वीकृत हुए ।

तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

सदन की बैठक ४ बजकर ५८ मिनिट पर गुरुवार, दिनांक २३ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

गुरुवार, दिनांक २३ मार्च, १९६१ की कार्य–सूची

मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०–वन। कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति तथा मांग की स्वीकृति ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६५ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

OFFICE ORDER

The following candidates who have passed the local training of Compounders at Bikaner are hereby appointed temporarily as Compounder Gr. III at the places noted against each from the date they join their duty there :—

Name	Place of posting.
1. Shri Dilip Singh	P. H. C. Parihara.
2. Shri Hanuman Prasad.	B. B. Hospital Churu.
3. Shri Hari Ram	Govt. Dispy. Taranagar.
4. Shri Kishan Chand.	Reserve list, Ratangarh.
5. Shri Kishan Lal	Govt. Dispy. Rajaldesar.
6. Shri Ram Chandra.	Govt. Dispy. Dungargarh.

They should report themselves for duty to the concerned Medical officers.

Sd/-

Distt. Medical &

Health Officer.

Ratangarh (Churu Distt.)

OFFICE OF THE DISTT. MEDICAL AND HEALTH OFFICER, RATANGARH

OFFICE ORDER

Shri Gangadhar L. D. C. of this office is hereby posted as Compounder Gr. III in the same pay scale and on the same pay and transferred to Government Hospital Sujangarh with effect from 1st August, 59, on the clear vacancy of Compounder Gr. III there at Sujangarh.

T. A. & D. A. and usual joining time is admissible, as per rules in force.

Sd/-

Distt. Medical & Health Officer,
Ratangarh (Churu District)

परिशिष्ट

BOND

I ....

S/o ....

.... (Full address) hereby agree that in lieu of receiving Training from of any charge for appointment as Compounder Grade III in Rajasthan, conducted by the Medical Department, Rajasthan :-

1. I will serve Rajasthan Government at any Place in Rajasthan, on salary fixed by the Government, at least for 5 years after successful completion of the Course within which period I shall qualify myself as a P. N. R. C. Trained Compounder if such facilities afforded to me by the Government.

2. That if there is any complaint of indiscipline or any adverse report about me during the period of training, I shall be liable to be expelled from the Training.

3. That I shall perform any duty connected with the said training ungradingly during the course of Training.

4. That on receipt of any complaint against me I shall be liable to be expelled from the Training without holding any enquiry.

5. That in the event of my not joining the appointment offered within 3 months from the date of successful completion of the said training, I shall be liable to pay Rs. 150/-in lieu of the cost of training imparted to me.

WITNESSES.

1..

....

2......... ....

....

Trainee

The date of the successful completion of the Training.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING INCOME BY WAY OF DUTY AND EXPENDITURE INCURRED BY THE DEPARTMENT IN RESPECT OF COUNTRY LIQUOR OPIUM AND HEMP AND OTHER DRUGS.

COUNTRY LIQUOR.

	Year 1958-59	1959-60
1. Country liquor		
Cost price	52,85,942	59,24,716
Duty	1,90,00,844	2,15,01,869
Total	2,42, 86,786	2,74,26,585

OPIUM.

2. Opium		
Cost price	5,07,056	1,08,121
Duty	36,85,187	6,47,022
Total	41,92,243	7,55,143

HEMP DRUGS.

(BHANG & GANJA)

Hemp Drugs.	(Bhang & Ganja)	(Bhang only)
Cost price and duty.	6, 93,837	5, 43,987

Note:--With effect from 1st April, 1959, the consumption of Ganja was totally prohibited.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ का उत्तर देखिये)

उनियारा पशु चिकित्सालय के स्टाफ व खर्चे का विवरण

स्टाफ

वैटेरियनरी असिस्टैन्ट सर्जन	१
कम्पाउन्डर	१
स्टोक मैन	१
सईस	१
वाटरमैन	१
हरिजन	१

खर्चा

पहले यह डिस्पेन्सरी पंचायत समिति में थी। तत्पश्चात् उक्त डिस्पेन्सरी अस्पताल में परिणत की जाकर पंचायत समिति से २६-७-६० को इस विभाग के अन्तर्गत आयी है। तब से आज तक का कुल खर्चा ५,७६५.१६ नये पैसे हुआ है, प्रति डिस्पेन्सरी का बजट, एस्टेब्लिशमेंट के अलावा पृथक नहीं दिया जाता, सारे जिले का इकजाई बजट होता है।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७० का उत्तर देखिये)

कार्यालय नगरपालिका पाली

प्रतिलिपि चारणिया भावीया के लिये दिनांक २२–२–५६ को बोर्ड की बैठक में कार्यवाही हुई थी।

एक दरख्वास्त चारणीया भावी के ३७ लोगों की पेश हुई। जिनके नाम की लिस्ट पर उपस्थित सदस्यों के दस्तखत करवाये गये और उनके लिए प्लॉटों का नकशा जो स्वीकार किया गया। इस पर भी उपस्थित सदस्यों के दस्तखत करवाये गये और इस स्वीकृत नकशे के अनुसार ३७ व्यक्तियों को प्रत्येक को एक एक प्लाट एक आना वर्ग गज को रियायती दर से देने की स्वीकृति दी गई क्योंकि वे पिछड़ी जाति के लोग हैं। एलाटमेंट की शर्तें वो ही रखी गई हैं जो कि ऊपर कपड़ा मजदूरों के लिए दर्ज की गई।

नोट:—कपड़ा मजदूर की शर्तें जो हैं वे ही इस प्रस्ताव के अनुसार उन पर लागू हैं शर्तें प्रस्ताव को नीचे दर्ज है।

शर्तें

१—एलॉटी एक साल की अवधि में जमीन पर अपने निवास का मकान बना लेगा।

२—अलॉटमेंट की तारीख से १५ साल के अरसे तक एलॉटी किसी भी तरह एलॉट की हुई जमीन को रहन, बेचान अथवा मुन्तकिल नहीं कर सकेगा।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ का उत्तर देखिये)

तहसील दौसा के बांधों से सिंचित गांवों की सूची

नाम बांध	नाम ग्राम जिसमें सिंचाई होती है ।
१	२
१. जमवा रामगढ़	कस्बा दौसा कलां, दौसा खुर्द, बर खेड़ा, रूगली, रायपुरा, जिरोताकलां, जिरौता–खुर्द, सवलपुरा, कस्बा दौसा टेल, दलैलपुरा, हरीपुरा, मोडिया, रोहडा, मालकवास, चारानवास, खुरीकलां, खुरी खुर्द, नांगल बेरसी, बार चान्दराण, मालपुरा, सीतापुरा, चन्दराणा, खेरवाल, मन्डाना, सीगवाडा, नांगल गोविन्द चक भरनवास, सिंगवाडा, गोगोलाव, चावन्डेडा, महेखरा खुर्द, मलारना खुर्द, मलारना कलां, ।
२. भिलमिली	रामथला, शेखपुरा, कोलावास, गिरधरपुरा, चक गिरधर–पुराबुटोली, नया गांव, खेडास, बाढ–बरखां, बाढ किसनपुरा, चक दहलास, हरपट्टी, डुगरावता, जगरामपुरा, दुबलिया, पूरणवास, दलाडी, ।
३. हरीपुरा	हरीपुरा, मौडा, बाढ दौसा, दौसा खुर्द ।
४. चूरस	चूरास, छारडा, बाडपुरा, टिटौली, मानपुरा, लारडी का बास, रानीवास ।
५. नामोलाव छोटा बड़ा	कस्बा दौसा ।
६. गेटोलाव	कस्बा दौसा रामजी पुरा, चांवड़ भटवास खेडला खुर्द गांगलवास, टीकरिया, बीधावास, बैरामपुरा, हींगोटा, बडागांव हलाडी ।
७. भांकरी	भांकरी ।

१	२
८. सीनोली	खोरा लटवारा, खोसरी, कोलाता, निमिली।
९. पाटन	आनन्दपुरा, कोटा, पूरणवास, लवाण, डुगरावता, मोडरा, सुनारपुरा, पुरबीयावास, ।
१०. खेतल सागर	लोहसरी, लोटवारा, खोरा, कालोता, निमाली, कुन्डल, मटोली, सिनौली, काली पहाडी, बडोली, धरमपुरा, बिसनपुरा, कावलेश्वर, हबीबवाला, सेहतल, झाझडावाला, बौरदा, बीनावाला, ऊदावाला, चैनपुरा, बापी, खरतला—गोबिन्दपुरा चौरन्डी ।
११. काला खो	काला खो ।

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८३ का उत्तर देखिये.)

मिसल नं० ८ नर० ११-६-५६ विषय रिपोर्ट नत्थू राम बिल्डिंग क्लर्क बोर्ड हाजा बाबत न मिलने चार्ज में इमसलात सीगा मुतफ़काल ३१ व सीगा नाजायज़ तामीर १५ व सीगा इजाजत तामीर २३ कुल ६६ में फेहरिश्त इमसलात गुमशुदा सीगा मुतफरकात दिनांक १-७-५६ की प्रतिलिपि :

फहरिश्त उन मिसलों की जो चार्ज में नहीं दी गई और गुम है सीगा मुतफर्कात :

नं०सु० १	नं० मिसल २	मरंजुआ ३
१	३८	१३-७-४६
२	१६	२०-१०-५३
३	२०	२०-१०-५३
४	२५	२०-१०-५३
५	४६	१६-७-५४
६	२५	२१-११-५५
७	१३	२५-६-५६
८	१५	४-७-५६
९	२०	३१-७-५६
१०	२४	६-८-५६
११	२७	८-६-५६
१२	३०	२८-८-५६
१३	३५	२८-८-५६
१४	३८	३१-८-५६

१	२	३
१५	७०	२०–२–५७
१६	७३	२८–३–५८
१७	४	१–११–५७
१८	६	२०–५–५७
१९	८	२७–५–५७
२०	९	१४–६–५७
२१	१०	१४–६–५७
२२	१८	१९–१०–५७
२३	२१	२०–१०–५७
२४	२५	१–१२–५७
२५	२६	१–१२–५७
२६	७	९–५–५८
२७	११	११–९–५७
२८	१८	११–९–५८
२९	११	१९–१०–५७
३०	३४	२५–१–५८
३१	८	१९–५–५८

मिसल नं० ८ भर० ११–६–५६ विषय रिपोर्ट नत्थूराम बिल्डिंग क्लर्क बोर्ड हाजा बाबत न मिलने चार्ज में इमसलात सीगा मुतफर्कात ३१ व सीगा नाजायज़ तामीर १५ व सीगा इजाजत तामीर कुल २३ ६६ में फहरिश्त गुमशुदा सीगा इजाजत तामीर इमलात दिनांक १–७–५६ की प्रतिलिपि :

बहीस्त इमसलात सीगा इजाजत तामीर जो चार्ज में नहीं मिली १–७–५६

नं०मु०	नं० मिसल	मरजुआ
१	२	३
१	२८	२०–१२–५५
२	६	१०–५–५६
३	१८	२७–७–५६
४	३२	२०–१०–५६
५	५५	५–२–५७
६	६३	१६–२–५७
७	२८	८–१०–५७
८	४३	२१–१०–५७
९	५१	७–१–५८
१०	६६	२६–३–५८
११	१५	७–५–५८
१२	१६	७–४–५८
१३	२०	१२–५–५८
१४	२५	१२–५–५८
१५	२६	२५–५–५८
१६	२८	१५–६–५८
१७	३५	२५–७–५८

१	२	३
१८	३७	८-८-५८
१९	५१	२४-१०-५८
२०	५३	२४-११-५८
२१	६४	१०-२-५९
२२	१०	१९-५-५९
२३	१८	१९-५-५९

परिशिष्ट

मिसल नं० ८ मरजुआ ११-६-५६ विषय : रिपोर्ट नत्थू राम बिल्डिंग क्लर्क बोर्ड हाजा बाबत न मिलने चार्ज में इमसलात सीगा मुतफर्कात ३१ बस सीगा नाजायज़ तामीर १५ व सीगा इजाजत तामीर कुल ६६ में फहरिश्त इमसलात गुमशुदा सीगा नाजायज़ तामीर व नाजायज़ कब्जा दिनांक १-७-५६ की प्रतिलिपि : फहरिश्त उन मिसलों की जो चार्ज में नहीं मिलीं, गुमशुदा है सीगा नाजायज़ तामीर व नाजायज़ कब्जा :

नं०सु०	नं० मिसल	मरजुआ
१	२	३
१	१२	१-२-५६
२	१३	४-२-५६
३	६	३१-८-५७
४	७	३१-६-५७
५	११	१४-३-५८
६	७५	१४-३-५८
७	६	२५-४-५८
८	१०	२५-४-५८
९	११	२५-४-५८
१०	१४	१६-५-५८
११	१५	१६-५-५८
१२	२०	३१-५-५८
१३	२३	६-४-५८
१४	२५	१६-७-५८
१५	३६	१२-८-५६

४४३८] परिशिष्ट

दिनांक २६–१–५६ को गुम हुई नगरपालिका रतनगढ़ माल मन्डी की मिसलों की फहरिश्त :

क्रम सं०	मिसल नं०	सन्	विषय
१	२	३	४
१	३०	१६५८	दरख्वास्त त्रिलाकराय मिलने जमीन
२	४६	१६५८	दरख्वास्त न्येलाराम खरीद जमीन
३	६६	१६५६	दर० रामप्यारी खरीद जमीन
४	३३	१६५८	दर० नूर मोहम्मद खरीद जमीन
५	२६३	१६५८	दर० जीवनखां खरीद जमीन
६	२०	१६५८	दर० दुर्गादत्त खरीद जमीन
७	२६७	१६५८	दर० मघराज खरीद जमीन
८	११०	१६५६	दर० कुशालाराम खरीद जमीन
९	१११	१६५६	दर० लक्ष्मण खरीद जमीन

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ का उत्तर देखिये)

सूची मुआवजा आराजी डूब पेटा तालाब बुधसागर, अटरू

नं० शु०	नाम आसामी मय वल्दियत सूकनत वगैरह	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म आराजी	कैफियत
१	२	३	४	५	६
१	श्री कस्तुर बाई बेटा बिहारीलाल ब्राह्मण धवड़ा	६५८	१६।।।३	माल II	
		१०२१	३।।४		
		१३३६	१६।)	माल III	
		१३३१	१)१		
		६६७	।।२		
		१०१८	३।।१		
		१३३८	१)१	बीड़	
२	श्री मांगीलाल, घौसी व० सरया चमार अटरू।	१००१	३।१	माल II	
		६५६	२)२		
		६६८	१।)४		
		१०१६	१)४	माल III	
		१४५६			
		१०००	२।।।)३	चाही II	
		६६६	)४	कुवा	
३	श्री भेरिया, अमरा व० कजोड चमार अटरू	१०१६	२।४	माल III	
		६८८	।२		
		६८५	।।।२		
		६८६	२		

१	२	३	४	५	६
४	श्री परिखां वल्द इमामखां मुसलमान अटरू	१०१७	७॥१	माल III	
५	श्री भैरूलाल, अमरा खाती अटरू	१०१६	१)	माल III	
६	श्री हसनखां वल्द नूरखां मुसलमान अटरू	१००३	१२॥२	माल II	
		९४६	१॥१	माल III	
७	श्री उकार वल्द गोदिया चमार अटरू	१००२	१)१	माल III	
८	श्री सूरजमल बन्चीलाल प्रभुलाल मदनलाल अटरू	१००४	।२	माल II	
९	माफी श्री रामचन्द्रजी दुजारी रामगोपाल वल्द हीरालाल	१००५	१)१	माल II	
१०	श्री उकार चतरभुज पि० किशना चमार अटरू	१००६	१॥४	माल II	
		२६	८६।४		
११	श्री रघुनाथ वल्द धुलीलाल धाकड़ गोपाल व रघुनाथ	१००७	४।४	माल II	
		९५४	२॥४		
			१)१		
		१४५४			
		९५४	१)१		
		१४५५			
		१००६	।)	कुंवा	
		१००८	॥१	माल II	

Page No.135

१	२	३	४	५	६
१२	श्री मोहनी बाई बेटी राम गोपाल ग्रा० अटरू	६५२	१२।२	माल II	
		१०१७	७।।१		
		१०११	।।४		
		१००७	।।।४		
		१४५६			
		१०१२	।३		
१३	श्री सूरखा व० खाना चमार अटरू	६५५	३।।३	माल III	
		१०२२	२।१		
		६६५	२।।)		
१४	श्री बिशनी बेवा किशोर चमार अटरू	६५६	५)३	माल III	
		१३०६	१।)		
१५	श्री आल्लाखां व० रोड़खां मुसलमान अटरू	६५३	१)३	माल II	
१६	श्री जमनियां जानक्या पि० गिरधारी	६३५	१)३	माल II	
	उकार चतरा पि० गोरियां	१३२२	४।।४	माल III	
१७	श्री गुलाब बेवा बिरधा मेहर बलाई अटरू	६४५	२)१	माल III	
१८	श्री केशोर बेवा पन्ना गडरियां अटरू	६४७	२)३	माल II	
१९	श्री धुलीलाल प्रभुलाल पि० माधोलाल ग्रा० अटरू	६५०	४।।।१	माल II	
		१३१४	६)१		
		१३१५	४।।३)		
			२६०।।।२		
२०	श्री भैरूलाल पि० उकारलाल अटरू	१३२७	१।३	माल III	
		१३२६	२।।		
		१३३०	३)४	बंजड़	

१	२	३	४	५	६
२१	श्री बलदेवा व० गोपाल माली सा० अटरू	१३३२	६,३	माल III	
२२	श्री हीरालाल व० धन्नालाल ब्रा० अटरू	६८४	१॥२		
		१३१६	४)		
		१३३४	२।१		
		१३२३	॥।२		
		१३२६	१।२		
		१३१७	१)		
२३	श्री रामनाथ व० माधो कलाल अटरू	१३४०	४)४	माल III	
२४	श्री सुन्दर शान्ती बेटी भंवरी ब्रा० अटरू	१३४१	१)४	माल III	
२५	श्री चम्पा बेवा गोपाल व रामचन्द्र गोपाल	१३४३	४।)	माल III	
२६	श्री सूरजा बेटा सूखा चमार अटरू	१३१३	२।)	माल III	
२७	श्री जगन्नाथ व रका चमार अटरू	१३१८	२॥४	माल III	
२८	श्री केसर खां रोशन खां	१२४३	४॥)३	माल III	
२९	श्री माधो चुनाव गंगलियां चमार अटरू	१२४२	४॥)३	माल III	
३०	श्री जोरावरसिंह राजपूत अटरू	६६४	३॥३	माल III	
३१	श्री भेरूसिंह राजपूत अटरू	६६३	३)४	माल III	
३२	श्री हीराकिशोर व चूनिया	६६२	५॥)	माल III	
३३	श्री मोडिया व सूखा चमार अटरू	६८६	२)१	माल III	

———

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६३ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट (क)

नाम समिति तथा प्रकार	रजिस्ट्रेशन संख्या तथा दिनांक	नाम सदस्य	निवास स्थान	यह कब से सदस्य है
१	२	३	४	५
विलाडा	५१० क्यू	१ श्री किशन वल्द पुखराम सीरवी राठोर	बिलाडा	१६–४–५६
सामुहिक कृषि	दिनांक २०–४–१९५६	२ ,, तुलच्छाराम वल्द नन्दाराम सीरवी राठोर	,,	,,
सहकारी		३ ,, गोमाराम वल्द दीपाराम सीरवी सोलंकी	,,	,,
समिति		४ ,, लादूराम वल्द उमाराम सीरवी सोलंकी	,,	,,
लि० बिलाडा		५ ,, बीजनाथ वल्द हरनाथ	,,	१–११–५६
		६ ,, गोबिन्दराम वल्द लच्छाराम सीरवी	,,	,,
		७ ,, कृष्णामुरारी वल्द सिरेमल माथुर	,,	,,

१	२	३	४	५
		८ ,, सूराराम वल्द बुधाराम सीरवी	,,	,,
		६ ,, भोलाराम वल्द बेनाराम	,,	,,
		१० ,, जगदीश वल्द गणेशराम	,,	,,
		११ ,, कानाराम वल्द जोधारम	,,	१–७–६०
		१२ ,, मुनाराम वल्द बेनाराम	,,	१–२–६१

परिशिष्ट

सूची परिशिष्ट (ख)

तारीख मिलने भूमि	कितनी व किस प्रकार को भूमि मिली	यह भूमि कहां से कैसे मिली	विशेष विवरण
१	२	३	४
४-७-५६	२५८ बीघा १६ बिस्वा चाही	बेचान १०५०० रु० दीवान श्री माधोसिंह वल्द हरीसिंह बडेर भिलांडा से बेचान में ली।	यह जमीन समिति ने बेचान दस्तावेज़ संख्या ३३५।३५.० बुक नं० १ दिनांक १२-६-५६ के द्वारा क्रय की है।
१२-१-६०	११६ ,, १० ,, बारानी	बेचान द्वारा। बेचान नामा श्री किशन-लाल के पास है जो अभी हिरासत में है इसलिये पूरा विवरण उपलब्ध नहीं हो सका।	यह जमीन समिति के सदस्यों की थी वह उनसे ली गई है।

परिशिष्ट

१	२	३	४
२४–६–६०	३५६ बीघा ०० बि० बारानी	दो वर्ष के लिये लीज़ पर ली गई है।	यह जमीन निमाडा ठाकुर से दो वर्ष के लिये लीज पर ली गई है।
२७–५–६०	७१ ,, १२ ,, चाही	एक वर्ष के लिये लीज़ पर ली गई है।	श्री मुकनाराम, श्री शांताराम व श्री गोविन्द राम व श्री भोलाराम से एक वर्ष के लिये लीज पर ली गई है।

परिशिष्ट

सूची परिशिष्ट (ग)

नाम समिति	कहां से ऋण मिला	किस्म ऋण	ऋण की रकम	ऋण मिलने की तारीख	ऋण का कारण
१	२	३	४	५	६
बिलाड़ा सामूहिक कृषि सहकारी समिति बिलाड़ा	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० जोधपुर से ।	मध्यकालीन	१०००० रु०	१–३–६०	१८००० रु० ट्रेक्टर को
	,,	,,	१०००० रु०	२–४–६०	२००० रु० पम्पिग सेट को
	,,	अल्पकालीन	२०००० रु०	२२–६–६०	चार, बीज खाद, मजदूरी इत्यादि को
	पंचायत समिति बिलाड़ा से	दीर्घ कालीन	३००० रु०	२३–१–५९	केटिल ब्रिडिंग फार्म को
योग :—			४३००० रु०		

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, २२ मार्च, १६६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४१६८	२४	प्रात	प्राप्त
४२०५	१५	वर्ष	वर्षा
४२०८	८	परिशिष्ट	परिशिष्ट
,,	२, १७ व २५	श्री नाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
४२१५	६	(२) सघन कृषि	(१) सघन कृषि
४२२१	शीर्षक	४१२१	४२२१
४२२२	२५	(0471.55	10471·55
,,	अन्तिम से २	Tatal	total
४२२६	शीर्ष	श्री दयाकृष्ण	श्री दयाकृष्ण
४२४२	१६	गिरवीं	गिरवी
४२४४	७	Will, the	will the
,,	२०	Sent a	Senta
४२४५	१२	दिलानै सम्बन्धी	दिलाने सम्बन्धी
,,	१५	ए क कॉल	एक कॉल
४२५१	शीर्ष	श्री जगदीशप्रशासन	श्री जगदीशप्रसाद माथुर
४२५४	५	कमा	कमी
४२५५	शीर्ष	श्री जगदीसप्रसाद	श्री जगदीशप्रसाद
४२५८	५ व १३	कोर्टस	कोर्ट्स
,,	अन्तिम से २	न्यायलय	न्यायालय
४२६०	१	लांभ	लाभ
४२६५	२४	दूसरी, तरफ	दूसरी तरफ,
४२७०	३	ओर इस	और इस
४२७३	शीर्षक	४१७३	४२७३
४२७५	२६	डाइरेक्शनस	डाइरेक्शन्स
४२७७	१७	चुपसुचाप	चुप-चाप
४२७६	२	abministration	Administration
४२८१	शीर्षक	शीर्यक	शीर्षक
४२८७	,,	शीर्यक	,,
४३३१		शीर्यक	,,

१	२	३	४
४२८६	१२	से में	से मैं
४२६४	१८	जुडिशिरी	जुडिशियरी
४२६६	१६	मजिस्ट्रेटस	मजिस्ट्रेट्स
४२६६	शर्षिक	शीषक	शीर्षक
४३०७	११	लागल	लीगल
४३०८	२२	मैकड	मैथड
४३१०	३	काम्लेक्स	कॉम्प्लेक्स
४३२६	२८	कोटर्स	कोर्ट्स
४३२६	३	भालावड़ा	झालावाड़
४३३५ से ४३४०	शीर्षक	मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७–न्याय प्रशासन	कटौती प्रस्तावों की प्रस्तुति के सम्बन्ध में आपत्ति
४३४०	१४	मुख्य शीर्षक ५७	मुख्य शीर्षक २७
४३४१ से ४४११	शीर्षक	,,	,,
४३४३	८	टैकिनकल	टैक्निकल
४३४४	३	रेन्वेयू	रेवेन्यू
४३४६	१४	कॉपीटिटिव	कॉम्पीटिटिव
,,	२१	प्रेक्टिकल	प्रेक्टिकल
,,	२३	उनको	उनका
४३४७	शीर्षक	मांग संख्या १२	मांग संख्या ११
४३४६	८	इतिहान	इग्तिहान
४३५४	१६ व २३	काम्पीप्टीशन	कॉम्पीटिशन
,,	२४	एसोयिेशन	एसोसियेशन
४३५६	४	वे समाल मैं	समाज में
४३६२	१५	का	को
४३७३	१६	वे	वे ही
४३७४	५	मंत्रि मंटल,	मंत्रि–मंडल
४३७८	१६	लिजिये	लीजिये
४३८१	शीर्षक	४१८१	४३८१
४३८३	अन्तिम पंक्ति	इम्पार्शिशल	इम्पार्शियल
४३८४	२३	पहले में एक	पहले एक
४३८७	२८	इन्टीग्रटी	इन्टीग्रिटी

१	२	३	४
४३८८	अन्तिम से २	रखनी होंगा।	रखनी होगी।
४३६२	४, ११ व २७	कान्टिट्युशन	कॉन्स्टिट्यूशन
४३६३–६४	शीर्षक	२२ माच	२२ मार्च
४४१३	१३	csiteria	criteria
४४३७	३	पहरिश्त	फहरिश्त
४४४७	कॉलम ६, पंक्ति ५	मजइरी	मज़दूरी

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
शुद्धि-पत्र	स्कम्भ ४ पंक्ति ५	कृपि	कृषि
,,	कॉलम १, २ व ३ अन्तिम पंक्ति से १ व २	४२८७ ,, शीर्यक ४३३१ ,, शीर्यक	४२८७ व ,, शीर्षक ४३२१